मंगलवार,
२२ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष-महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री कौत्तुकपल्ली (मीनाचिल)

प्रश्नकाल का निलम्बन

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूं, श्रीमान ? कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति द्वारा यह निश्चित किया गया था कि निवारक निरोध अधिनियम की कार्यप्रणाली सम्बन्धी प्रतिवेदन की चर्चा के लिए दो दिन नियत किये जायेंगे । क्या मैं यह सुझाव रख सकती हूं कि आज प्रश्नकाल समाप्त कर दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन ऐसा चाहता है तो इस सुझाव को मैं मानने के लिए तैयार हूं ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद में ये प्रश्न अतारांकित प्रश्न के रूप में छपेंगे । आज के प्रश्न काल का निलम्बन हो जायगा।

इतना करने के उपरांत, कल और परसों के लिए मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं । मैं समझता

हूं कि उन दिनों के लिए भी हम उसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं । इन तीनों दिन प्रश्नकाल नहीं होंगे और इस प्रकार सदन को चर्चा के तीन घंटे मिल जायगे ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : बहुत बहुत धन्यवाद ।

डा० लंका सुन्दरम् : इतनी जल्दी खशी न मनाइये । आज सायंकाल ही आप की वारी आयेगी ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : श्रीमान् । क्या मैं एक प्रश्न.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह मेरे पास आये और चर्चा करें तथा मुझे सन्तुष्ट करें । उस से पहले उस प्रकार के प्रस्ताव की आज्ञा मैं नहीं दूंगा ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या आप मझे अवसर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आ सकते हैं और मेरे कक्ष में मुझ से मिल सकते हैं ।

एक बात और भी है जिसे इस समय स्पष्ट करना चाहूंगा । श्री गुरुपादस्वामी ने किसी विषय के बारे में चर्चा करने के लिए कहा है । मेरा विचार है कि समयाभाव के कारण इस की चर्चा अगले सत्र तक के लिए स्थगित की जा सकती है ।

श्री त्यागी : यह बहुत अच्छा विचार है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यद्यपि निवारक निरोध की चर्चा महत्वपूर्ण है किन्तु फिर भी एक प्रकार से रोजाना के काम की भांति है। जहां तक मेरी चर्चा की बात है, बहुत सी नयी तथा महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होनी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि माननीय सदस्य द्वारा उठायी गई बातें पुरानी थीं अथवा किसी मतलब की नहीं थीं। वे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातों को सदन में निपटाने की शीघ्रता तथा हमारे पास सीमित समय होने के कारण यह अच्छा होगा कि इस प्रश्न को हम आराम से लें।

श्री एम०एस०गुरुपादस्वामी : अब एक घंटा वाद-विवाद के लिए नियत किया गया है। क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि समय में कम से कम आध घंटे की कमी की जा सकती है?

अध्यक्ष महोदय : अब तो हम इसे २४ तारीख तक स्थगित कर दें और तब देखें कि स्थिति क्या है?

श्री त्यागी : मैं अपनी ओर से माननीय सदस्य से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। वह मेरे कार्यालय में आ सकते हैं और यदि वह चाहें तो इस की चर्चा कर सकते हैं, और इस समय सदन के समय का अपव्यय न करें।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सम्पूर्ण सदन को विश्वास में लेने का, तथा इस की चर्चा करने का अधिकार प्राप्त है। केवल एक सदस्य को सन्तुष्ट करने का प्रश्न नहीं है। अतएव इस समय तो हम इसे २४ तारीख तक स्थगित कर सकते हैं, और तब देखेंगे कि क्या इस के लिए आधा घंटा समय निकाल सकते हैं। जैसा कि वह आध घंटा के लिए तैयार हैं, मेरी अपेक्षा है कि अंतिम दिन यह आसान बात होगी कि इसे अगले सत्र के लिए स्थगित करने के लिए वह मान जायें।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं निर्देश कर सकता हूं कि मुझे अभी सूचना मिली है कि २४ ता० को मेरे द्वारा दिये गए विषय के बारे में चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : उस की भी वही स्थिति है जैसी कि श्री गुरुपाद स्वामी की चर्चा की। किन्तु फिर भी हम उस दिन देखेंगे।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? प्रश्न काल के बारे में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है। यदि आज आवश्यकता के आधार पर ऐसा किया जाता है तो मैं आशा करता हूं कि कहीं भविष्यत अवसरों के लिए यह कहीं मिसाल न बन जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि प्रश्न काल का निलम्बन करने का चलन है, और पिछले छः सात वर्षों में जब से मैं यहां हूं ऐसा कई बार किया गया है। अतएव यह पहला अवसर नहीं है जब कि प्रश्नकाल का निलम्बन किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद

*१२२३. **श्री एस० एन० दास** : क्या विधि मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिताएं, तथा इसी प्रकार के अन्य केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद करने तथा प्रकाशित करने के लिए कोई कार्य क्रम बनाया है?

(ख) यदि हां तो क्या इस प्रकार का कोई प्रकाशन निकला है ?

(ग) इन अधिनियमों के अनुवाद करन तथा छापने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) सरकार ने सभी अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवादित करने तथा उन के हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने का काम अपने हाथ में ले लिया है। इन अधिनियमों में भारतीय दंड संहिता तथा दंड एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी सम्मिलित होंगी।

(ख) अब तक भारतीय दंड विधान को सम्मिलित करते हुए १९७ केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद छपा है। इन अधिनियमों की सूची सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०**]

(ग) विधि मंत्रालय में अनुवाद किये जाते हैं और सरकारी प्रकाशन के प्रबन्धक द्वारा उन्हें प्रकाशित किया जाता है।

संस्थाओं को ऋण

*१२२४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद् की, संस्थाओं को छात्रावास बनाने के लिए बिना ब्याज के ऋण देने की योजना अभी तक चालू है;

(ख) यदि हां तो कितनी और कौन सी संस्थाओं को १९५२-५३ और १९५३-५४ में ऐसे ऋण दिए गए; और

(ग) कुल कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी राशि इन संस्थाओं को दी गई ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१**]

राष्ट्रीय छात्र सेना के हवाई दस्ते

*१२२५ **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय छात्र सेना के साथ कितने हवाई दस्ते हैं ;

(ख) ये दस्ते किस किस राज्य में स्थित हैं;

(ग) इन में से कितने व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहे हैं, और

(घ) उन्हें किन ढगों से ट्रेनिंग दी जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(घ) सीनियर डिवीजन के छात्र-सैनिकों को वायु सेना सम्बन्धी विषयों--दो वर्ष तक भूमि पर वायुयान सम्बन्धी ट्रेनिंग और तीसरे वर्ष असैनिक उड्डयन क्लबों में--की ट्रेनिंग दी जाती है। जूनियर डिवीजन में ड्रिल के अतिरिक्त, छात्र सैनिकों को उड़ान के सिद्धान्तों, वायुयानों की पहचान तथा उन के माडल बनाना सिखाया जाता है।

विंध्य प्रदेश में प्रशासनीय पुनसंगठन

*१२२६. { **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : **श्री बी० डी० शास्त्री** :

(क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने विंध्य प्रदेश राज्य में शासन व्यवस्था के पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो अधिकारी नियुक्त किया था उस की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) पुनसंगठन सम्बन्धी सुझावों को लागू करने में कितना आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय होगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) विशेष अधिकारी, श्री पी० सी० राव, आई० सी० एस० द्वारा की गई सिफ़ारिशों की मुख्य मुख्य बातें ये हैं :

(१) यह सुझाव दिया गया कि विंध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के वेतन स्तर भी वैसे कर दिए जायं जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार के हैं।

(२) पुनरीक्षित वेतन स्तर १ अप्रैल, १९५० से लागू किए जायं। जिन लोगों को उन के पदों पर बनाए रखना है उन्हें उचित जांच के बाद चुना गया। जिन्हें स्थायी रूप से रखना उचित न समझा गया और जो, मध्य प्रदेश में वैसे ही पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं वाले नहीं थे, उन्हें या तो निकाल दिया गया और या उन के वेतन स्तर वैसे ही रहने दिए गए।

(३) वतन स्तर के पुनरीक्षण की सिफ़ारिश करते समय "बराबर काम के लिए बराबर वेतन" —इस सिद्धान्त का अनुसरण किया गया। जिन पदों के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश के वैसे ही पदों जैसी हैं, उन के लिए मध्य प्रदेश के वेतन स्तरों की ही मंजूरी दी गई है। परन्तु जिन मामलों में विंध्य प्रदेश के पदों की ज़िम्मेदारियां मध्य प्रदेश के वैसे ही पदों की अपेक्षा कम हैं, वहां कम वेतन स्तर रखे गए हैं।

(४) राज्य का राजस्व बढ़ाने के सुझाव भी दिए गये हैं।

(ख) वार्षिक आवर्त्ती खर्च ९ लाख रूपये अनावर्त्ती खर्च २७ लाख रुपये।

मंत्रालयों का गठन

*१२२७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिकारियों की एक टोली ने भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के गठन की जो तटस्थ रूप से जांच प्रारम्भ की है, वह पूरी हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो कौन सी ऐसी मुख्य बातों का पता चला है जिन पर फौरन ही कार्यवाही होनी चाहिए ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारत सरकार की संस्थाओं की तटस्थ रूप से जांच करने वाले अधिकारियों की विशेष टोली ने अब तक, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, सिंचाई, विद्युत तथा श्रम मंत्रालयों तथा उन के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय, आयात तथा निर्यात के महानियंत्रक के प्रधान कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा और संचरण मंत्रालय के अधीन डाक तथा तार के महासंचालक के कार्यालय के दस अधीनस्थ कार्यालयों की जांच कर ली है।

(ख) इस टोली द्वारा की गई जांच से पता चला है कि कई कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखे गए हैं। कार्यालयों की प्रक्रिया में दोष पाए गए हैं और यह भी देखा गया है कि एक ही काम दो बार हो जाता है। ऐसे सब मामलों में उचित उपचार सुझाये गये हैं।

सरकारी विभागों में कार्य दक्षता आन्दोलन

*१२२८. **श्री दाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के इस विचार की ओर आकर्षित हुआ है कि प्रत्येक पदाधिकारी के कार्य का मूल्यांकन करने, कार्य अच्छा होने की स्थिति में उसे प्रोत्साहन देने और त्रुटियुक्त कार्य की दशा में चेतावनी अथवा दण्ड देने का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है और कि कर्त्तव्य पूरा न करने पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

और निकृष्ट काम करने पर भी पदाधिकारियों से कुछ नहीं कहा जाता है; और

(ख) यदि यह सही है तो वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) जिन आधारों पर हर एक पदाधिकारी के कार्य का मूल्यांकन किया जा सकता है उन में कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और उन के सम्बन्ध में गोपनीय विचारों को सावधानी पूर्वक रखना--ये दो महत्वपूर्ण आधार हैं । निरीक्षण की नियमित पद्धति और वार्षिक गोपनीय विचारों के संधारण को सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट उपाय विचाराधीन हैं ।

पेप्सू में आला मालिक

*१२२९. **श्री अजित सिंह** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २९ अगस्त, १९५३ के पूर्व 'आला' मालिकों के अधीन कितने एकड़ भूमि थी ?

(ख) उक्त भूमि में से कितनी पर खेती की जाती है और कितनी भूमि खेती योग्य है ?

(ग) पेप्सू के आला मालिकियात अधिकारों के उन्मूलन अधिनियम १९५३ के बनने के पश्चात क्या उक्त भूमि के किसी भाग के स्वामित्वाधिकार अदना मालिकों में निहित किये गये हैं ?

(घ) यदि यह सही है तो उक्त भू-भाग कितना है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) ३,०८,१०९ एकड़ ।

(ख) जिस भाग पर खेती की जा रही है: २,९५,१४३ एकड़; खेती योग्य ६,२६७ एकड़; और बंजर ६,६९९ एकड़ ।

(ग) हां;

(घ) २,९८,६१६ एकड़ :

भोपाल के नवाब को वार्षिक वृत्ति

*१२३०. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भोपाल राज्य सरकार ने भोपाल के जागीरदारी उन्मूलन और भूमि अर्जन विधेयक को लागू करने से जागीरों को छट देने की जिन में कई गांव सम्मिलित हैं भोपाल नवाब के दावे को अस्वीकृत कर दिया है ?

(ख) क्या यह सच है कि नवाब ने राज्य मंत्रालय को लिखा था किन्तु राज्य मंत्रालय ने भी प्रस्तुत मांग स्वीकृत नहीं की है ?

(ग) क्या यह सच है कि भोपाल राज्य ने उन्हें मृत्यु पर्यन्त १,६४,२३३ रु० वार्षिक वृत्ति देना स्वीकार किया है ?

(घ) क्या यह सच है कि वार्षिक वृत्ति की रकम विवादग्रस्त जायदाद के वार्षिक लगान से ५०,००० रु० अधिक है ?

(ङ) यदि यह सही है तो उन्हें यह अतिरिक्त राशि क्यों दी गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार यह सही है किन्तु राज्य सरकार के पुष्टिकरण की प्रतीक्षा है ।

(घ) नहीं । जागीर का सकल वार्षिक राजस्व लगभग ३,२८,००० रु० होने का अनुमान है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

बीड़ी अनुज्ञप्ति शुल्क

*१२३१. **श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार द्वारा १९५१ में फुटकर बीड़ी बेचने वालों से प्राप्त किया गया ३७ रु० ८ आ० अनुज्ञप्ति शुल्क ट्रावनकोर-कोचीन के इस तरह के फुटकर व्यापारियों को वृहद् संख्या में वापस करना है ?

(ख) क्या भारत सरकार फुटकर व्यापारियों की वह संख्या बतायेगी जिन्हें शुल्क वापस देना है और जिन्हें दिनांक १ अक्टूबर, १९५३ तक ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में यह रकम वापस नहीं की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख)। हां, ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के ६४१९ छोटे छोटे बीड़ी निर्माताओं में से ४१ के अतिरिक्त पहली अक्टूबर, १९५३ तक के सभी मामलों में अनुज्ञप्ति शुल्क लौटा दिया है। ४१ निलम्बित मामलों में २७ की अभी जांच की जा रही है और शेष १४ अनुज्ञप्ति-धारी मर गये हैं तथा उन के उत्तराधिकारी अभी रकम लेने नहीं आये हैं।

भारतीय नौ सेना अनुसंधान विभाग

*१२३४. **श्री नानादास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जहाज़ों के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक सामग्री के निर्माण के लिए कोई अनुसन्धान विभाग भारतीय नौ सेना के साथ लगाया गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या देश में राडर और रेडियो टेलीफोन के सामान के निर्माण के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

रक्षा संघगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) भारतीय नौ सेना से सम्बन्धित वैज्ञानिक विषयों और वैज्ञानिक औज़ारों के बनाने में अनुसन्धान और विकास कार्य करने वाला एक अनुसंधान संघठन भारतीय नौ सेना के साथ संलग्न है। तो भी भारतीय नौ सेना के पास सिवाये ऐसे साधारण प्रकार के सामान के जो भारतीय नौ सेना डाकयार्ड में बनाया जा सकता है, अन्य सामग्री के लिए निर्माण सम्बन्धी सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) इस देश में राडर और रेडियो टेलीफोन सामग्री का निर्माण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, तो भी बंगलौर का न्यू भारत इलैक्ट्रिनिक इंडस्ट्रीज़ कारखाना भविष्य में इस प्रकार की सामग्री का निर्माण करेगा।

खमरिया आयुद्ध कारखाना

*१२३५. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खमरियां आयुद्ध कारखाने में २० से २२ जुलाई १९५३ तक और तत्पश्चात हुई घटनाओं की कोई और जांच की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो जांच का परिणाम क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख)। जब मैं गत १३ अक्तूबर १९५३ को कारखाने में गया तो मैं ने खमरिया की जुलाई की घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न किया। मैं ने स्वयं सम्बन्धित कर्मचारियों और चिकित्सालय के कर्मचारियों से पूछताछ की और मैं श्रमिक संघ के कार्यपालकों के प्रतिनिधि मंडल से मिला। मैं ने चिकित्सालय के कतिपय अभिलेखों को भी देखा। कोई औपचारिक पूछताछ न तो की गई है और न करने का विचार है।

पानागढ़ में इंजीनियरिंग सामग्री के भंडार

*१२३६. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इंजीनियरिंग सामग्री के पानागढ़ के भंडारों के कुछ कर्मचारी

रदी करार दिये गये बैरकों अथवा खपरैलों में रहते हैं;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि उन से सामान्य दरों में पूरा किराया वसूल किया जा रहा है; तथा

(ग) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए प्राधिकृत स्तर के स्थायी निवासस्थान बनाने के लिए कोई पग उठाए हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १२ प्रधीनस्थ कर्मचारी ऐसी बैरक में रह रहे हैं जिसे गिरा देना है ।

(ख) उन में से प्रत्येक से रु० १ अ० १० प्रति मास का निर्धारित किराया वसूल किया जा रहा है । यह निर्धारित किराया साधारण किराये से कम है, जो कि वेतन का १० प्रतिशत होता है ।

(ग) असैनिक कर्मचारी निवास-स्थान के अधिकारी नहीं हैं, परन्तु पानागढ़ में विशेष परिस्थितियां होने के कारण कुछ असैनिकों को निवास स्थान दिया गया है । सेना के असैनिक कर्मचारियों में से लगभग ५० प्रतिशत के निवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी भवनों के निर्माण की एक परियोजना की स्वीकृति दी गई है ।

स्थायी निवास-स्थानों के लिए परियोजना पर विचार किया गया था परन्तु वित्त सम्बन्धी तंगी के कारण उसे छोड़ दिया गया ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

*१२३७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों के लिए उच्च न्यायिक योग्यता के व्यक्तियों को आकर्षित करने के उपायों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काट्जू) : जी नहीं ।

औद्योगिक गृह-व्यवस्था

*१२३८. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ देहू रोड, ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों को निवास स्थान प्रदान करने के हेतु और छटनी टालने के लिए गृह-निर्माण की योजना सरकार को भेजी है;

(ख) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो उस का निर्णय क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) । सरकार योजना पर विचार कर रही है ।

आसाम में तेल की खोज

*१२३९. **सरदार ए० एस० सहगल** :
डा० राम सुभग सिंह :

(क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आसाम की भुरभुरी चट्टानें तेल के लिये बहुत अच्छी होती हैं ?

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई खोज की गई है ?

(ग) क्या शिलांग के पठार और नागा पहाड़ियों के जंगल के पास की मिकिर पहाड़ियों की मेटामोर्फिक चट्टानों में भी तेल की भुरभुरी चट्टानें हैं ?

(घ) क्या सरकार एक ऐसा विवरण सदन पटल पर रखेगी जिस में यह दिया हुआ हो कि भारत में, विशेषतया भारत के पूर्वी भागों में, पैट्रोलियम के निक्षेपों का पता लगाने के लिये क्या क्या पग उठाये गये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग ने इस क्षेत्र में प्रारम्भिक भुतत्वीय कार्य किया है । आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड व्यावसायिक दृष्टि से तेल की खोज करेगी ।

(ग) शिलांग के पठार की मेटामोर्फिक चट्टानों में तेल नहीं है । किन्तु नागा पहाड़ियों के पश्चिमी सीमान्त की भुरभुरी टर्शियरी चट्टानों में कई बार तेल के धब्बे और चिह्न देखे गये हैं ।

(घ) एक विवरण, जिस में वांछित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]**

सोने का चौंर्यानयन

***१२४०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशी बस्तियों से सोने का चौर्यानयन बढ़ गया है;

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों ने १९५३ में कुल कितना सोना पकड़ा; और

(ग) इस चौयनियन को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं, श्रीमान् । वर्तमान लक्षणों के अनुसार विदेशी बस्तियों से सोने का चौर्यानयन घट रहा है ।

(ख) अक्तूबर १९५३ को समाप्त होन वाले दस मासों में सीमा शुल्क अधिकारियों ने विदेशी बस्तियों से चोरी से भारत में लाया जाता हुआ कुल ५,३२,७३६ रुपये का सोना पकड़ा ।

(ग) एक विवरण, जिस में चौर्यानयन को रोकने के लिये किये गये या किये जाने वाले मुख्य मुख्य उपाय दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४]**.

सेना द्वारा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

***१२४१. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय सेना की तीनों कमानें 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अधीन कुल कितने एकड़ भूमि में खेती कर रही है ; और

(ख) १९५२–५३ में कुल कितनी उपज हुई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ८,६२८ एकड़ ।

(ख) ८,४९७ टन ।

आबू क्षेत्र

***१२४२. श्री गिडवानी :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आबू क्षेत्र के बम्बई राज्य का एक भाग रहने या न रहने का प्रश्न तय हो गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसे अन्तिम निर्णय के लिये प्रस्तावित सीमा आयोग को सौंपा जायेगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) नहीं ।

(ख) इस पर राज्यों के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्तावित आयोग द्वारा विचार किये जाने की सम्भावना है ।

भूतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण

*१२४३ { **श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी:**
श्री वी० मिश्र :

(क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि १९५२–५३ में हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग और हिमाचल प्रदेश के लगभग २४१ भूतपूर्व सैनिकों ने डी० जी० आर० तथा ई० (पुनर्वास तथा नियोजन के महा निदेशकालय) और राज्य-संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

(ख) यदि हां, तो उन के प्रशिक्षण पर कितना धन व्यय किया गया था ?

(ग) क्या उक्त स्थानों में प्रशिक्षण-प्राप्त सभी व्यक्तियों को काम मिल गया या उसकी कोई व्यवस्था हो गई ?

(घ) क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग और हिमाचल प्रदेश के २४१ भूतपूर्व सैनिकों को डी० जी० आर० तथा ई० और राज्य संस्थाओं में १९५२-५३ में नहीं अपितु १९५०—५३ में प्रशिक्षण दिया गया था ।

(ख) इन भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने क्रमशः लगभग ७६,३६१ रुपये और ९६,३१५ रुपये व्यय किये ।

(ग) हैदराबाद के १६६ और हिमाचल प्रदेश के ६ को नौकरी दिला दी गई है । अन्य स्थानों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) लगभग सभी अन्य राज्यों में प्रशिक्षण की सुविधायें विद्यमान हैं और वे उन भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिये तैयार हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

*१२४४. **श्री नम्बियार : रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी हानि अथवा लाभ पर चल रही है; तथा

(ख) क्या फैक्टरी के आरम्भ होने से लेकर अब तक कोई लाभांश घोषित किया गया है तथा कोई राशि सामान्य रक्षित निधि में डाली गई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) यह थोड़े से लाभ पर चल रही है ।

(ख) १९४९–५० में ३ प्रतिशत लाभांश जिस की कुल राशि ५२५,००० रुपये बनती है, घोषित किया गया था तथा इस राशि को कम्पनी की अंश पूंजी में वापस डाल दिया गया था । सामान्य तथा अन्य रक्षित निधियों में डाली गई राशियां इस प्रकार हैं :—

सामान्य रक्षित निधि :

१९४७–४८	५,५५,८६९ रु०
१९५०–५१	३,००,००० रु०

अनुसन्धान तथा विकास रक्षित निधि :

१९५१–५२	७,२५,००० रु०

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

*१२४५. **श्री नम्बियार : रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी, बंगलौर में कोई निर्माण-कार्य समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि नहीं तो इस के कारण;

(ग) उत्पादन सम्बन्धी मामलों में मज़दूरों के सहयोग को प्राप्त करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) उत्पादन के विभिन्न क्रमों में अड़चनों के दूर करने की क्या व्यवस्था की गई है; तथा

(ङ) मज़दूरों को ऐच्छिक सहयोग देने में किस सीमा तक प्रोत्साहन दिया जाता है।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अभी नहीं।

(ख) निर्माण-कार्य समिति की स्थापना के मामले पर विचार हो रहा है। इस समय मजदूरों की प्रतिनिधि इस सन्था के सदस्यों की कुल संख्या तथा फैक्टरी के विभिन्न विभागों में उन की बांट के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के लगभग सभी विभागों में संयुक्त उत्पादन मंत्रणा समितियां, जिन में मज़दूरों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, बनाई गई हैं।

(घ) उत्पादन के सम्बन्ध में समस्याओं पर संयुक्त उत्पादन समिति की सभाओं में बहस की जाती है। उस में मज़दूरों के काफ़ी प्रतिनिधि होते हैं तथा अड़चनों को दूर करन के बारे में फैसले इन सभाओं में बहस के बाद किए जाते हैं।

(ङ) मज़दूरों के ऐच्छिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में विभिन्न समितियां बनाई गई हैं जिन में मज़दूरी के काफ़ी प्रतिनिधि लिए गए हैं। इस के अतिरिक्त एक सुझाव योजना भी चल रही है जिस के अनुसार कर्मचारियों को उत्पादन तथा क्षमता में सुधार करने के लिए सुझाव देने में प्रोत्साहित किया जाता है।

पाकिस्तान की प्रतिभूतियां

*१२४६. **सरदार हुक्म सिंह**: वित्त मंत्री ४ सितम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२७ तथा १०२८ के उत्तरों का निर्देश कर के बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रथम जनवरी, १९५३ से ३० सितम्बर, १९५३ तक के काल में उन पाकिस्तानी प्रतिभूतियों की राशि तथा ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय कोषों से पाकिस्तानी कोषों में बदल दिया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]

सेंट्रल आर्डनेन्स डिपो, कानपुर

*१२४०. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जुलाई, १९५३ के प्रथम सप्ताह में सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, कानपुर के कुछेक सीनियर अधिकारियों ने कमान अधिकारी को सरकारी परिवहन, क्रम तथा सामग्री के दुरुपयोग के बारे में भारी अनियमितताओं की रिपोर्ट की थी; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो कमान अधिकारी ने उन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) श्रीमान्, मैं स्वीकार करता हूं कि सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो के कुछ अधिकारियों ने अपने कमान अधिकारी को अधिकारियों के भोजन स्थान में किए गए सुधारों तथा डिपो के कर्मचारियों और उन के परिवारों की भलाई के निमित्त आयोजित एक 'कार्निवाल' अर्थात खेल तमाशे के सम्बन्ध में किए गए सरकारी सामान तथा श्रम के दुरुपयोग की अवश्य ही रिपोर्ट की थी। डिपो के कर्मचारियों ने दंड के बनाने तथा प्रशिक्षित करने के बारे में जन शक्ति के दुरुपयोग की भी शिकायत की थी।

(ख) आरोपों की जांच की गई थी तथा यह पता लगा था कि किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सामान मा वस्तु का ग़बन

नहीं किया गया तथा न ही श्रम का व्यक्तिगत लाभार्थ दुरुपयोग किया गया था तथा डिपो के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सामान्य लाभ के लिए कुछ सामान को थोड़े समय के लिये अस्थायी रूप से ही काम में लाया गया था। बाद में इसे डिपो को वापस कर दिया गया था तथा डिपो के सामान में मिला दिया गया था।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त की रिपोर्ट

*१२४८. **श्री भीखाभाई :**
श्री राम धनी दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त की दूसरी रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस के क्या नतीजे निकले ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त द्वारा की गई उन सिफ़ारिशों पर, जिन का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है, आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उन सरकारों से कहा गया है। केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित जो मामले हैं, उन के बारे में, जैसा पिछले सप्ताह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर होने वाली बहस के दौरान में बताया गया था, आवश्यक कार्यवाही की गई है या की जा रही है।

तम्बाकू-कर

*१२४९. **श्री संगण्णा :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों में तम्बाकू कर वसूल करने के लिये सर्टिफ़िकेट जारी किये गये हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों (१९५२-५३ तथा अब तक का १९५३-५४) में जारी किये गये इन सर्टिफ़िकेटों की संख्या और वसूल की गई राशि कितनी है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : जी हां, सरकार ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ़ जो बराबर कर से बचते रहे हैं, यह कार्यवाही करने पर मजबूर हुई है। वर्ष १९५३-५४ में कोई सर्टिफ़िकेट जारी नहीं किये गये हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]**

एपिलबी रिपोर्ट

*१२५०. **श्री रघुवीर सहाय :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सिंहासन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में लोक प्रशासन के बारे में, पाल एस० एपिलबी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एपिलबी रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों का अनुसरण करते हुए सरकार ने एक संगठन तथा प्रणाली विभाग खोलने तथा एक लोक प्रशासन संस्था की स्थापना करवाने का फ़ैसला किया है। रिपोर्ट से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए सहकारी समितियां

*१२५१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** (क) **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिये सहकारी समितियों की व्यवस्था की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो ये समितियां किस प्रकार की हैं ?

(ग) उक्त समितियों के धन प्राप्त करने के क्या साधन हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) समितियां दो प्रकार की हैं :

(१) कृषक सहकारी समितियां ।

(२) यातायात सहकारी समितियां ।

(ग) उपरोक्त भाग (१) के बारे में अनुदान केन्द्र, राज्यों तथा राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि समितियों द्वारा दिये जाते हैं । बस्ती के खर्चे को पूरा करने में वहां बसने वाले भूतपूर्व सैनिक भी अंशदान देते हैं । यदि उपरोक्त साधन पर्याप्त नहीं होते तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ऋण देती है ।

उपरोक्त भाग (२) के लिये राज्य युद्धोत्तर पुनः निर्माण निधि समितियां और केन्द्रीय सरकार ऋण देती है । योजना के खर्चे को पूरा करने के लिये बसने वाले सदस्य भी अंशदान देते हैं ।

कैन्टीन

***१२५२. श्री आर० एन० सिंह :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९५३ तक ठेकेदारों द्वारा चलाय गये कैन्टीनों की जगह सैनिक यूनिटों द्वारा चलाये जाने वाले कितने कैन्टीन स्थापित हुए हैं ?

(ख) इस नीति के फलस्वरूप सम्बन्धित यूनिटों को क्या फ़ायदे हुए हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३० नवम्बर, १९५३ तक ९४० ।

(ख) इन्फ़ेन्ट्री बटालियन के एक यूनिट को मासिक वित्तीय लाभ लगभग ६०० रुपये होता है । अन्य फ़ायदों में पहले की अपेक्षा अच्छा काम और सैनिकों को अधिक सुविधायें शामिल हैं ।

पीछड़े हुए वर्गों का आयोग

***१२५३. श्री संगण्णा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कुछ राज्य सरकारें अखिल भारतीय पिछड़े हुए वर्गों के आयोग के निर्देश पदों के अनुसार आवश्यक आंकड़े नहीं दे सकी हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो आयोग के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां, इस समय ।

(ख) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे पिछड़े हुए वर्गों के आयोग से संपूर्ण सहकार्य करें तथा उस के कार्य में यथाशक्य सारी सहायता दें । यह भी सुझाव दिया गया है कि जहां संभव हो, राज्य सरकारों द्वारा आयोग की प्रश्नावली को व्योरेवार उत्तर देने तथा आयोग द्वारा मांगी गयी जानकारी उपलब्ध कर देने के हेतु अल्प काल के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाय ।

आदिमजाति सम्मेलन

***१२५४. श्री भीखाभाई :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने अपने अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के आयुक्त द्वारा अब तक आदिमजातियों के कितने सम्मेलन संगठित किये हैं ; तथा

(ख) क्या सरकार द्वारा उन पर कोई व्यय किया गया था अथवा स्वयं किन्हीं संस्थाओं द्वारा वे संगठित किये गये थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) एक ।

(ख) सरकार द्वारा रु० २०९०-७-० खर्च किये गए ।

केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन

*१२५५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन अपने काम के लिए दशवर्षीय जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है अथवा स्वतंत्र रूप से आंकड़े इकट्ठे करता है ; तथा

(ख) क्या एक ही विषय पर आंकड़े इकट्ठे करने के काम में दोहराव को टाला जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन अपने काम के लिए दशवर्षीय जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है ।

(ख) जी हां ।

अफीम

*१२५६. **श्री ब्रह्म चौधरी** : (क) क्या वित्त मंत्री भारत के अफ़ीम की खेती वाले राज्यों के नाम तथा प्रत्येक राज्य का कुल वार्षिक उत्पादन बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) प्रत्येक राज्य में कुल वार्षिक खपत कितनी है ?

(ग) उत्पादन मूल्य तथा बिक्री मूल्य क्या है ?

(घ) क्या अफ़ीम का निर्यात होता है ?

(ङ) यदि हां, तो किन देशों को तथा कितने मूल्य की ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १९५२-५३ के सीज़न में उत्तर प्रदेश में ५३४६ मन, मध्य भारत में ६२०३ मन, राजस्थान में ४३६० मन तथा हिमाचल प्रदेश में ८५ मन अफ़ीम पैदा हुई ।

(ख) से (ङ) तक । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७]

त्रिपुरा के विद्यार्थियों को वृत्तियां

*१२५७. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के जो विद्यार्थी राज्य के बाहर जा कर वैद्यकीय अथवा स्थापत्य सम्बन्धी प्रशिक्षण लेना चाहें उन को फ़ीस के अतिरिक्त कुछ वृत्तियां देने की कोई व्यवस्था त्रिपुरा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा की गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने विद्यार्थी इन सुविधाओं से लाभ उठा रहे हैं ?

(ग) उन में से कितने आदिमजातीय हैं और कितने अन्य हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) आठ ।

(ग) २ आदिमजातीय, ६ अन्य ।

कच्चे माल पर आयात शुल्क में छूट

*१२५८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यहां के उद्योगों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के आयात पर आयात-शुल्क में कोई छूट दी जाती है ;

(ख) यदि हां तो उन कच्चे मालों तथा संबंधित उद्योगों के नाम क्या हैं; तथा

(ग) १९५२-५३ में कुल कितने धन की छूट दी गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) (क) हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ग) ऐसे मामलों में वापस दिये गये धन का कोई पृथक अभिलेख नहीं रखा जाता है ।

राजस्थान में जिपसम

***१२५९. श्री भीखाभाई :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में विभिन्न स्थानों से एक वर्ष में औसतन कितनी मात्रा में 'जिपसम' मिलता है ; तथा

(ख) राजस्थान में 'जिपसम' की कितनी खानें हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) गत तीन वर्षों का उत्पादन निम्न है :–

(१) १९५०—१,७१,१७२ टन

(२) १९५१—१,६८,३१३ टन

(३) १९५२—३,५६,१२५ टन

(ख) आजकल 'जिपसम' चार क्षेत्रों से निकला जाता है ।

चौकीदार

***१२६०. श्री वल्लभरास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बैरकों तथा स्टोरों में काम करन वाले चौकीदारों को साप्ताहिक तथा गजट-शुदा छुट्टियां तथा भोजन के लिये अवकाश प्राप्त करने की अनुमति नहीं है ;

(ख) क्या चौकीदारों के काम करने के घंटे निश्चित कर दिये गये हैं तथा, यदि हां तो, क्या इन घंटों को लागू कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को तीन वर्गों (ग्रेडों) में रखा गया है अर्थात् अस्थायी, नियमित अस्थायी तथा सामयिक कर्मचारी, और क्या सरकार की नीति उन्हें अस्थायी ही रखने की है ;

(घ) क्या १ अगस्त १९४९ से कर्मचारियों को अपनी अर्जित छुट्टियां प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है ; तथा

(ङ) यदि नहीं तो, क्या कारण है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) स्टोर-यार्डों तथा स्टोर-डिपोओं में काम करने वाले चौकीदारों को बारी बारी से साप्ताहिक तथा गजट-शुदा छुट्टियां दी जाती हैं । उन चौकीदारों को, जो रिक्त इमारतों की देखभाल के लिये रखे जाते हैं, वहां सपरिवार रहने की अनुमति है और उन्हें नियमित रूप में छुट्टियां नहीं दी जाती हैं । यदि आवश्यकता होती है तो अनुपस्थिति की अनुमति दी जाती है । यद्यपि टेकनिक अर्थों में वे चौबीसों घंटे काम पर रहते हैं तथापि पूर्णकाल उन के लिये अवकाश ही होता है ।

(ख) जो रिक्त इमारतों की देख भाल के लिये रखे जाते हैं, उन के अतिरिक्त शेष सब को आठ घंटे प्रति दिन काम करना पड़ता है ।

(ग) प्रायः उन का वर्गीकरण इस प्रकार होता है, स्थायी, अर्ध-स्थायी, अस्थायी तथा सामयिक । स्थान रिक्त होने पर उन में से कुछ स्थायी हो जाते हैं ।

(घ) १४ ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूमि अर्जन

*१२६२. **श्री कानावडे पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अहमद नगर जिला में 'करजुन-खरे आरमामेंट रेंजेस' के लिये भारत सरकार द्वारा अर्जित भूमि के कारण कितने गांवों को कृषि-योग्य भूमि से हाथ धोना पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन सारे भूमि-खण्डों को या इन में से कुछ को लौटाने का है; तथा

(ग) क्या भारत सरकार ने अर्जित भूमि के लिये कोई क्षतिपूर्ति मंजूर की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) गांवों की संख्या १३ है । अभी तक भूमि-खण्डों को अर्जित नहीं किया गया है अपितु वे अधिग्रहण के अन्तर्गत हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) भूमिखण्डों का अर्जन न होने के कारण उत्पन्न नहीं होता है । अधिग्रहीत होने के कारण भूमि-स्वामियों को आवर्तक क्षतिपूर्ति दी जाती है ।

सामुदायिक योजनाएं तथा सरकारी कर्मचारी

*१२६३. **श्री मुनिस्वामी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चन्दा इकट्ठा करने या सामुदायिक योजनाओं जैसी कार्यवाहियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : कोई ऐसा सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है । इस मामले पर प्रासंगिक आदेशों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४९]

कर्मचारियों को स्थायी बनाना

*१२६४. **डा० लंका सुन्दरम्** : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार के कुछ अधीनस्थ विभागों में युद्धकाल में भरती किये गये बहुत से कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है यद्यपि उन के पास शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएं नहीं थीं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि सचिवालय में उसी श्रेणी के कुछ अधिक सेवावधि वाले क्लर्कों को ऐसी रियायत नहीं दी गई है और यदि ऐसा है तो क्यों ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) कुछ अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के विषय में न्यूनतम अर्हता के नियम से समय समय पर गुणावगुण के आधार पर विमुक्ति दी गई है जैसे कि प्रतिरक्षा कार्यालयों के निम्न श्रेणी के क्लर्कों के विषय में किया गया है । ऐसे मामलों में शिक्षा सम्बन्धी अर्हता से रहित कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है ।

(ख) सचिवालय के क्लर्कों के विषय में ऐसी कोई विमुक्ति नहीं दी गई है क्योंकि :

(१) सचिवालय में उच्चतर स्तर के कार्य की आशा की जाती है ;

(२) सचिवालय में क्लर्कों के लिये शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता का नियम बहुत समय से लागू है । दूसरी ओर, अधीनस्थ कार्यालयों में, १९४७ से पूर्व ऐसा कोई व्यायक आदेश लागू नहीं था और विभागाधीश ही शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं विहित करते थे और उन से विमुक्ति भी वे ही देते थे ।

बेकारी

*१२६५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम सरकार ने बेकारी को दूर करने के लिये ग्रामीण शिक्षकों और समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं की भर्ती की योजना में भाग लेने के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जी हां, किन्तु अभी राज्य सरकार के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

नौसेना पदाधिकारियों का सम्मेलन

*१२६६. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिसम्बर, १९५३ के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में नौसेना पदाधिकारियों का ८वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां, ८वां ज्येष्ठ पदाधिकारियों का सम्मेलन ३० नवम्बर से ४ दिसम्बर १९५३ तक नई दिल्ली में हुआ था ।

(ख) सम्मेलन में नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर चर्चा हुई थी जोकि गोपनीय है ।

नौसैनिक प्रतिष्ठान

*१२६७. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने नौसैनिक प्रतिष्ठान हैं ?

(ख) कितने स्थानों में नौसैनिक पदाधिकारियों तथा अन्य नौसैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). छै नौसैनिक प्रतिष्ठान हैं और सभी में प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

शस्त्रास्त्र के कार खानों में प्रयोग की जाने वाली इमारती लकड़ी

*१२६८. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में शस्त्रास्त्र के कारखानों में कितने मूल्य की इमारती लकड़ी प्रयोग की गई ?

(ख) क्या यह सत्य है कि शस्त्रास्त्र के कारखानों में सामान बन्द करने की पेटियां, क्रेट और गोला-बारूद के सन्दूकों के बनाने के लिये, जिन के लिए कि बड़ी अच्छी तरह सस्ती प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है, देश में उपलब्ध बढ़िया किस्म की कीमती लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है ?

(ग) क्या इस कीमती लकड़ी के शेष टुकड़ों को व्यर्थ नष्ट किये बिना अच्छे कार्य में लगाया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) निम्नलिखित वर्षों में शस्त्रास्त्र के कारखानों में प्रति वर्ष निम्नलिखित मूल्य की इमारती लकड़ी प्राप्त हुई :—

१९५०-५१—१२ लाख रुपये
१९५१-५२—२२ लाख रुपये
१९५२-५३—२२ लाख रुपये

प्रति वर्ष कितने मूल्य की लकड़ी वस्तुतः प्रयोग में लाई गई इस के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं

(ख) उच्च श्रेणी की लकड़ी केवल गोला-बारूद के सन्दूकों के निर्माण के लिये प्रयोग की जाती है और साधारण सामान बन्द करने की पेटियों तथा क्रेटों के निर्माण के लिये कम कीमती प्रकार की लकड़ी प्रयोग

की जाती है । गोला-बारूद के सन्दूकों के लिये निम्न श्रेणी की लकड़ी उपयुक्त नहीं होती है ;

(ग) जी हां ।

संस्थाओं को अनुदान

*१२६९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय शिक्षा विकास योजना के अधीन क्रमश: पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक, प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना या विकास के लिये १९५२-५३ में कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) इन राज्यों में इन अनुदानों के लिये कौन-कौन सी संस्थाओं को चुना गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०]

भबीना गोली चलाने का क्षेत्र

*१२७०. **श्री वी० जी० देशपांडे** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भबीना के गोली चलाने के क्षेत्र के लिये रक्षा विभाग ने मध्य भारत के शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के बाईस गांवों का अधिग्रहण किया था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उन का अधिग्रहण महायुद्ध की समाप्ति के दो वर्ष बाद तक के लिये किया गया था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि यह भूमि अभी तक लौटाई नहीं गई है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि निर्वासितों को गत आठ वर्षों से कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है ?

(ङ) सरकार का निर्वासितों को कब तक प्रतिकर देने का विचार है और मूल निवासियों को ये गांव कब लौटाये जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां । यह भूमि किराये पर ली गई थी अधिगृहीत नहीं की गई ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) जुलाई १९४६ तक प्रतिकर दे दिया गया है ।

(ङ) मध्य भारत सरकार से भुगतान की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है । मूल निवासियों को किसी भूमि के लौटाये जाने का प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि रक्षा सेनाओं को कौन-से क्षेत्र की स्थायी रूप से आवश्यकता होगी । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

भारत तथा युगोस्लाविया द्वारा छात्रवृत्तियों का आदान प्रदान

*१२७१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार की ओर से युगोस्लाविया के किसी विद्यार्थी को भारत में पढ़ने के लिये कोई छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्या क्या विषय पढ़ने के लिये; और

(ग) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में युगोस्लाविया सरकार की ओर से कितनी छात्रवृत्तियां भारतीय विद्यार्थियों को मिली हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). अभी तक नहीं, किन्तु शीघ्र ही प्रस्ताव किया जायेगा । प्रति मास २०० रुपये और पढ़ाई तथा परीक्षा शुल्क का प्रस्ताव किया जायेगा । विषय उम्मीदवार की इच्छा और उपलब्ध विषयों पर निर्भर करेगा ;

(ग) १९५२-५३ में दस और १९५३-५४ में सात ।

हवलदार क्लर्कों की पदावनति

*१२७२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध में सीधे भर्ती किये गये हवलदार क्लर्कों की कार्य-विमुक्ति और पदावनति का कार्यक्रम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने नायक और लांस-नायक बना दिये गये हैं और कितने स्वेच्छा से कार्य छोड़ गये हैं ;

(ग) क्या इस बात की पड़ताल कर ली गई है कि इन में से कुछ नान-कमीशन्ड पदाधिकारी आरम्भ में नियमित सैनिकों के रूप में भर्ती हुए थे और पदोन्नति कर के लांस-नायक या नायक बना दिये गये थे किन्तु बाद में रणक्षेत्र में क्लर्कों की अत्यधिक कमी होने के कारण उन्हें उन की इच्छा के विरुद्ध हवलदार क्लर्क बना दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या यह निश्चय किया गया है कि उन्हें कम से कम तब तक अपने हवलदार के पद पर काम करते रहने दिया जाये जब तक वे अयोग्य होने के कारण सेना से निकाल न दिये जायें ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग ६,७०० ने निम्न पदों पर काम करना पसन्द किया । जिन्हें नायक और लांस-नायक बना दिया गया उन की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है । लगभग २,९०० स्वेच्छा से काम छोड़ गये हैं ।

(ग) किसी को बिना उस की सहमति से पुनः क्लर्क नहीं बनाया गया था ।

(घ) और (ङ) . प्रश्न नहीं उठते ।

श्रेणी ४ के कर्मचारियों का दैनिक भत्ता

*१२७३. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या महंगाई वेतन के मूल वेतन में मिला दिये जाने के कारण श्रेणी ४ के कर्मचारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों के दैनिक भत्ते की दर बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये भी उसी अनुपात से दैनिक भत्ते की दर निश्चित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) नहीं ; केवल उन मामलों को छोड़ कर जिन में कि दैनिक भत्ते की दर वेतन के अनुसार घटती बढ़ती है ।

(ख) श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये ऊंची दैनिक भत्ते की दर निश्चित करने के प्रश्न पर पहिले ही विचार किया जा रहा है । किन्तु इस में ठीक ठीक कितनी वृद्धि की जाये यह अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने की आशा है ।

"मृत्यु व सेवानिवृत्ति उत्पादन"

*१२७४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या वित मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सत्य है कि गाडगिल समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को "मृत्यु व सेवानिवृत्ति" उपदान देने के लिये और उन के निवृत्ति वेतन की गणना के लिये महंगाई वेतन को मूल वेतन में सम्मिलित कर लिया जाये ;

(ख) क्या यह सत्य है कि समिति की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकार के आदेशों के बारे में शंकायें प्रकट की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन आदेशों को स्पष्ट करने का विचार है ?

वित उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग). गाडगिल समिति की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप यह आदेश दिये गये थे कि केन्द्रीय सरकार के सभी नौकरों के 'मृत्यु व सेवानिवृत्ति' उपदान और निवृत्ति वेतन की गणना करने के लिये मूल वेतन में महंगाई वेतन को सम्मिलित कर लिया जाये। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इन आदेशों के श्रेणी ४ के कर्मचारियों पर लागू होने के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया था अतः बाद में विशेष रूप से यह आदेश दे दिया गया जिस में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये श्रेणी ४ के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं।

गाडगिल समिति

*१२७५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या वित मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वेतन में महंगाई भत्ता मिला देने के सम्बन्ध में गाडगिल समिति की सिफ़ारिशों को लागू करने से "ग" श्रेणी के स्थानों में रहने वाले ७५ रुपये और १०० रुपये के बीच वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को घर-भाड़ा नहीं मिलेगा और उस वेतन स्तर में अगली वेतन वद्धि मिलने की तिथि तक ही उन्हें वेतन की हानि के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें इस वेतन हानि से संरक्षण देन का विचार है ?

वित उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) 'ग' श्रेणी के स्थानों में रहने वाले और ७५ रुपये तथा १०० रुपये प्रति मास के बीच वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जिन का वेतन आधे महंगाई भत्ते के वेतन में मिल जाने के कारण कम हो जायेगा एक प्रकार का निजी प्रतिकर भत्ता दे कर संरक्षण दिया गया है जो कि भविष्य में उन के वेतन की वृद्धि में उसी प्रकार मिल जायेगा जैसे कि 'क' और 'ख' श्रेणी के स्थानों के इसी प्रकार प्रभावित कर्मचारियों का। यह सुविधा केवल अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक ही सीमित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्राफ़ समिति

*१२७६. **श्री बंसल :** क्या वित मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रिज़र्व बैंक द्वारा श्री ए० डी० श्राफ़ की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का काम, उद्योग के लिए थोड़े समय के ऋणों तक ही सीमित है ?

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमख) : जी नहीं। रिज़र्व बैंक द्वारा श्री ए० डी० श्राफ़ की अध्यक्षता में बनाई गई समिति इस बात पर विचार करेगी कि जो संसाधन करारोपण जांच समिति के विचाराधीन हैं उन के अतिरिक्त दूसरे साधनों में से गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के लिए पहले से अधिक वित की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। विशेषतया यह समिति इस बात की जांच करेगी कि गैर-सरकारी क्षेत्र में विकास के लिए बैंकों द्वारा अधिक वित्त की व्यवस्था की जा सकती

है या नहीं। इस समिति के काम में गैर-सरकारी उद्योग को न केवल कम समय बल्कि लम्बे समय के लिए सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार करना भी शामिल है।

नागा राष्ट्रीय परिषद्

*१२७७. **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री एस० सी० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न ४९४ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा राष्ट्रीय परिषद् के नेता किस प्रकार और किस रूप में राज्य-विरोधी तथा भारत-विरोधी प्रचार करते रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात के वास्तविक कारणों का पता लगाया है कि नागा राष्ट्रीय परिषद् के नेता राज्य-विरोधी तथा भारत-विरोधी प्रचार क्यों करते रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इन कारणों को दूर करने तथा नागा लोगों के साथ सद्भावना स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) नागा राष्ट्रीय परिषद् के नेता बहुत सी गैर कानूनी कार्यवाहियां करते रहे हैं, जिन में राजभक्त नागा कर्मचारियों पर आक्रमण तथा उन्हें धमकाना भी शामिल है। सरकार का ध्यान उन आपत्तिजनक और सरकार विरोधी पर्चों की ओर भी गया है जिन में नागा लोगों से कहा गया था कि 'स्वतन्त्रता दिवस' समारोह में भाग न लें और अपने आप को भारतीय कहने से इन्कार करें।

(ख) इस का कारण यह बताया जाता है कि नागा लोग यह चाहते हैं कि वे भारत से बिल्कुल अलग स्वतन्त्र हों।

(ग) सरकार नागा लोगों को देश के हितों का ज्ञान कराने की यथासम्भव चेष्टा कर रही है। उस ने एक नागा को गौरवा बैंच कोर्ट का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यह न्यायालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार नागा प्रदेश के आन्तरिक भागों में प्रशासन के और केन्द्र खोलने का विचार कर रही है। उन के ज़िले में विकास की योजनाएं लागू की जा रही हैं और स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और पानी की व्यवस्था करने की और योजनाएं बनाई जा रही हैं।

आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल

*१२७८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल के लिए पूरा समय काम करने वाला एक प्रिंसिपल नियुक्त करने के सम्बन्ध में ४ सितम्बर १९५३ के तारांकित प्रश्न १०३३ को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उस के बाद से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल के लिए पूरा समय काम करने वाला एक प्रिंसिपल नियुक्त करने का निश्चय किया गया है। इस पद के लिए उपयुक्त अधिकारी चुनने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

पाकिस्तानी कालिजों में भारतीय छात्र

*१२७९. **पंडित एस० सी० मिश्र** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पासपोर्ट व्यवस्था प्रारम्भ किए जाने की तिथि को कितने भारतीय छात्र पाकिस्तानी कालिजों में पढ़ रहे थे ?

(ख) उन में से कितने अभी तक भारत के नागरिक हैं ?

(ग) यदि ये छात्र वापिस आ कर भारतीय संस्थाओं में प्रवेश पाना चाहें तो क्या सरकार इन्हें सुविधाएं देगी ?

(घ) क्या इन छात्रों का उन के संरक्षकों ने भारत सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (ग). यह जानकारी अभी नहीं मिल सकती ; इकट्ठी किये जाने पर यह सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) नहीं श्रीमान ।

विन्ध्य प्रदेश को सहायक अनुदान

***१२८०. श्री रणदमन सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५३–५४ के लिए विन्ध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शिक्षण तथा आर्थिक उन्नति के लिए अलग अलग कितनी राशि का सहायक अनुदान दिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १९५३–५४ के लिए विंध्य प्रदेश राज्य को, अनुसूचित जातियों के कल्याण अर्थात छूतछात दूर करने के लिए, २ लाख रुपया दिया गया है। पिछड़े हुए वर्गों के लिए अलग से राशि नहीं दी गई क्योंकि पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग की सिफारिशें आने वाली हैं ।

बोनस वाले हिस्से

***१२८१. श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले आय-व्ययक में, बोनस वाले हिस्सों के जारी करने पर प्रस्तावित करारोपण सम्बन्धी अफ़वाहों के फलस्वरूप कलकत्ता और बम्बई की बहुत सी कम्पनियों ने अपनी रक्षित निधि में से ऐसे हिस्से अधिक संख्या में जारी करने प्रारम्भ कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो, क्या इसे रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) सरकार को उन अफ़वाहों का पता नहीं है जिन की ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है । परन्तु सम्भव है कि कुछ प्रार्थना पत्र इस आशंका से दिए जा रहे हों । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पिछले चार वर्ष में जारी किए गए बोनस वाले हिस्सों के आंकड़ों की प्रारम्भिक जांच से यह मालूम नहीं होता कि इन के जारी करने की अनुमति पहले की अपेक्षा अधिक दी गई है । परन्तु इस वर्ष में अब तक जितनी पूंजी ऐसे हिस्सों द्वारा जारी करने की अनुमति दी गई है, वह पहले से कुछ अधिक है । परन्तु यह वृद्धि मुख्यतः एक मामले के कारण है, जिस के कई विशेष पहलू थे ।

(ख) सरकार समय समय पर इस प्रश्न की ध्यानपूर्वक जांच करती है और जब भी आवश्यक हुआ, सरकार समुचित कार्यवाही करेगी ।

रियासती सेना का विलय

***१२८२. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **रक्षा** मंत्री १३ मार्च, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न ७३८ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सेना के विलय के सम्बन्ध में बात कहां तक बढ़ी है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : विलय अभी नहीं हुआ है परन्तु इस से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार किया जा रहा है । इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि विलय में देरी हुई तो अन्तरिम स्थिति को कैसे निपटाया जायगा ।

रोजगार केन्द्र

***१२८३. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों के मुख्य अधिकारियों को इस

सम्बन्ध में विशेष आदेश दिए गए हैं कि जब भी कुछ विशेष श्रेणियों के पद रिक्त हों तो उन की सूचना रोज़गार केन्द्र को दे दी जाय ?

(ख) यदि हां, तो ठीक ठीक क्या आदेश दिए गए थे और क्या विभागों तथा मंत्रालयों के मुख्य अधिकारी उन आदेशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी हां। यह आदेश लागू किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षाओं या सामान्य विभागीय पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को छोड़ कर सभी पदों के जो स्थान रिक्त हों, उन की सूचना रोज़गार केन्द्र को दी जाय और उन पर वही व्यक्ति नियुक्त किए जाय जिन्हें रोज़गार केन्द्र नामनिर्देशित करे। परन्तु इस आदेश के अपवाद निम्नलिखित हैं :

(१) जहां गृह-कार्य मंत्रालय ने, विशेष कारणों से, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति दी हो।

(२) अनुसूचित जातियों या जन-जातियों और आंग्ल-भारतीयों के लिए रक्षित स्थानों के सम्बन्ध में, विभागों तथा मंत्रालयों के मुख्य अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे ऐसे रिक्त स्थानों का विज्ञापन दें और उपरोक्त जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वीकृत संस्थाओं को इन की सूचना दें। ऐसे मामलों में रोज़गार केन्द्रों के नाम निर्देशन के अतिरिक्त अन्य ढंग से करने की भी अनुमति है।

सरकार के पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये वित्त व्यवस्था

*१२८४. **श्री एच० एस० प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिज़र्व बैंक ने १९५३–५४ में उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों तथा सहकारी समितियों द्वारा फ़सलों की बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : जी, हां। रिज़र्व बैंक ने धन के बांटने के लिए जो लक्ष्य निश्चित किया है, उस में १९५३–५४ में उत्तर प्रदेश में मौसम के कृषि-कार्यों तथा फ़सलों की बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में २ करोड़ रुपये रखे हैं। रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया अधिनियम, १९३४ की धारा १७ (२) (ख) और १७ (४) (क) के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की मार्फ़त लिये जा सकने वाले ऋणों के लिए ४ दिसम्बर, १९५३ तक ३९ ६ लाख रुपये तक के प्रार्थना पत्र आए थे और स्वीकार कर लिए गए थे।

मुख्य चुनाव आयुक्त

*१२८५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कितने समय के लिये तथा किन शर्तों के अधीन भारत से बाहर भेजा गया है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मुख्य चुनाव आयुक्त के सुडान में रहने का काल ३ मार्च १९५३ से दिसम्बर १९५३ के अन्त तक या अपना काम समाप्त कर लेने तक—जो भी पहले हो—था। एक विवरण, जिस में उन के बाहर काम करने सम्बन्धी शर्तें हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१]**.

चित्तौड़गढ़ तथा कुम्भलगढ़ के दुर्ग

*१२८६. **श्री बलवन्त महता :** (क) **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या यह सच है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तथा कुम्भलगढ़ के दुर्गों को राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक घोषित कर दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कब संभाल लिया था तथा उन के रक्षण व जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(ग) उन में से प्रत्येक पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां।

(ख) १ जून १९५३ से। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में नौलखा भण्डार तथा राणा कुंभ के महल में विशेष जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के जीर्णोद्धार के सम्पूर्ण कार्य के पूर्ण होने में ३ या ४ वर्ष और लगेंगे। कुम्भलगढ़ के दुर्ग का निरीक्षण हो चुका है और उस के जीर्णोद्धार का कार्य यथासमय आरम्भ होगा।

(ग) १९५२–५३ में चित्तौड़गढ़-दुर्ग के जीर्णोद्धार पर १५,००० रु० व्यय हुआ था। क्योंकि कार्य चल रहा है चालू वैत्तिक वर्ष में हुए व्यय के ठीक आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

सैन्य परिचारिका सेवा

*१२८७. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सैन्य परिचारिका (नर्सिंग) सेवा में लगभग ७५ परिचारिकाओं को कमीशन के लिये चुना गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन के प्रशिक्षण पर कुछ व्यय किया है ?

(ग) आरम्भ में उन्हें कितना वेतन दिया जायेगा ?

रक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) इस वर्ष केवल ५२ अभ्यर्थियों को सैन्य परिचारिका सेवा में परिचारिकाओं के रूप में कमीशन देने के लिये चुना गया है।

(ख) नहीं, क्योंकि चुने गये अभ्यर्थी पहिले से ही प्रशिक्षित हैं ?

(ग) भत्तों के अतिरिक्त, जो ८० रु० मासिक होते हैं, २२५ रु० प्रति मास।

सैनिक, नाविक तथा वायु सैनिक बोर्ड

*१२८८. **श्री हेम राज :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सैनिकों, नाविकों तथा वायुसैनिकों के कितने बोर्ड काम कर रहे हैं ?

(ख) क्या उन के पुनः वर्गीकरण के लिये सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है ?

(ग) यदि हां तो, क्या इस का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १८७.

(ख) हां।

(ग) प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति की सिफ़ारिशें गोपनीय हैं अतः उन्हें बताना लोकहित में नहीं है।

वैदेशिक ईसाई मिशनरी

*१२८९. **श्री सर्मा :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन विदेशियों ने अपने आप को भारत में रजिस्टर करा लिया है, उन्हें कार्यवश अथवा छुट्टी पर देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते समय पुलिस को सूचना देनी पड़ती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस को सूचना देने की शर्त समस्त विदेशियों पर, जिन में ईसाई मिशनरी भी सम्मिलित हैं, लागू होती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) विदेशी पर्यटकों अथवा उन विदेशियों जिन की यात्रा में भारत पड़ता है, के अतिरिक्त विदेशियों को, यदि वे अपने दिये गये पते से दो सप्ताह से अधिक के लिये अनुपस्थित होना चाहते हैं अथवा अन्य ज़िला में होटल के अतिरिक्त और कहीं एक सप्ताह से अधिक तक रहना चाहते हैं तो, पुलिस को सूचित करना पड़ता है ।

(ख) हां; जब तक कि वे यात्रा-अनुमति-पत्र प्राप्त नहीं कर लेते हैं जो उन्हें अपने आवागमन की सूचना दिये बिना स्वतन्त्र रूप से आवागमन करने का अधिकार देगा । विदेशी, जिन में मिशनरी सम्मिलित हैं, जिन्हें बार बार यात्रा करनी पड़ती है, प्रायः ऐसा करते हैं ।

शारीरिक शिक्षा

*१२९०. **बाबू रामनारायण सिंह** : (क) **शिक्षा** मंत्री ७ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९२९ के उत्तर का निदेश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी परामर्श-दाता बोर्ड की उपसमिति ने स्कूलों तथा कालिजों में मनोरंजक कार्यवाहियों तथा योगिक शारीरिक शिक्षण सहित शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी निदेशों के पाठ्यक्रम के लिए विद्यमान व्यवस्था पर विचार कर लिया है ?

(ख) यदि हां तो, उन के निश्चय क्या हैं और निदेशों के विद्यमान पाठ्यक्रम में क्या सुधार किये गये हैं ?

(ग) क्या सरकार ने योगिक शारीरिक शिक्षण में खोज करने के लिये विश्वविद्यालयों में योगिक शारीरिक शिक्षण सम्बन्धी पदें बनाने के प्रश्न पर विचार किया है ?

(घ) यदि हां तो, परिणाम क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां ।

(ख) उप-समिति का अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) तथा (घ). मामला विचाराधीन है ।

आयुध-निर्माणशालाओं के सुपरिन्टेन्डेन्टों की बैठक

*१२९१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २५ तथा २६ अक्टूबर १९५३ को हुई आयुध-निर्माणशालाओं के सुपरिन्टेन्डेन्टों की बैठक में जिस के बारे में समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं यदि कोई निश्चय हुए थे तो क्या ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : २२, २३ तथा २४ अक्टूबर १९५३ को हुई आयुध-निर्माणशालाओं के सुपरिन्टेन्डेन्टों के सम्मेलन में असैनिक उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन के लिये अतिरेक सामर्थ्य का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ था । यह निश्चय हुआ था कि रक्षा सेवाओं का अनुमान कार्य-भार में भारी परिवर्तन न होने देने की दृष्टि, पर्याप्त समय पूर्व लगाया जाना चाहिये । यह भी निश्चय किया गया था कि असैनिक व्यापार-कार्य के सम्बन्ध में जांच पड़ताल शीघ्रता से व्यापारिक ढंग से होनी चाहिये । सुपरिन्टेन्डेन्टों को कुछ अधिक वैत्तिक तथा प्रशासकीय अधिकार देने के प्रश्न पर विचार किया गया था । सब सम्बन्धित व्यक्तियों से यह आग्रह किया गया था कि मज़दूर-सम्बन्ध न्याय, सेम

तथा औचित्य के सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहियें ।

त्रिपुरा में चीता संकट

*१२९२. **श्री दशरथ देव :** क्या राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार को विदित है कि धर्मनगर से बेलोनिया तक त्रिपुरा के आदिम-जाति-क्षेत्रों में चीते विपुल संख्या में पाये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गत कुछ मासों में चीतों ने लगभग २५ व्यक्ति मार दिये थे; तथा

(ग) ग्राम वासियों की रक्षा के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां ।

(ख) गत कुछ मासों में ९ व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली थी ।

(ग) राज्य का वन-विभाग इस विशेष कार्य के लिये अपने वन-परिरक्षी कर्मचारियों को काम पर लगाता है । जब कभी कोई दुर्घटना की सूचना प्राप्त होती है तब स्थानीय शिकारियों को भी काम पर लगाया जाता है ।

सत्ता हस्तान्तरण पर श्री वी० पी० मेनन की पुस्तक

*१२९३. **ठाकुर लक्ष्मणसिंह चरक :**
श्री यू० स० दुबे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :––

(क) क्या सरकार को विदित है कि रौकफैलर फाऊन्डेशन ने इण्डियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफ़ेयर्स के साथ एक पुस्तक के प्रकाशन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक समझौता किया है जो भारत में सत्ता-हस्तान्तरण के विषय पर लिखी जायेगी और भारत सरकार के राज्य मंत्रालय के पेंशन-प्राप्त सचिव, श्री वी० पी० मेनन की देखभाल में प्रकाशित होगी ।

(ख) क्या उपरोक्त पुस्तक में भारत सरकार के राज-पत्र होंगे जिन के बारे में कहा जाता है कि वे आज कल श्री वी० पी मेनन के पास हैं; तथा

(ग) क्या सरकार ने प्रकाशित होने वाली पुस्तक में राज-पत्रों को सम्मिलित करने के लिये श्री वी० पी० मेनन को अनुमति दे दी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां । यह सर्वथा एक गैर-सरकारी प्रबन्ध है जिस से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) तथा (ग). सरकार को किसी भी ऐसे राज-पत्र का पता नहीं है जो श्री वी० पी० मेदन के पास हों । उन्हों ने भी ऐसे पत्रों का प्रयोग करने के लिये अनुमति प्राप्त करने की प्रार्थना नहीं की है । सरकार को विश्वास है कि श्री वी० पी० मेनन को सरकारी भेद अधिनियम के उपबन्धों का पूर्ण ज्ञान है ।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल

*१२९४. **श्री यू० एस० त्रिवेदी :** (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रक्षित पुलिस से सम्बद्ध अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) उन में से कितने केन्द्रीय रक्षित पुलिस संवर्ग पर हैं ?

(ग) केन्द्रीय रक्षित पुलिस-संवर्ग वालों तथा बाहर से बुलाये गये व्यक्तियों के वतनों में क्या अन्तर है ?

(घ) इन अधिकारियों में से कितने अस्थायी आधार पर नियुक्त हैं और क्यों ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) बीस।

(ख) ग्यारह।

(ग) केवल बाहर से बुलाये गये राजपत्रित अधिकारियों को अपने वेतन के अतिरिक्त जो उन का उन के मूल कार्यालय में होता है, १५० रु० से ४०० रु० तक प्रति मास विशेष वेतन मिलता है।

(घ) छः। क्योंकि प्रथम बटालियन में जो स्थान है उन के अतिरिक्त सब स्थान अस्थायी हैं।

सैन्य अधिकारियों का नौकरी से हटाया जाना

*१२९५. **डा० लंका सुन्दरम् :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सेना में बहुत से अधिकारियों को, जो १२ वर्ष से अधिक काल तक नौकरी कर चुके हैं परन्तु जिन्हों ने १९५० के ए० आई० आई० ११५ के अनुसार हाल में ही पुरःस्थापित की गई पदोन्नति-परीक्षा पास नहीं की है, नौकरी से हटाया जायेगा ?

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सेना में ३० वर्ष की आयु वाले अधिकारियों को ऐसी परीक्षा पास करने से छूट दी जाती है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) पदोन्नति की दो परीक्षायें हैं। एक कप्तान के मूल पद के लिये पदोन्नति परीक्षा तथा दूसरी मेजर के मूल पद के लिये पदोन्नति परीक्षा। पदोन्नति के लिये निश्चित नौकरीकाल पूर्ण होने के पश्चात एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व सेना के नियमित अधिकारियों को परीक्षायें पास करनी पड़ती हैं। यह नौकरी काल कप्तान-पद के लिये पदोन्नति के लिये छः वर्ष, तथा मेजर-पद के लिये पदोन्नति के लिये १३ वर्ष है जो अधिकारी निश्चित समय में परीक्षा पास कर सकेगा उसे सेना की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। १ जुलाई, १९५४ तक परीक्षा पास करने में असफल होने के कारण नौकरी से हटाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। इस दिनांक को कुछ मामलों में निश्चित समय समाप्त हो जायगा।

(ख) हमारी जानकारी यह है कि ब्रिटिश सेना में केवल उन अधिकारियों को जिन की आयु १ जनवरी १९५० को, जब यू० के० में पदोन्नति परीक्षा पुरःस्थापित की गई थी, ३० वर्ष की हो गई थी कप्तान के पद से मेजर-पद के लिये पदोन्नति के लिए परीक्षा से छूट दी गई थी। हमारे नियम कुछ भिन्न हैं और हम ने उन अधिकारियों को छूट दी है, जिन की नौकरी कप्तान या मेजर के अगले मूल पद के प्रति पदोन्नति के लिये जैसा भी मामला हो, १ जुलाई १९५१ को दो वर्ष से कम थी।

त्रिपुरा में रुपया ब्याज पर देने की व्यवस्था

५५४. **श्री दशरथ देब :** राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा में किसानों को महाजनों से बहुत अधिक दर पर रुपया मिलता है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो ब्याज की दर कम करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). त्रिपुरा में वर्तमान क़ानून के अनुसार महाजन कुल ब्याज मूलधन की राशि से अधिक नहीं ले सकते। हां, महाजनों द्वारा नये कागज लिखवाने की गुंजाइश जरूर है जिस में ब्याज तथा मूलधन दोनों की राशिको मूलधन ही दिखाया जा सकता है। इस के लिये भाग के

राज्यों के क़ानून को त्रिपुरा पर लागू करनेके बारे में विचार हो रहा है।

लवडेल और सनावर के लारेंस स्कूल

५५५. **श्री एन० एम० लिंगम् : शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) लवडेल तथा सनावर के लारेंस स्कूलों के प्रबन्ध को प्रशासन-पर्षदों को सौंपे जाने से पहले और बाद में इन स्कूलों के लेखायों का परीक्षण किस के द्वारा होता रहा है;

(ख) क्या लेखा-परीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं;

(ग) क्या स्कूलों के हेडमास्टरों के प्रशासन सम्बन्धी कोई अधिकार दिये गये हैं; तथा

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२**]

वडेल तथा सनावर लारेंस स्कूल

५५६. **श्री एन० एम० लिंगम् : शिक्षा** मंत्री बतलान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लवडेल और सनावर के लारेंस स्कूलों के पास प्रदान की हुई कोई सम्पत्ति है;

(ख) यदि है तो कैसी और कितनी;

(ग) सम्पत्ति के प्रदान की शर्तें क्या हैं;

(घ) स्कूलों में "अधिकार-प्राप्त बालकों" को क्या रियायतें दी जाती हैं; तथा

(ङ) लावडेल और सनावर में अधिकार-प्राप्त बालकों की संख्या क्या है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ङ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३**]

अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों के लिये सहायक अनुदान

५५७. **श्री भीखा भाई : गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद २७५ केअन्तर्गत प्राप्त होने वाले सहायक अनुदानों का राज्य सरकारों द्वारा अलग लेखा रखा जाता है;

(ख) सारे केन्द्रीय सहायक अनुदानों के लेखे राज्यों द्वारा अलग अलग रखे जाते हैं या एक साथ; तथा

(ग) क्या लेखा-परीक्षण राज्य के लेखा-परीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है या केन्द्र के ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). सरकार के पास इस विषय में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ग) सम्बन्धित राज्य के महालेखापाल द्वारा, जो नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण के आधीन होता है।

आम चुनाव

५५८. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या वधि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले आम चुनावों में (१) लोकसभा; (२) राज्यपरिषद् (३) राज्य विधान सभाओं; तथा (४) राज्य विधान-परिषदों के लिये नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की अलग अलग संख्या;

(ख) इन सदनों के लिये यथा विधि नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की अलग अलग संख्या; तथा

(ग) उन उम्मीदवारों की संख्या जिहोंने अपने नाम वापस लिये ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) :(क)से(ग) सूचना इस प्रकार है ।

	(क) नाम निर्दिष्ट उम्मीद-वारों की संख्या	(ख) यथाविधि नाम निर्दिष्ट उम्मीद-वारों की संख्या	(ग) नाम वापस लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या
(१) लोकसभा	२८३४	१८७४	८२७
(२) राज्य परिषद्	३४५	२८२	५७
(३) राज्य विधान सभायें	२३२८१	१५३६६	६५१०
(४) राज्य विधान परिषद्	१०४१	८१०	१९६

आम चुनाव

५५९. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **विधि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके नाम निर्देशन पिछले आम चुनावों में किसी भी आधार पर अस्वीकृत किये गये;

(ख) उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके नाम निर्देशन टेकनिकल आधार पर अस्वीकृत किये गये;

(ग) उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके नाम निर्देशन इसलिये अस्वीकृत किये गये क्योंकि वे अर्ह नहीं थे, तथा

(घ) उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके नाम निर्देशन इसलिये अस्वीकृत किये गये क्योंकि वे अनर्ह थे और इनमें से (१) उनकी संख्या जो राजद्रोह के कारण अनर्ह ठहराये गये, या (२) जन प्रतिनिधान अधिनियम १९५१ की धारा ७ के विभिन्न खंडों के अंतर्गत (अलग अलग) अनर्ह ठहराये गये ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

(१) लोक सभा	१३३
(२) राज्य परिषद्	६
(३) राज्य विधान सभायें	१४०५
(४) राज्य विधान परिषद्	३५

(ख) से (घ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

निर्वाचन याचिकायें

५६०. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : **विधि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आम चुनावों के बारे में दी गई कितनी निर्वाचन याचिकायें सफल रहीं;

(ख) इनमें से कितनी याचिकाओं में ग़लत नाम निर्देशन पर आपत्ति उठाई गई है; तथा

(ग) इनमें से कितनी याचिकायें नाम निर्देशनों की ग़लत अस्वीकृति या स्वीकृति के कारण सफल हुई हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) १२४

(ख) न्यायाधिकरणों को निर्दिष्ट की गई ३१४ याचिकाओं में से १९३ में ।

(ग) ८६ ।

निर्वाचन याचिकाओं पर व्यय

५६१. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : **विधि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नाम निर्देशनों की ग़लत अस्वीकृति अथवा स्वीकृति के बारे में की गई आपत्ति पर आधारित निर्वाचन याचिकाओं का फ़ैसला करने में कितना व्यय हुआ ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री बिस्वास) : सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि हरेक याचिका के आधार पर हिसाब नहीं रखा जाता ।

उप-चुनाव

५६२. **पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधि मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि नाम-निर्देशन की ग़लत अस्वीकृति या स्वीकृति के आधार पर मंजूर हुई निर्वाचन याचिकाओं के फलस्वरूप संसद् और राज्य विधान सभाओं के लिये कितने उप-चुनाव हुए ?

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : सदन वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

राज्य परिषद्	—
लोक-सभा	१
विधान सभायें	६०
विधान परिषदें	३
कुल	६४

निर्वाचन-व्यय के विवरण

५६३. **पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आम चुनावों के सम्बन्ध में कुल कितने व्यय-विवरण दिये गये;

(ख) कितने उम्मीदवारों और चुनाव एजेन्टों ने इन विवरणों के देने में ग़लती की थी इनके ठीक वक्त से और निर्धारित प्रणाली के अनुसार देने में ग़लती की;

(ग) कितने लोग अनर्ह हुए; तथा

(घ) कितने मामलों पर पुनर्विलोकन हुआ है और कितने मामलों में अनर्हतायें अब भी रही आई हैं ?

विधि तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) २७४० नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों में से, २२१८८ ने अपने चुनाव सम्बन्धी व्यय-विवरण दिये थे ।

(ख) ७६८२ उम्मीदवारों तथा ८५० चुनाव एजेन्टों ने विवरण देने में ग़लती की।

(ग) ७६८२ उम्मीदवार तथा ८५० चुनाव एजेन्ट वक्त से विवरण न देने या क़ानून द्वारा निर्धारित तरीक़े से न देने के कारण अनर्ह हुए ।

(घ) २४६५ उम्मीदवारों और २१७ चुनाव एजेंटों की अनर्हताओं पर पुनर्विलोकन हुआ है और उन्हें दूर कर दिया गया है । ५२१७ उम्मीदवारों और ६३३ चुनाव एजेंटों की अनर्हतायें अब भी रही आई हैं ।

निर्वाचन याचिकाएं

५६४. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन याचिका देने और उन याचिकाओं पर पूर्ण न्यायाधिकरण के समक्ष अभियोग आरम्भ होने के बीच प्राय: कितना समय लगता है और भ्रष्टाचारों और अवैध कार्यों के अभिकथनों के आधार पर दी गई याचिकाओं का निर्णय करने में मध्यमान क्या समय लगता है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मुझे खेद है कि मैं सभा को उस कालावधि के सम्बन्ध में नहीं बता सकता जो निर्वाचन सम्बन्धी याचिकाओं के देने और अभियोग के वस्तुत: आरम्भ होने तक लग जाती है क्योंकि विभिन्न याचिकाओं के अभियोग के आरम्भ होने की तिथियों के आंकड़े नहीं रखे जाते । भ्रष्टाचार तथा अवैध कार्यों के निर्वाचन सम्बन्धी याचिकाओं का निर्णय करने में लगभग १० से ११ मास लग जाते हैं ।

निर्वाचन याचिकाएं

५६५. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभी तक व्यय के झूठे और गलत विवरण के आधार पर कोई निर्वाचन याचिका स्वीकार की गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस आधार पर कितनी याचिकाएं स्वीकार की गई हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निर्वाचन व्यय का विवरण

५६६. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (क) क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्वाचन आयुक्त अथवा कोई और प्राधिकारी यह देखता अथवा जांच करता है कि क्या निर्वाचन व्यय के विवरणों में दी गई प्रविष्टियां और राशियां ठीक हैं ?

(ख) क्या इन की जांच करने और इन्हें निर्वाचन याचिकाओं के साथ संलग्न करने के अतिरिक्त इन विवरणों का कोई और उपयोग किया जाता है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी नहीं। छानबीन अथवा जांच करने में निर्वाचन आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है। निर्वाचक पदाधिकारी केवल यह देखने के लिए विवरणों की छानबीन करता है कि क्या वे समय पर दिए गये हैं और कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ तथा जन-प्रतिनिधित्व (चुनावों का संचालन और चुनावों सम्बन्धी याचिकाएं) नियम १९५१ में अपेक्षित ढंग से दिये गये हैं अथवा नहीं।

(ख) जी नहीं। निर्वाचक पदाधिकारी इन विवरणों को अपने पास रखते हैं।

साधारण चुनाव

५६७. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (क) क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत साधारण चुनावों में प्रत्येक राज्य के विधान मण्डलों के सदस्यों को निर्वाचन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों को लेख द्वारा आदेश कब जारी किया गया था ?

(ख) नाम-निर्देशन के लिए अन्तिम तिथि क्या थी ?

(ग) जांच की अन्तिम तिथि क्या थी ?

(घ) प्रत्येक राज्य में निर्वाचन के प्रथम और अन्तिम दिन क्या थे ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): (क) से (घ). जानकारी का एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४**]

साधारण निर्वाचन

५६८. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत निर्वाचनों में :—

(१) निर्वाचन के लिए लेख द्वारा आदेश जारी करने के और मतदान की समाप्ति के बीच;

(२) निर्वाचन क्षेत्र को निर्वाचन आरम्भ करने के लिए लेख द्वारा आदेश जारी करने और मतदान आरम्भ होने के बीच;

(३) मतदान के प्रथम दिन और मतदान के अन्तिम दिन के बीच; तथा

(४) लेख तथा निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के बीच;

कितना समय लगा है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५**]

निर्वाचन पदाधिकारी

५६९. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (क) क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत साधारण निर्वाचनों में कितने ऐसे निर्वाचन पदाधिकारी थे जिनके सरकारी पदाधिकारी के रूप में जिनका मूल वेतन ५०० रुपये से कम था ?

(ख) क्या कोई ऐसे निर्वाचन पदाधिकारी थे जो केवल तहसीलदार थे ?

(ग) क्या कोई गैर-गजट शुदा पदाधिकारी भी निर्वाचन पदाधिकारी थे ?

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) तथा (ग). अभी जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ख) गत साधारण निर्वाचनों में किसी राज्य में तहसीलदारों को निर्वाचक पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया ।

आदिम जाति मंत्रणा परिषद्

५७०. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने राज्यों ने भारत संविधान की पंचम अनुसूची के अधीन आदिम जाति-मंत्रणा परिषद् स्थापित की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सब नौ राज्यों ने, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं अर्थात् बिहार, बम्बई, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, मध्य भारत और राजस्थान ने आदिम जाति-मंत्रणा परिषद् बना लिये हैं । अनुसूचित आदिम जातियों कल्याण और उन्नति से सम्बन्धित विषयों पर मंत्रणा देने के लिए एक आदिम जाति-मंत्रणा परिषद् पश्चिमी बंगाल में भी स्थापित की गई, हालांकि उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है ।

सशस्त्र सेवाओं में अंग्रेज पदाधिकारी

५७१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत संघ की सेना, नौ सेना, तथा विमान-बल में कितने अंग्रेज पदाधिकारी अब तक काम कर रहे हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सेना में ४८; भारतीय नौ-सेना में ४१; तथा

भारतीय विमान-बल में ३८ जिनमें ३२ असैनिक शिल्पिक प्रशिक्षक प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं ।

जन-गणना

५७२. **श्री गौडि विगन गौड़** : **गृह-कार्य मंत्री** १६ सितम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ के उत्तर की ओर ध्यान देंगे और यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास राज्य के १९५१ की जन-गणना के ग्रामानुसार आंकड़े तैयार हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो वे कहां उपलब्ध हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) यह आंकड़े मद्रास राज्य के ज़िला जन-गणना पुस्तिकाओं में हैं । ये पुस्तकाएं मद्रास सरकार ने प्रकाशित तथा मुद्रित की हैं । ये प्रकाशन अधीक्षक सरकारी प्रेस मद्रास से मूल्य देने पर मिलते हैं ।

तिब्बती लोग

५७३. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री उन तिब्बतियों की मासानुसार संख्या बतायेंगे जो १ जनवरी १९५३ से ३० सितम्बर १९५३ तक भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रविष्ट हुए ?

(ख) इसी कालावधि में मासानुसार कितने भारत से तिब्बत वापस चले गये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) वर्ष के प्रत्येक चौथाई भाग में भारत आए हुए तिब्बती लोगों की संख्या का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । मासानुसार आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और ज्यूं ही उपलब्ध हुए दे दिये जायेंगे ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

विवरण

उन तिब्बतियों की संख्या जो १ जनवरी १९५३ से ३० सितम्बर १९५३ तक भारत में आये ।

कालावधि	संख्या
१ जनवरी से ३१ मार्च १९५३ तक	२,२७४
१ अप्रैल से ३० जून १९५३ तक	२,०५३
१ जुलाई से ३० सितम्बर १९५३ तक	२,२६१

चित्तौड़गढ़ का किला

५७४. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करते हुए सोने की मोहरें निकली हैं; तथा

(ख) वे मोहरें किस संवत् की हैं और उनका वजन क्या है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्य भारत का पुरातत्व विभाग

५७५. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मध्य भारत का सम्पूर्ण पुरातत्व विभाग भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): जी नहीं।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

५७६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में पुनर्वास वित्त प्रशासन ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये व्यापारिक और औद्योगिक ऋणों के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की; तथा

(ख) उन विस्थापित लोगों की संख्या क्या है जिन के लिये ये ऋण मंजूर किये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १ अप्रैल १९५३ से ३० नवम्बर १९५३ तक व्यापारिक प्रयोजनों के लिए २०९.९२ लाख रुपये की और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ३३.६६ लाख रुपये की कुल राशि मंजूर की गई।

(ख) ये ऋण ३,६३१ प्रार्थियों को दिये गये।

व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

५७७. **श्री अजीत सिंह :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक पेप्सू में पिछड़े वर्गों के विभाग द्वारा कितने व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ?

(ख) आजकल इन केन्द्रों में कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

(घ) इन केन्द्रों से निकलने पर कितने प्रशिक्षार्थियों को सरकारी नौकरियां अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं में नौकरियां दी गई हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) आठ।

(ख) एक सौ उन्तीस।

(ग) दर्जी के काम, बनियाइन, मोजे आदि बनाने के काम, दाई के काम तथा लोहारगिरी में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) दाई के काम के छै प्रशिक्षार्थियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

रस्से का आयात

५७८. **श्री नानादास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नौसेना के लिये भारत अभी भी इटैलियन सन से बने रस्सों का आयात करता है; तथा

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५१, १९५२ तथा १९५३ में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के रस्से आयात किये गये थे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मवेशियों का निर्यात

५७९. श्री रिशांग किशिंग : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनीपुर की मंत्रणा परिषद् ने मनीपुर से मवेशियों का निर्यात करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के निश्चय के अनुसार मनीपुर से कितने मवेशियों का निर्यात होगा;

(ग) किन परिस्थितियों में परिषद् ने मनीपुर से मवेशियों का निर्यात आवश्यक समझा है; तथा

(घ) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर से मवेशियों के प्रस्तावित निर्यात के विरुद्ध बलशाली जनमत है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां, केवल बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से ।

(ख) एक हज़ार मवेशियों से अधिक नहीं ।

(ग) सितम्बर की बाढ़ से पीड़ित किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये मवेशियों के निर्यात करने की उप-आयुक्त द्वारा दिये जाने वाले अनुज्ञा पत्रों पर, अनुमति दी गई थी । उप-आयुक्त को यह देखना था कि (१) निर्यातक की फसलें बाढ़ के कारण बरबाद हो गई थीं, और (२) कि निर्यात किये जाने वाले मवेशी उसकी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं से अधिक थे ।

(घ) हां, किन्तु निर्यात के पक्ष में भी बाढ़ पीड़ित किसानों का मत समान रूप से बलशाली है ।

त्रिपुरा में भूमि-अधिग्रहण

५८०. श्री दशरथ देव : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि त्रिपुरा में सरकार द्वारा भूमि-अधिग्रहण के कारण बहुत से आदिमजातीय लोगों से वह भूमि छिन गई है जो उनके कब्ज़े में थी ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि बहुत से आदिमजातीय लोगों को, जिन्होंने अभी हाल ही में भूमि पर बसना आरम्भ किया था, इस कारण उस भूमि से निकाल दिया गया क्योंकि वही भूमि सरकार ने स्वस्ति संघ को दे दी है ?

(ग) क्या आदिमजातीय लोगों ने सरकार के पास कोई अभिवेदन भेजा है ?

(घ) यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ङ) बे घर बार फिरने वाले जूमिया लोगों को मैदानों पर बसाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां । विकास परियोजनाओं, पुनर्वास तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये पहाड़ी क्षेत्र तथा जंगली भूमि ले ली गई हैं । इससे केवल थोड़े से व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) नहीं ।

(ग) हां ।

(घ) यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) सरकार जूमियां लोगों को कृषि-योग्य भूमि देती रही है और उनमें से प्रत्येक द्वारा की गई प्रगति के अनुसार उन्हें कृषि-ऋण देने का विचार कर रही है ।

त्रिपुरा में भूमि-अधिग्रहण

५८१. **श्री दशरथ देव** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५३ में त्रिपुरा के खोवाई डिवीज़न के उत्तर पुलिनपुर क्षेत्र में त्रिपुरा सरकार ने कितने एकड़ भूमि अधिग्रहण की है ?

(ख) ऐसे अधिग्रहण का कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ा था ?

(ग) भूमि अधिग्रहण से पूर्व प्रत्येक परिवार के पास औसतन कितने एकड़ भूमि हल के द्वारा खेती करने के योग्य (तिला भूमि नहीं) थी और अधिग्रहण के बाद अपनी आजीविका के लिये उनमें से प्रत्येक के पास औसतन कितने एकड़ भूमि है ?

(घ) क्या इस प्रकार के अधिग्रहण के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकारी तथा केन्द्रीय सरकार के पास कोई अभिवेदन भेजे गये हैं ?

(ङ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ङ)। जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

बीजों का वितरण

५८२. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा में ऐसे गरीब किसानों को, मुफ्त बीज देने का कोई प्रबन्ध है, जो उन्हें खरीद नहीं सकते ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कौन कौन से बीज वितरित किये जाते हैं और ये बीज किसानों को कहां पर दिये जाते हैं ?

(ग) यदि कहीं पर ऐसी व्यवस्था है, तो वह किन क्षेत्रों में है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) नहीं। बीज लागत मूल्य पर किसानों को बेचे जाते हैं। उन किसानों को, जो गरीब हैं और जो बीज खरीद नहीं सकते, ऐसी खरीद के लिये ऋण दिये जाते हैं।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न नहीं उठते।

अहमदनगर छावनी में नगरपालिका की भूमि

५८३. **श्री कानावडे पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अहमदनगर बरो नगरपालिका ने रक्षा मंत्रालय से अपने उपयोग के लिये वह पुरानी सम्पत्ति वापस देने की प्रार्थना की है जिस में पानी देने की नहरें हैं, जिन पर कुएं हैं और जिसे वर्ष १६२५ से अब तक अहमदनगर छावनी स्थित सेना द्वारा काम में लाने के लिये दे दिया गया था ; तथा

(ख) क्या अब तक भारत सरकार ने अहमदनगर नगरपालिका को कोई प्रतिकर अथवा जल-शुल्क दिया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नहीं। नागाबाई तथा कपूरवाड़ी की नहरें सेना द्वारा काम में नहीं लाई गई थीं। नगरपालिका का कुआं सेना-प्राधिकारियों को नगरपालिका द्वारा ७,००० रुपये में बेचा गया था। अतः नगरपालिका को प्रतिकर अथवा जल-शुल्क के देने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड

५८४. **श्री गिडवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कुछ महीने हुए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की सीमाशुल्क

शाखा में बिना निबटाये गये कागजों का एक बंडल पाया गया था;

(ख) क्या यह तथ्य है कि संबंधित शाखा-अधिकारी उस के लिये उत्तरदायी था ;

(ग) क्या उस अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच की गई है ; तथा

(घ) यदि हां, तो उस जांच का परिणाम क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ)। प्रश्न विचाराधीन है कि इस के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया जाये ।

भटके हुए पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का तट पर उतरना

५८५. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि चटगांव और सुन्दर बन के बीच तटवर्ती व्यापार के काम में आने वाली एक छोटी देशी नाव में १३ दिन तक समुद्र पर भटकने के बाद सात पाकिस्तानी नागरिक २६ नवम्बर, १९५३ को गंजाम तट (उड़ीसा) पर स्थित सोनापुर गांव में उतरे थे; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां ।

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों को पाकिस्तान वापस भेजने के लिये भारत स्थित पाकिस्तान के उच्च आयोग से कहा गया है । तब तक वे स्थानीय अधिकारियों की देख रेख में हैं।

पवन चक्की

५८६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने अब तक कितनी पवन चक्कियां आयात की हैं और उन के खरीदने पर क्या व्यय हुआ है ; तथा

(ख) भारत में किस किस स्थान पर इन का प्रयोग किया जायेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) दो । एक १९३८ में भारत अन्तरिक्ष शास्त्रीय विभाग द्वारा ३८३ रुपये की । दूसरी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने २७२१ रुपये लागत की मंगाई है ।

(ख) भारत अन्तरिक्ष-शास्त्रीय विभाग द्वारा पूना में प्रयोग किये गये थे । परिषद् का विचार राजस्थान, सागर, सौराष्ट्र, तथा मद्रास में प्रयोग करने का है ।

ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट

५८७. **श्री गिडवानी** : (क) **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटिश बैंक आफ़ मिडल ईस्ट ने विनिमय व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति लेने और भारत में विनिमय का अधिकृत व्यापारी स्वीकार किये जाने के लिए भारत के रक्षित बैंक को प्रार्थनापत्र दिया था ?

(ख) यदि हां तो क्या यह अनुज्ञप्ति दे दी गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) बैंक को अनुज्ञप्ति दे देने का निर्णय किया गया है ।

रुपयों में व्यापार

५८८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री उन देशों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन के साथ इस समय पौण्ड में नहीं बल्कि रुपयों में व्यापार किया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : विश्व के अधिकतर देशों के साथ हमारा व्यापार कुछ हद तक रुपयों में होता है । किन्तु इस समय भारत के समीपवर्ती देशों के साथ और हिन्द महासागर के देशों के साथ अधिकांश व्यापार रुपयों में किया जाता है ।

संधियां तथा समझौते

५८९. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **विधि** मंत्री उन देशों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन के साथ भारत की दीवानी कानून के मामलों में संधियां और समझौते हैं ?

(ख) क्या ये पारस्परिक व्यवहार के सिद्धान्त पर आधारित हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) दीवानी कानून के निम्न मामलों में, भारत की निम्नलिखित मदों के सामने दिये गये देशों के साथ संधियां या समझौते हैं :—

दीवानी कानून सम्बन्धी मामले	उन देशों के नाम जिन के साथ भारत की संधियां या समझौते हैं
(१) भरण पोषण आदेशों का लागू करना	इंग्लैंड तथा आयरलैंड : पश्चिमी आस्ट्रेलिया, सेचेलीज़ उपनिवेश, न्यू साऊथ वेल्ज़, स्ट्रेट्स सैटलमैंट्स उपनिवेश, सोमाली लैंड रक्षित राज्य, मारीशस उपनिवेश, युगांडा रक्षित राज्य, बासुटोलैंड, बैचुआनालैंड तथा स्वाज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की सरकार के स्थान का राज्य क्षेत्र, विक्टोरिया संघबद्ध मलाया राज्य, बर्मा, दक्षिणी अफ़्रीका संघ, दक्षिणी रोडीशिया, न्यासालैंड रक्षित राज्य, केनिया, ज़ंजीबार रक्षित राज्य, सीलोन सारावाक ।
२. दीवानी न्यायालयों की आज्ञप्तियों को कार्यान्वित करना	ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड, अदन उपनिवेश, फ़िज़ी उपनिवेश ।
३. आह्वान पत्रों को लागू करना तथा अन्य प्रक्रियाएं	स्ट्रेट्स सैटलमैंट्स, सीलोन, फ्रांस, स्पेन, बैल्जियम रूस, पुर्तगाल, इराक़, केनिया, स्वीडन, जोहारे राज्य, मिश्र, जापान, नेपाल, ईरान मलाया संघ, पाकिस्तान ।
४. विदेशियों की सम्पदाओं का प्रशासन जो भारत में मर जाते हैं	अमेरिका, अर्जनटाइन, बैल्जियम, कोस्टा रिका, डेन्मार्क, नीदरलैंड्स, ईरान, पेरू, पोलैंड, स्वीडन, अफ़गानिस्तान, थाईलैंड, इराक चेकोस्लोवाकिया ।

(ख) जी हां।

कला निधियां और चित्र

५९०. **श्री हेमराज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२, १९५२-५३ में और १९५३-५४ में (आज तक) केन्द्रीय सरकार ने कला-विधियां और चित्र खरीदने पर कितना रुपया खर्च किया है और ये किन किन स्थानों से खरीदे गये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : भारत सरकार ने १९५१-५२, १९५२-५३ में और १९५३-५४ में (आज तक) कला-निधियां और चित्र खरीदने पर क्रमश: २,१४,०२९ रुपये, १९,७१२ रुपये और ३२,९२२ रुपये की राशि खर्च की है। ये चीज़ें इन स्थानों से खरीदी गई थीं : मथुरा, नई दिल्ली, बुलन्द शहर, बनारस, अमृतसर, अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, जयपुर, पटना, कोटा, भरतपुर, बम्बई, जोधपुर, कलकत्ता, बेलधोरिया, सूरत, मद्रास, सरदारनगर (गोरखपुर), शाहजहान पुर, लखनऊ, काठमंडु (नेपाल), अम्बाला छावनी, सतारा, ग्वालियर, अलीगढ़, दिनारा (शाहाबाद), हैदराबाद, हुगली, पूना, रामपुर, श्री गंगा नगर (राजस्थान), सहसवां (बदायूं) और मणिपुर।

"स्क्रब टाइपस" पर अनुसंधान

५९१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि "स्क्रब टाइपस" पर कुछ अनुसन्धान हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो इस के परिणाम कब प्रकाशित किये जायेंगे ?

(ग) क्या देश में "कम ज्ञात विषाणु रोगों" पर अनुसन्धान इसी प्रकार की एक असैनिक अनुसन्धान दल के सहयोग से किया गया था ?

(घ) क्या सरकार के अग्रेतर अनुसन्धान करने के कुछ प्रस्ताव हैं ?

(ङ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) परिणाम अक्तूबर, १९४८, अक्तूबर, १९४९, जनवरी, १९५० और जुलाई १९५१ के इंडियन जर्नल आफ़ मैडिकल रिसर्च में और आर्मी मैडिकल कोर जर्नल के अंकों में प्रकाशित हो चुके हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्। सेना मैडिकल कालेज, पूना का पेथालोजी विभाग विषाणु अनुसन्धान प्रयोगशाला, पूना (राकफेलर फाऊंडेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय) के सहयोग के साथ विषाणु रोगों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रहा था।

(घ) तथा (ङ)। इन्फ्लुएंज़ा के विषाणु के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जा रहा है और अन्य अज्ञात विषाणुओं से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। एक अत्यन्त अनुभवी और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी को प्रभारी बना दिया गया है और विषाणु सम्बन्धी मामलों की, जो कि सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जांच की जा रही है।

एम० ई० एस० दिल्ली

५९२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एम० ई० एस०, दिल्ली में चारपाइयां बुनने और कुर्सियों में बेंत लगाने का जो नियमित काम होता है, वह ठेकेदारों को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने ठेके दिये गये हैं और कितनी राशि के; तथा

(ग) पिछले वर्ष के व्यय की अपेक्षा सरकार को कितनी बचत होने की आशा है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) मई १९५३ में १ रु० ११ आ० ९ पाई प्रति वर्ग फुट के दर से कुर्सियों में बेंत लगाने का एक ठेका दिया गया था । इस के समाप्त होने पर इस मास १ रु० ७ आ० ११ पाई प्रति वर्ग फुट की दर से एक और ठेका दिया गया है । ३ रु० १० आ० ९ पाई प्रति चारपाई की दर से चारपाईयां पुनः बुनने का एक ठेका जून, १९५३ में दिया गया था और इस की समाप्ति पर एक और ठेका दिया जा रहा है ।

(ग) चूंकि काम बढ़ता घटता रहता है, इस लिए गत वर्ष के और इस वर्ष के वास्तविक व्यय की तुलना करने से सरकार को होने वाली बचत का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा । तथापि पहले ठेके में पुनः बेंत लगाने में प्रति वर्ग फुट ७ आने की बचत हुई है और दूसरे में १० आने १० पाई की और चार पाइयों के पहले ठेके में प्रति चारपाई १ रु० १ आ० १० पाई की बचत हुई है ।

नान-फैमली स्टेशन्स

५९३. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे स्थानों की सूची रखती है जिन्हें नान-फैमिली स्टेशन्स कहा जाता है या जिन्हें उन की जलवायु के कारण निवास के अयोग्य घोषित किया जाता है;

(ख) इन स्थानों पर सेवा की कालावधि क्या है ; तथा

(ग) क्या उन लोगों को जिन्हें ऐसे स्थानों पर नियुक्त किया जाता है कोई अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं और यदि हां, तो क्या ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग) तक । अपेक्षित जानकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

एम० ई० एस० कर्मचारियों का सैन्यीकरण

५९४. श्री ए० एन० विद्यालंकार : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने एम० ई० एस० की स्थायी श्रेणी के ३३ प्रतिशत के सैन्यीकरण के लिए आदेश जारी कर दिये हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितनी अतिरिक्त लागत आयेगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, केवल एम० ई० एस० बुनियादी अधीनस्थ श्रेणी के सम्बन्ध में ।

(ख) मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस योजना पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा ।

एम० टी० ड्राइवर

५९५. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **रक्षा** मंत्री १८ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) क्या उस के बाद बम्बई में भारतीय नौसेना के एम० टी० ड्राइवरों का स्वीय वेतन ५ रुपये से २५ रुपये तक बढ़ा देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या यह वेतन उन्हें अनुदर्शी प्रभाव से दिया जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख)। यह मामला अभी विचाराधीन है ।

सैनिक स्टेशन स्वच्छता संस्था का कर्मचारीवर्ग

५९६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के स्टेशन की स्वच्छता संस्थाओं के अधीक्षक कर्मचारीवर्ग को इसी प्रकार की अन्य असैनिक नियुक्तियों के साथ बिठाने के दृष्टिकोण से उन के वेतन स्तरों का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) क्या उक्त कर्मचारीवर्ग को पुनः निःशुल्क स्थान मिलने का श्रेय देने के लिये, जो उन से कुछ समय पहले छीना जा चुका है, किसी प्रकार का विचार किया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री शतीश चन्द्र) : (क) यह तय हो पाया है कि इन कर्मचारियों के वेतन-स्तरों को चूंकि ये केन्द्रीय सरकार की इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के वेतन-स्तरों की अपेक्षा अपर्याप्त नहीं हैं, पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

कलकत्ता की टकसाल

५९७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ता की टकसाल के नकाशियों द्वारा अगस्त, १९५३ में दिये गये उस प्रार्थना-पत्र पर कि उन की पद-प्रतिष्ठा, नौकरी के स्थायित्व तथा वेतन-स्तरों के सम्बन्ध में परिभाषा की जाय, के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : अभी तक कोई भी अन्तिम निश्चय नहीं हो पाया है क्योंकि अलीपुर की टकसाल और बम्बई की टकसाल के नकाशियों का मामला एक साथ जुड़ा है ।

त्रिपुरा में सैनिक टुकड़ियों का विघटन

५९८. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १९५० से १९५२ तक की अवधि में त्रिपुरा में कई सैनिक टुकड़ियों का विघटन किया गया ?

(ख) यदि हां, तो विघटित टुकड़ियों की संख्या कितनी है ?

(ग) इस सैन्य विघटन के कारण कितने सैनिक-कर्मचारीवर्ग पर विपत्ति पड़ी ?

(घ) आज तक अन्य सेवाओं में इन में से कितने लोगों को लिया गया है ?

(ङ) कितने विघटित सैनिकों के निवृत्ति-वेतन का दावा किया गया है और उन में से कितनों का निपटारा हो चुका है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) वायरलेस विभाग और राज्य सेना मुख्यालय को अलग अलग यूनिट मानते हुए चार टुकड़ियों का विघटन किया गया ।

(ग) ८६७ ।

(घ) ५७३ भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं ।

(ङ) निवृत्ति-वेतन या उपदान के कुल ३९४ दावों में से ३१५ निपटाये जा चुके हैं ।

स्वतन्त्रता दिवस

५९९. **श्री देवगम** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जनवरी १९५४ में वार्षिक स्वतंत्रता दिवस पर विविध जनजातीय नर्तकों द्वारा नृत्य दिखलाने के लिये उन्हें विविध राज्यों से दिल्ली बुलाना चाहती है, जैसा कि १९५३ में उन्हें बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो १९५४ में कौन कौन से राज्य इस में भाग लेना चाहते हैं ;

(ग) उन की यात्रा, खान-पान, आदि पर कितना व्यय होगा; और

(घ) १९५३ में इस काम में भाग लेने वाले कलाकार नर्तकों की यात्रा, खान-पान आदि पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) राज्यों के लोक-नृत्यकारों को १९५४ के गणराज्य दिवस उत्सव में भाग लेने के लिये निमंत्रित किया जा रहा है ।

(ख) आशा की जाती है कि निम्नांकित राज्य इस उत्सव में भाग लेंगे :—

अजमेर, आसाम, बिहार, बम्बई, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू व काश्मीर, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मनिपुर, उड़ीसा, पैप्सू, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल ।

(ग) तथा (घ) । ये नर्तक दल रियायती रेलवे टिकटों पर यात्रा करेंगे, और इस यात्रा का खर्च राज्य सरकारें ही देंगी जैसा कि विगत वर्ष हुआ था । मार्ग में उनके खान पान का जो भी व्यय होगा वह राज्यों द्वारा उठाया जायेगा ।

दिल्ली में उनके खान पान पर जो भी व्यय होगा वह केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा होगा । विगत वर्ष इस मद पर २४,३७६ रुपये व्यय किये गये । अगली बार का व्यय पार्टी के छोटा बड़ा होने पर निर्भर करेगा, अतः इस समय निश्चित रूप से व्यय का आंकड़ा बताना कठिन है ।

अफीम फैक्टरी, गाजीपुर

६००. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री गणपति राम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गाजीपुर की अफीम फैक्टरी में कोई ऐसा गुट्ट है जो अफीम का अवैध व्यवसाय करता है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये हैं और उन पर क्या आरोप लगाये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख) । सरकार इस बात का विश्वास नहीं कर सकती कि गाजीपुर की अफीम फैक्टरी में कोई ऐसा गुट्ट है जो अफीम का अवैध व्यवसाय करता है । अभी हाल में उक्त फैक्टरी के दो पहरेदारों के पास से फैक्टरी के क्षेत्र के बाहर थोड़ी सी अफीम मिली जिसे अवैध माना जा सकता है चुनांचि उन पहरेदारों को गिरफ्तार किया गया । उसी समय से उन्हें मुअत्तिल किया गया है और अफीम अधिनियम, १८७८ की धारा ९ (क) के अधीन इन पर अभियोग चलाया गया है ।

भूतपूर्व शासकों के महल

६०१. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि निजाम ने अपने महलों की देखभाल के लिये २५ लाख रुपये प्रति वर्ष का दावा छोड़ देना स्वीकार किया है ; और

(ख) क्या ऐसे भी अन्य भूतपूर्व शासक हैं जिनके अपने महलों की देखभाल के लिये कोई वृत्ति मिलती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) मैसूर के महाराजा को अपने बाग-बगीचों और महलों की देखभाल के लिये डेढ़ लाख रूपये की वार्षिक वृत्ति मिलती है ।

विदेशी विशेषज्ञ

६०१-क. श्री राधा रमण : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में विविध औद्योगिक समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिये कितने विदेशी विशेषज्ञ भारत आये ?

(ख) किन किन योजनाओं पर उन से परामर्श लिया गया ?

(ग) वे किन किन देशों से आये थे ?

(घ) उनमें से प्रत्येक पर कितना धन व्यय किया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) एक ।

(ख) कई भारतीय ढलाई कारखानों ने उसकी सेवाओं का लाभ उठाया ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ।

(घ) १९५२-५३ में ३,८५० रुपये ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
२२ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(**देखिये भाग १**)

एकतारांकित प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं आप की अनुमति से ११ सितम्बर १९५३ को श्री राधा रामण द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२२८ के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों में एक छोटी सी शुद्धि करना चाहता हूँ, जो कि निम्न है :

इन छात्रवृत्तियों पर व्यय की गई कुल राशि के सम्बन्ध में श्री राधा रमण के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा था कि भारत-जर्मनी औद्योगिक सहायता योजना के अन्तर्गत सामान्यतया पचास प्रतिशत व्यय उस छात्र या उसे भेजने वाले अधिकारियों द्वारा उठाया जाता है और पचास प्रतिशत जर्मनी द्वारा उठाया जाता है। तथ्य यह है कि पचास प्रतिशत व्यय उस छात्र या उसे भेजने वाले अधिकारियों द्वारा उठाया जाता है और पचास प्रतिशत जर्मनी द्वारा नहीं अपितु भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव महोदय : श्रीमान् मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

"राज्य परिषद् में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य परिषद् अपनी १९ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में लोक सभा द्वारा ७ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किये गये भारतीय एकस्व तथा प्रारूप (संशोधन) विधेयक, १९५३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि श्री सी० आर० इय्युनी भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति में कार्य करने के लिये चुन लिये गये हैं।

पटल पर रखा गया पत्र

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ४

सांसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम १९५२ की धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन ७ दिसम्बर, १९५३ के भारत के असाधारण गजट के भाग २ के विभाग ३ में प्रकाशित भारत के परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश संख्या ४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रख दी गई। दखिय संख्या एस–२१६/५३]**.

निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति विषयक प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० काटजू द्वारा कल प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे और विचार करेगा :

"निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के ३० सितम्बर, १९५२ से ३० सितम्बर, १९५३ तक कार्य करने सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।"

इस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्य आचार्य कृपलानी को यह सूचित करना है कि वे इस सम्बन्ध में ४१ मिनट तक पहिले ही बोल चुके हैं, अतः अब वे यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र अपना भाषण समाप्त कर दें।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया) : कल माननीय गृह मंत्री कलकत्ता के ट्राम सम्बन्धी आन्दोलन, लखनऊ के विद्यार्थियों की हड़ताल और आंध्र की गड़बड़ का उल्लेख कर रहे थे। इन सब मामलों में अधिकारियों से कहा गया था, किन्तु उन्हों ने उन लोगों से बातचीत करने से इन्कार कर दिया था जो इन आन्दोलनों के नेता समझे जाते थे। परन्तु बाद में जब हिंसात्मक कार्य हुए तो उन्हीं नेताओं को बुला कर उन मामलों को तय किया गया और प्रत्येक मामले में जनता की मांगें मान ली गईं। श्रीमान्, यह तो हिंसा को उकसाना है। एक प्रजातंत्रवादी दल को लोगों के नेताओं से, चाहे वे किसी भी दल के हों, मिलने के लिये सदा तैयार रहना चाहिये और उन्हें अधिकारियों से बातचीत कर के शीघ्र ही कोई समझौता करने देना चाहिये।

श्रीमान्, मैं जानता हूं कि गृह मंत्री जी बड़े दयालु हैं.....

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : इतनी तारीफ क्यों करते हैं ?

आचार्य कृपलानी : क्यों कि मुझे यह पक्का पता है कि जब कभी किसी निरुद्ध व्यक्ति का मामला उन्हें निर्दिष्ट किया जाता है तो वे उस के साथ बड़ी उदारता से व्यवहार करते हैं। यदि कोई राज्य सरकार आग्रह न करे तो वे सदा उसे छुड़वाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इतने उदार होते हुए भी जब वे सामान्य प्रस्थापनायें रखते हैं तो रास्ते से बहुत दूर चले जाते हैं। हम ने भी वैज्ञानिक न्यायशास्त्र का कुछ अध्ययन किया है। जब हम उन विचारों को भुला नहीं सकते। हम ने यह सीखा है कि 'विधि की किसी प्रक्रिया' के द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने की अपेक्षा कुछ अपराधियों का बच निकलना कहीं अच्छा है। श्रीमान्, गृह मंत्री यह समझते हैं कि एक अपराधी के बच निकलने की अपेक्षा कुछ निर्दोष व्यक्तियों को स्वतन्त्रता से वंचित कर देना कहीं अधिक अच्छा है। श्रीमान्, यह तो वैज्ञानिक न्याय-शास्त्र को उल्टा लटकाना है।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं बीच में बोलना नहीं चाहता....

आचार्य कृपलानी : यह तो बड़ी अच्छी बात है.....

डा० काटजू : मैं बीच में बोलना तो नहीं चाहता, किन्तु यह मेरे विचारों का बिकुल उपहास है ।

आचार्य कृपलानी : उन्हें भी उत्तर देने का अवसर मिलेगा । मैं ने यह कहा था कि किन्हीं व्यक्तियों के लिये सिर के बल खड़ा होना स्वास्थ्यप्रद हो सकता है, किन्तु राजनीति और नैतिकता के मूल सिद्धान्तों को उल्टा लटकाना बहुत खतरनाक है ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : यह तो शीर्षासन है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

आचार्य कृपलानी : हमें यह ज्ञात हुआ है कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्दोष की तो रक्षा करता ही है, किन्तु साथ ही अपराधी की भी रक्षा करता है । परन्तु हम यह भी जानते है कि अपराधी की रक्षा किये बिना निर्दोष की भी रक्षा नहीं हो सकती । इसलिये जब गृह मंत्री एक वकील के रूप में हमें यह कहते हैं कि प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति या अन्य अपराधी या भावी अपराधी को न्यायपूर्ण अभियोग की सभी सुविधायें दी जाती हैं तो वे हमारी बुद्धि का अपमान करते हैं । और श्रीमान् जी, हमें उन के देश के उच्चतम न्यायाधिकरणों के विरुद्ध आक्षेप लगाने का भी भारी खेद है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : वाह, वाह ।

आचार्य कृपलानी : हम ने अंगरेजों से जो बातें सीखी हैं उन में न्यायपालिका का आदर करना भी है और यह बड़ी अच्छी चीज़ है । इंग्लैण्ड और अमेरिका में कार्य-पालिका के सदस्य न्यायपालिका के प्रति ऐसी बात नहीं कहते जैसी कि हमारे कुछ सरकारी सदस्य प्रायः कहा करते हैं ।

एक नवयुवक ने कल मुझ से बीच में पूछा था कि मैं ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी । मैं ने इस का जो उत्तर दिया था वह बिलकुल ठीक था मैं ने कहा था कि मैं १९०८ में कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था और इस में ४३ वर्ष तक रहा हूं । अपने परिवार को छोड़ा जा सकता है.... (अन्तर्बाधायें) ....सुचेता देवी बिलकुल सुरक्षित हैं, हां यदि वे स्वयं मुझे न छोड़ जायें तो जिस की कि अधिक सम्भावना है । मैं यह कह रहा था कि जब कोई यह अनुभव करता है कि परिवार के पिता ने जो परम्परायें बनाई थीं उन का पालन नहीं किया जा रहा है तो वह अपने परिवार से अलग हो सकता है । किन्तु इस का यह तात्पर्य नहीं कि वह अपने परिवार के विरुद्ध है, अपितु परिवार से अलग होने पर भी उस का परिवार के साथ स्नेह बना रहता है ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : वह प्रायः उस में वापस भी चला आता है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

आचार्य कृपलानी : मुझे मालूम है कि जहां कहीं भी मैं जाता हूं, उच्च पदों पर कार्य करने वाले मेरे भूतपूर्व सहयोगी मुझे निमंत्रित करते हैं । मैं इन आमंत्रणों को तुरन्त स्वीकार कर लेता हूं ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : वाह, वाह ।

आचार्य कृपलानी : यदि आज मैं इस निवारक निरोध अधिनियम की अवधि को बढ़ाने का विरोध करता हूं तो इस का कारण यह है कि मुझे कांग्रेस से प्रेम है और इस कारण क्यों कि मैं यह चाहता हूं कि एक लोकतंत्रात्मक दल के रूप में, जो न केवल भारत में ही स्वतन्त्रता और न्याय का पोषक है, अपितु भारत से बाहर भी इन उद्देश्यों का समर्थक है इस का मान अक्षुण्ण बना रहे ।

श्रीमान्, मैं गृह मंत्री और सरकार के समक्ष यह प्रस्थापना रखता हूं कि वे बहुत

[आचार्य कृपलानी]

थोड़े से जो निरुद्ध व्यक्ति हैं उन्हें छोड़ दें—आखिर शीघ्र ही वे उन्हें छोड़ तो देंगे ही। सरकार विरोधी दलों को अपने विश्वास में लाये। (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

आचार्य कृपलानी : वे हमारा विश्वास करें। और मैं कहता हूं—और मुझे आशा है कि मैं ये शब्द साम्यवादियों की ओर से भी कह रहा हूं—कि जहां तक हमारे दल के सदस्यों का सम्बन्ध है हम इस बात का अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे कि जब तक सरकार, लोकतंत्रीय रीति और प्रक्रिया का अनुसरण करे तब तक न तो वे हिंसात्मक कार्यों में भाग ले और न ही उन्हें प्रोत्साहन दें। श्रीमान्, मैं यह कहता हूं कि हम बड़े संकट काल में से गुज़र रहे हैं और हमारे लिये मिल कर रहना अत्यावश्यक है। मैं यह कहता हूं कि हम इस एकता के लिये बहुत उत्सुक हैं। परन्तु यह सब तभी हो सकता है जब शासक दल स्वयं सावधानी से चले।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारी बाग पश्चिम) : वाह, वाह।

आचार्य कृपलानी : माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि इस प्रकार वे मेरे पक्ष का समर्थन कर हे हैं। मुझे इस अन्तर्बाधा का बड़ा खेद है।

मैं यह कह रहा था कि यह सब तभी हो सकता है जब शासक दल स्वयं सावधानी से कार्य करे और आलोचना के प्रति सहनशील हो और हर समय मतभेदों को कम करने और इस प्राचीन भूमि की भलाई और प्रगति के निमित्त कार्य करने के उपाय तथा साधन ढूंढने के लिये विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ बैठ कर उन से बातचीत करने के लिये तैयार हो। केवल इसी प्रकार हम अपने उस स्वप्नों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। सरकार मेरे प्रस्ताव पर विचार कर के और उस के अनुसार कार्य कर के तो देखे, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सारे देश में तुरन्त बिजली सी दौड़ जायेगी।

श्री साधन चन्द गुप्ता (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : श्रीमान्, साम्यवादी दल की ओर से और मैं समझता हूं कि यह केवल साम्यवादी दल का ही विचार नहीं है, अपितु सम्पूर्ण विरोधी पक्ष का यही विचार है और सम्भवतः मेरे सामने बैठे हुए अधिकांश सदस्यों का विचार नहीं तो कम से कम आत्मा की पुकार यही है अतः मैं उन सब की ओर से इस निवारक निरोध अधिनियम को आगे और जारी रखने के विरुद्ध तीव्र विरोध प्रकट करना चाहता हूं। हम इसे जारी रखने का सैद्धान्तिक आधार पर और इस का जो दुरुपयोग किया गया है उस के आधार पर भी विरोध करते हैं।

पहले मैं उन युक्तियों के सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ कहना चाहता हूं जो इस अधिनियम को जारी रखने के लिये दी गई हैं। श्रीमान्, जो रिपोर्ट परिचालित की गई है उस में यह बताया गया है कि हमें इस अधिनियम को इसलिये समाप्त नहीं करना चाहिये क्यों कि कुछ ऐसे संवैधानिक उत्तरदायित्व हैं जिन में इतनी सरलता से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। दूसरे, क्यों कि सभी राज्य सरकारों ने इसे जारी रखने के लिये कहा है। तीसरे क्यों कि यह अधिनियम इस प्रकार का समझा जाता है जिस का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और अन्तिम युक्ति यह है कि क्यों कि माननीय गृह मंत्री ने स्वयं इस बात पर विचार करके देखा है कि इस को जारी रखना सर्वथा न्याय्य है और राज्य सरकारों की प्रार्थना अनुचित नहीं है।

पहिले हम इस बात पर विचार करते हैं कि ऐसे कौन-से संवैधानिक उत्तरदायित्व

हैं जिन में निवारक निरोध अधिनियम को जारी न रखने से हस्तक्षेप होगा ? हम इस बात को नहीं मानते कि संविधान के अनुसार निवारक निरोध अधिनियम को जारी रखना आवश्यक है। परन्तु यदि हम थोड़ी देर के लिये इसे मान भी लें, तो भी इसे समाप्त कर के केन्द्र किसी संवैधानिक उत्तरदायित्व में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि राज्यों के पास अपने अधिनियम बनाने के लिये पर्याप्त शक्तियां हैं। अतः संवैधानिक उत्तरदायित्व की युक्ति केवल धोका है।

माननीय गृह मंत्री ने हिंसा और अपराधों के कुछ आरोपों के अतिरिक्त ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया कि क्यों उन्हों ने राज्य सरकारों की इस प्रार्थना को न्यायसंगत समझा है। मैं यह बतला सकता हूं कि राज्य सरकारों ने राज्यों में आतंकपूर्ण शासन को चिरस्थायी बनाने, हर प्रकार के प्रगतिवादी और शोषण विरोधी आन्दोलन को कुचलने और इस के लिये निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग करने के लिये ही यह प्रार्थना की है।

मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ कि गृह मंत्री महोदय ने उन सिद्धान्तों का मजाक उड़ाना उचित समझा जो कि हम ने उन के ही नेता प्रधान मंत्री जी से सीखे हैं। मेरे विचार में उन का अभिप्राय इन कहावतों से है कि किसी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाये निरुद्ध नहीं करना चाहिये और किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के बन्दी नहीं बनाना चाहिये। हम ने प्रधान मंत्री जी से ही इन्हें सीखा है जिन्हों ने कहा था कि जो सरकार इस प्रकार के अधिनियमों के बिना शासन नहीं कर सकती उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें इसी पर आपत्ति है और आप जानते हैं कि सारा सभ्य समाज इस बात के विरुद्ध है कि किसी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाये बिना उस की बात सुने निरुद्ध क्यों किया जाये। जब उन्हें इन सिद्धान्तों से ही घृणा है तो वे और देशों से सबक सीखने की बात कैसे सुन सकते हैं। यह बात नहीं है कि अन्य देशों के संविधान में निवारक निरोध की मनाही है। किन्तु वे सभ्य समाज के अन्तःकरण की आवाज़ का निरादर नहीं करते। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। यह संविधान का दोष नहीं है, किन्तु सरकार का दोष है जो देश के लोगों पर अत्याचार करना चाहती है। उन्हों ने यह कह कर निवारक निरोध अधिनियम के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया है कि इस वर्ष ३० सितम्बर को ३६ करोड़ में से केवल ११७ व्यक्ति निरुद्ध थे। प्रश्न संख्या का नहीं है, यह तो सिद्धान्त का प्रश्न है। हम तो इस के विरुद्ध हैं कि उन्हें सुनवाई के बिना बन्दीगृह में क्यों रखा जाये।

हम इस सिद्धान्त के पक्ष में हैं कि एक भी व्यक्ति को अत्यन्त गंभीर संकट काल को छोड़ कर निरुद्ध न किया जाये। गंभीर संकट तो तभी माना जाता है जब देश की सुरक्षा का प्रतिरक्षा को अत्यधिक खतरा हो और निरुद्ध व्यक्ति की सुनवाई करने से शत्रु को महत्वपूर्ण सूचना मिलने का भय हो। इसी कारण निवारक निरोध का युद्ध काल में प्रयोग किया जाता है, शान्तिकाल में तो हम ने कहीं इस का प्रयोग होते सुना नहीं। उस समय भी इस का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं ? निरोध की क्यों आवश्यकता है ? क्योंकि कहीं भूख हड़ताल होती है, कहीं श्रम संकट है तो कहीं विद्यार्थियों का आन्दोलन उठ खड़ा होता है। यदि हम इन्हें सामान्य विधि द्वारा नहीं रोक सकते तो हम इन के निवारक निरोध अधिनियम द्वारा रोके जाने का विरोध करते हैं।

[श्री साधन चन्द्र गुप्ता]

अब हम इस युक्ति को लेते हैं कि इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री ने इसके लिये यह युक्ति दी है कि क्यों कि सरकारों को स्व-प्रेरणा से लोगों को मुक्त करने का अधिकार है अतः इस का दुरुपयोग नहीं हो सकता। दूसरे मंत्रणा बोर्ड हैं ही जो अभियोग के न्यायालय की अपेक्षा अधिक सहायता कर सकते हैं। तीसरे, क्योंकि निरुद्ध व्यक्ति को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय छोड़ सकते हैं। यह स्व-प्रेरणा की शक्ति आखिर है क्या जिसका इतना शोर मचाया जा रहा है? रिपोर्ट में उन्हों ने बतलाया है कि इतने व्यक्ति स्व-प्रेरणा से मुक्त कर दिये गये। इतने अधिक लोगों को मुक्त करने का कारण तो यह है कि उन्हें दुर्भाव से बिना किसी कारण के निरुद्ध कर दिया गया था और जब लोगों का दबाव पड़ा तो उन्हें छोड़ दिया गया। स्व-प्रेरणा से इसी प्रकार मुक्ति होती है। मैं जानता हूं कि मंत्रणा बोर्ड में तीन न्यायाधीश हैं। तो क्या यह पर्याप्त संरक्षण है? मेरे विचार में उन न्यायाधीशों के समक्ष पुलिस के एजेन्ट सामग्री और रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे, किन्तु उन पुलिस एजेन्टों से जिरह करने का अधिकार नहीं है। जब तक कि हमें पुलिस के एजेंटों का प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त न हो हम यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये रिपोर्टें गलत हैं। हमें ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाये कि मंत्रणा-बोर्ड साधारण न्यायालय की अपेक्षा कहीं अच्छा न्यायालय है, फिर भी हमारे लिये कुछ भी संरक्षण नहीं है। ७० दिनों तक तो हमें यूं ही बन्द रहना पड़ता है तब तक मंत्रणा-बोर्ड की कोई चर्चा नहीं होती। बिना किसी सुनवाई के हम इतन दिनों तक जेल में क्यों बन्द रहें?

अब मैं उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। इन न्यायालयों ने कुछ निरुद्ध व्यक्तियों को छोड़ दिया है। इस बात से हमारे गृह-मंत्री बहुत रुष्ट हैं और उन्हों ने इस की आलोचना की है। मेरे विचार से यह बहुत ही अनुचित बात है। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से किसी भी निरुद्ध व्यक्ति का छुट जाना बहुत कठिन बात है। उक्त न्यायालय तब तक निरुद्ध व्यक्तियों को मुक्त नहीं करते जब तक कि उन्हें यह विश्वास न हो जाये कि निरोध के आधार बेइमानी से दिये गये थे अथवा उन के पीछे सरकार का आशय अच्छा नहीं था। यह सिद्ध करना असंभव सा है क्यों कि भारतीय साक्ष्य विधि के अधीन श्रुतसाक्ष्य या राय प्रमाण नहीं होती। आप को व्यक्तिगत रूप से उस बात की जानकारी होनी चाहिये—जो एक बहुत कठिन काम है।

प्रतिवेदन में एक गलत बात यह कही गई है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय निरोध के आधारों के अपर्याप्त अथवा अनुचित होने पर निरुद्ध व्यक्तियों को मुक्त कर देते हैं। यह कहना सर्वथा मिथ्या है। ऐसी कोई बात नहीं होती। उक्त न्यायालयों को निरोध के आधारों की पर्याप्तता पर विचार करने का अधिकार ही नहीं दिया गया है। वे केवल यही देख सकते हैं कि निरोध के आधार निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं या नहीं अथवा वे इतने अस्पष्ट तो नहीं हैं कि उन के विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति अभ्यावेदन कर सकता है। स्पष्ट है कि माननीय गृह-मंत्री इतना संरक्षण भी नहीं देना चाहते। वह तो यही चाहेंगे कि आधार चाहे जैसे भी हों उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को उस निरोध के पक्ष में ही अपना निर्णय देना चाहिये, क्यों कि सरकार ऐसा चाहती है।

अब यह देखना है कि निवारक निरोध अधिनियम का वास्तविक कार्य संचालन किस

प्रकार हो रहा है। माननीय गृह-मंत्री का कथन है कि इस अधिनियम को लागू करने में राज्य सरकारें बहुत नरमी से काम लेती हैं। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि यह कथन सर्वथा निराधार एवं असत्य है। यदि आप इस प्रतिवेदन से संलग्न विवरण संख्या ३ को देखें तो आप पायेंगे कि आधारों के स्तम्भ में निरोध का एक आधार बिक्री-कर विरोधी आन्दोलन भी है। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में एक और आधार मज़दूरों को गड़बड़ करने के लिये उत्तेजित करना है। ध्यान रहे कि इस में हिंसात्मक कार्यों को उत्तेजित करना नहीं है बल्कि मज़दूरों को उकसाना कहा गया है। इस श्रेणी में हड़ताल भी आ जाती है—मज़दूर संघ सम्बन्धी कुछ अधिकारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया सत्याग्रह भी। इसी प्रकार मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नरमी की कौन कहे, राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपने अधिकारों का काफी दुरुपयोग कर रही हैं। गत वर्ष ३७४ मामलों में बिना उचित कारणों के लोगों को निरुद्ध किया गया था।

विवरण को देखने से पता चलता है कि गत वर्ष २२४ व्यक्ति मंत्रणा बोर्ड द्वारा, ६४ व्यक्ति उच्च न्यायालयों द्वारा और ८६ व्यक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा इसलिये मुक्त किये गये थे क्यों कि उन के निरोध के लिये कोई औचित्य नहीं था। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नागरिकों की स्वतंत्रताओं का किस प्रकार हनन किया जाता है।

निवारक निरोध अधिनियम को उचित और आवश्यक सिद्ध करने के लिये, हम पर हिंसात्मक कार्यों, गुंडागिरी, डकैती आदि के आरोप लगाये गये हैं। यह स्पष्ट है कि यदि उक्त अधिनियम का इन्हीं कार्यवाहियों को रोकने का उद्देश्य होता, तो उस अधिनियम की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्यों कि इन सब से निपटने के लिये तो भारतीय दण्ड संहिता ही पर्याप्त है। यह सब कहना तो एक बहाना मात्र है। इस अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य तो प्रत्येक प्रगतिशील आन्दोलन को रोकना और कुचल देना है। अपने कथन की पुष्टि के लिये मैं सौराष्ट्र के बिक्री-कर विरोधी आन्दोलन और कलकत्ता के ट्राम के किरायों में वृद्धि विरोधी आन्दोलन का उदाहरण दे सकता हूं। इन दोनों ही आन्दोलनों में जनता की आवाज़ को कुचल देने के लिये सैकड़ों लोगों को निरुद्ध किया गया। यही चीज़ खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में भी हुई। यह खाद्य आन्दोलन चावल के भाव कम करवाने के सम्बन्ध में हुआ था। बर्नपुर के मज़दूर संघ सम्बन्धी अधिकारों के सिलसिले में भी सरकार ने ऐसा ही दमनात्मक रुख अपनाया था। बम्बई में अखण्ड कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद के अनुयायियों को संयुक्त कर्नाटक राज्य की आवाज़ उठाने के लिये निरुद्ध किया गया। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। मैं अपने राज्य के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो व्यक्ति निरुद्ध किये गये हैं, उन का किसी हिंसात्मक कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं था।

मैं मानता हूं कि उक्त आन्दोलनों के सम्बन्ध में कहीं कहीं पर हिंसात्मक कार्य भी हुए हैं। परन्तु ऐसा निरुद्ध व्यक्तियों के कार्यों के कारण कदापि नहीं हुआ था। उन हिंसात्मक कार्यों का कारण तो स्वयं पुलिस थी। पुलिस के असभ्य एवं क्रूर व्यवहारों से ऊब कर ही लोगों को हिंसात्मक कार्यों को करने के लिये बाध्य होना पड़ा। फिर भी पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों और हिंसात्मक कार्यों की तुलना में ये कुछ भी नहीं थे। फिर हम लोगों पर हिंसात्मक कार्यों को करने का आरोप क्यों लगाया जाता है? कारण स्पष्ट है।

[श्री साधन चन्द्र गुप्ता]

सरकार हमारे सभी प्रगतिशील आन्दोलनों को कुचल देना चाहती है—अन्यायों के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर हमारा गला दबा देना चाहती है ।

इस अधिनियम के अधीन केवल साम्यवादियों पर ही अत्याचार नहीं हुए हैं । अन्य राजनैतिक दल वालों को भी इस अधिनियम के दुरुपयोग का भार सहना पड़ा है । यहां तक इस के अधीन कुछ कांग्रेस के लोगों को भी निरुद्ध किया गया है ।

अन्त में मैं इस सदन के सभी सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे इस अधिनियम के हानिकारक पहलू को भली प्रकार समझ लें । सभ्य समाज के सामने इस अधिनियम के कारण हमारे देश को लज्जित होना पड़ता है । यह हमारे मज़दूरों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिये एक विभीषिका है । अतः मैं यह चाहूंगा कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस हानिकारक अधिनियम का विरोध करे ।

राज्यों के पुनर्गठन के लिये एक आयोग की नियुक्ति संबंधी वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद विवाद में रुकावट नहीं डाल रहा हूं, परन्तु आप की और इस सदन की अनुमति से मैं एक ऐसे विषय के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं, जिस का इस वाद-विवाद के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भारत सरकार उन राज्यों की समस्या पर, जो कि भारतीय संघ के अंग हैं, ध्यानपूर्वक विचार करती रही है । अपनी वर्तमान अवस्था में ये राज्य बहुत कुछ ऐतिहासिक गतिविधि और भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार और घनीकरण के फलस्वरूप हैं । स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर, भारत का विभाजन हुआ और स्वतन्त्र राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ । तब तत्कालीन 'देसी रियासतों' के विलीनीकरण और एकीकरण का कार्य हुआ । पुरानी देशी रियासतों का यह एकीकरण, जो बहुत थोड़े ही काल में हुआ था, एक ऐतिहासिक महत्व की घटना थी । स्वभावत यह एकीकरण कुछ स्वाधीनता से पहले के पुराने ढंग पर आधारित था ।

अतः संघ में हमारे राज्यों का जो रूप है वह ऐतिहासिक संयोग और परिस्थितियों का परिणाम है । सौ या उस से अधिक वर्षों के अस्तित्व मात्र के कारण उन के अन्दर और आपस में राजनैतिक, शासकीय और सांस्कृतिक सम्बन्धों में विकास हुआ ।

जनता में राजनैतिक जागरूकता के महत्वपूर्ण विकास और महान प्रादेशिक भाषाओं के बढ़ते हुए महत्व के कारण धीरे धीरे भाषायी आधार पर कुछ राज्यों के बनाये जाने की मांगें की गईं । ऐसी प्रत्येक पृथक समस्या का अन्य समस्याओं से घनिष्ठ सम्बन्ध था और किसी भी नये राज्य के निर्माण का अन्य अनेक राज्यों पर प्रभाव अवश्य पड़ता था । अतः ऐसी किसी भी समस्या पर अन्य समस्याओं से अलग विचार करना बहुत कठिन हो गया ।

किसी भी क्षेत्र की भाषा और संस्कृति का निस्सन्देह काफी महत्व होता है क्यों कि ये दोनों वस्तुएं इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के ढंग का प्रतिनिधित्व करती हैं । राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करते समय अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा । पहली आवश्यक विचारणीय बात भारत की एकता और सुरक्षा को बनाये रखना और उसे सुदृढ़ करना है । वित्तीय, आर्थिक तथा प्रशासकीय समस्यायें भी लगभग उतनी ही महत्व-

पूर्ण हैं--प्रत्येक राज्य के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सारे राष्ट्र के लिये। भारत ने अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रगति के लिये एक महान सुव्यवस्थित योजना आरम्भ की है। ऐसे परिवर्तन, जो इस प्रकार की एक राष्ट्रीय योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के मार्ग में अड़ंगा डालते हैं, वे राष्ट्रीय हित में हानिकारक होंगे।

भारत सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के सम्पूर्ण प्रश्न पर ध्यानपूर्वक, तटस्थ और निष्पक्ष रूप से, विचार किया जाना चाहिये ताकि प्रत्येक इकाई के और सारे राष्ट्र के लोगों का कल्याण हो सके। अतः इस प्रकार की जांच करने के लिये सरकार ने एक आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है। यह आयोग समस्या की दशाओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और उस से सभी महत्वपूर्ण एवं सुसंगत पहलुओं के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करेगा। ऐसे पुनर्गठन से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव पर उन्हें विचार करने की स्वतन्त्रता होगी। अपने कार्य, सूचना एकत्रित करने और लोकमत मालूम करने के लिये यह आयोग अपना तरीका स्वयं बना सकेगा। सामान्यतः आयोग की बैठकें सार्वजनिक नहीं होंगी।

आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें यथा शीघ्र ३० जून, १९५५ से पहले भेज देगा।

सरकार आशा करती है कि यह आयोग आरम्भ में बारीकियों में नहीं जायेगा, बल्कि उन मोटे सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सिफारिश करेगा जिन के आधार पर इस समस्या का हल होना चाहिये और यदि वे चाहें तो वे उन आधारों के सम्बन्ध में भी, सिफारिश कर सकते हैं, जिन पर किसी राज्य विशेष का पुनर्गठन होना चाहिये, और वह सरकार के विचारार्थ अन्तरिम प्रतिवेदन देगा।

आयोग का एक सचिव होगा और उस में आवश्यक समझे जाने वाले कर्मचारीगण और सलाहकार भी होंगे।

इस आयोग में श्री सैयद फजल अली, जो आज कल उड़ीसा के राज्यपाल हैं, श्री हृदयनाथ कुंजरू, राज्य परिषद् के सदस्य, और श्री कवलम माधवपन्निकर आजकल मिश्र में भारत के राजदूत, होंगे, जिन में से श्री सैयद फजल अली इस आयोग के सभापति होंगे।

निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति सम्बन्धी प्रतिवेदन विषयक प्रस्ताव—

क्रमशः

श्री फ्रैंक एन्थनी : मुझे दुःख है कि गृह-कार्य मंत्री ने अपने भाषण द्वारा एक भद्दे केस को और भी बिगाड़ लिया है। मुझे उन के रवैये तथा भाषा दोनों पर ही आश्चर्य हुआ। यदि उन्हों ने यह स्वीकार किया होता कि देश की असाधारण स्थिति के कारण हम ने ब्रिटिश रवैया अपनाया है, उन्हों ने यह स्वीकार किया होता कि शान्ति काल में बिना सुनवाई के निवारकनिरोध प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है, उन्हों ने यह स्वीकार किया होता कि यह एक अनिवार्य दोष है तो हम उन की बात ध्यान तथा श्रद्धा के साथ सुनते। किन्तु तथाकथित प्रजातन्त्रीय कही जाने वाली सरकार की ओर से बोलते हुए गृहकार्य मंत्री ने हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया है। गृहकार्य मंत्री के वचन निवारक निरोध अधिनियम के अधीन अधिक कार्यवाही करने के लिए राज्यों को और भी प्रोत्साहन देते हैं। उन्हों ने न्यायपालिका के लिए जो कुछ कहा है वह अनुचित है। डा० काटजू की प्रसिद्धि एक अच्छे वकील के नाते है किन्तु प्रकटतः ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हों ने मानो संविधानों एवं वैधानिक शास्त्रों से ही सम्बन्ध विच्छेद कर लिया हो। मुझे इस बात

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

का तो कोई ज्ञान नहीं है कि हम ने ब्राज़ील अथवा हालैंड से पूर्ववर्ती दृष्टांत लिये हों; किन्तु अमरीकी संविधान से अवश्य बहुत कुछ लिया है। उन का विश्वास है कि बिना सुनवाई के निवारक निरोध प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों का एकदम उल्लंघन करता है मूलभूत अधिकारों का मूल तथा प्रारम्भिक अधिकार वैयक्तिक स्वातन्त्र्य है, और बिना सुनवाई के एक व्यक्ति का निवारक इस का विरोध करता है। ऐसा विश्वास करने के लिए हम से कहा गया है। मैं विश्वास करता हूं और मुझे आशा है कि डा० काटजू अब भी इस में विश्वास करते हैं। किन्तु डा० काटजू केवल इसी नाते कि वह मेरे विरोधी पक्ष की ओर से बोल रहे हैं, आज इन मूल विचारों पर कटाक्ष कर रहे हैं क्यों कि इन विचारों पर कटाक्ष करना उन के दल का ध्येय मात्र है।

अब मैं प्रतिवेदन के बारे में विचार प्रकट करूंगा। यह प्रतिवेदन दिखाऊ तथा लापरवाही पूर्ण है। इस के एक या सवा पृष्ठ पर तो वास्तव में कुछ भी नहीं बताया गया है। मेरा विचार है कि डा० काटजू ने बहुत ही साधारण ढंग से ऐरी गैरी बातें कही हैं। वे कहते हैं कि सभी राज्य यह चाहते हैं कि यह अधिनियम जारी रहे, इस के जारी रखने में वे एकमत हैं, और उन का एकमत होना बहुमत से यह सिद्ध करता है कि यह जारी रहे। यदि आप इस सम्बन्ध में इस प्रतिवेदन में दिये गये निवारक निरोध विषयक ३० सितम्बर १९५२ के विवरण को देखें तो इस एकमत का भी आप को ज्ञान हो जायगा। ३० नवम्बर १९५२ को २६ राज्यों में से ११ राज्य ऐसे थे जिन में एक भी व्यक्ति का निरोध नहीं था; केवल ऐसा विवरण हमें प्रतिवेदन में दिया गया है, और हम से कहा गया है कि हम इस विवरण को स्वीकार कर लें कि सभी राज्य एकमत हैं और प्रत्येक को इस निवारक निरोध अधिनियम के जारी कराने में अपनी सहमति देनी चाहिए। निस्सन्देह इस प्रकार का ही एकमत विभिन्न राज्यों से लिया गया है।

इस अधिनियम को जारी रखने के लिए दूसरी बात माननीय मंत्री ने देश की वर्तमान स्थिति बताई है। उन्हों ने हिंसा का उल्लेख किया है, डाकुओं की चर्चा की है, सभी प्रकार से अनुल्लेखनीय भाषणों के बारे में कहा है, किन्तु न्यायप्रिय तथा विधान जानने वाले व्यक्तियों को ये कोरी बातें फुसला नहीं सकतीं। ३६ करोड़ जन संख्या वाले इस महान देश में, चाहे वह आदर्श राज्य, चाहे वह आदर्श देश ही क्यों न हो हिंसापूर्ण कार्यवाही पायेंगे, मनुष्यों को डाकुओं से गठजोड़ करता पायेंगे? उस समय अमरीका में क्या हुआ था जब कि वह एक प्रकार से डाकुओं द्वारा ग्रस्त था। इस की सीमा, इस की जनसंख्या की तुलना करते हुए मैं कहता हूं कि उस समय के अमरीका की तुलना में हमारे देश की स्थिति अधिक स्थिर है और उन्हों ने उस समय भी निवारक निरोध अधिनियम बनाने की नहीं सोची।

३० सितम्बर १९५२ को १५५ कम्यूनिस्ट बन्दी थे। वे एक राजनैतिक दल के सब से अधिक बन्दी थे। सरकार की नीति क्या है? मैं नहीं जानता कि सरकार की कोई भी नीति है। गृह मंत्रालय ने एक हौवा सा बना रखा है कि कम्यूनिस्ट पार्टी हिंसा करती है और अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से कम्यूनिस्ट पार्टी के विरुद्ध है। क्या यह सत्य है? यदि यह सत्य है तो फिर आप और भी अच्छी तथा ईमानदारीपूर्ण नीति क्यों नहीं बनाते। तब फिर आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते कि कम्यूनिस्ट अपनी नीति तथा कार्यवाहियों के कारण देश के लिए घातक हैं। फिर कम्यूनिस्ट दल पर आप प्रतिबन्ध क्यों

नहीं लगा देते ? क्यों कि अधिक अच्छी एवं निष्कपट नीति बनाने में आप संशयशील हैं; आप अपनी बात को केवल कोरी कोरी बातों पर ही आधारित करना चाहते हैं जो कि सम्बन्धी दल के लिए भी अच्छी नहीं हैं। निरंकुश विधान पर आधारित इस प्रकार के विवरण द्वारा आप देश को भाड़ में झौंकना चाहते हैं। डा० काटजू का कहना है कि साम्यवादी लोग देश की सुरक्षा के लिए एक विभीषिका के समान हैं। जब ऐसी बात है तो मैं यह नहीं समझ सका कि फिर सरकार उन से मेल जोल क्यों रखती है ? मैं यह नहीं समझ सका एक ओर तो आप निवारक निरोध अधिनियम जारी रखने के लिए ज़ोर दे रहे हैं जो कि साम्यवादियों के प्रत्यक्ष विरुद्ध है दूसरी ओर आप उन से मेलजोल भी रखते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि आप की कोई नीति नहीं है।

फिर एक ओर डाकुओं से गठजोड़ करने वाले व्यक्तियों का दल है, तथा व्यक्तियों का एक विशाल समूह तथाकथित हिंसा के लिए जेल में डाला हुआ है। किन्तु यह क्या बताता है ? ३० सितम्बर, १९५२ को ५८४ बन्दी थे जिन में २४४ तथाकथित हिंसा के कारण बन्दी थे। काफी व्यक्ति तथाकथित हिंसा के लिए बन्दी थे। इस का महत्व क्या है ?

मेरा गृह-कार्य मंत्री से यही कहना है कि वह निवारक निरोध अधिनियम को सारे देश के लिए लागू न करें क्योंकि देश में हिंसा के कारण निरुद्ध व्यक्तियों का २/३ भाग बम्बई में पड़ा है जो किसी समय देश का सुसभ्य तथा नमूने का राज्य समझा जाता था। हमें बताया गया है कि समस्त देश में हिंसा फैल रही है किन्तु विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हैदराबाद को छोड़कर जहां कि स्थिति असाधारण है, साम्यवादियों के बहुमत वाले क्षेत्र में भी हिंसा नहीं है अपितु यदि कहीं मिलती भी है तो वह आप के सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्यों में ही पाई जाती है।

हम जानते हैं कि किसी भी बन्दी का प्रतिनिधित्व परामर्श मंडल के समक्ष नहीं किया जा सकता। हम यह भी जानते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम की धारा ७ (२) भी है जो कि अधिक प्रभावशाली उपबन्ध के रूप में मिलती है। इस उपबन्ध के कारण आप के परामर्श मंडल काफी कमज़ोर हो गये हैं। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने बताया है अपने देश के प्रत्येक न्यायालय के अधिकारक्षेत्र को समाप्त कर दिया है। यह प्रभाव डालने का बहाना न करें कि न्यायालय पूर्णरूपेण कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। निरोधक अधिकारी को केवल 'सार्वजनिक हित में' शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, और इन शब्दों के कारण परामर्श मंडल इस निरोध के कारण भी नहीं पूछ सकते। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र भी समाप्त हो गये हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतना होते हुए भी गृह-कार्य मंत्री ने इसे बड़ा लाभदायक उपबन्ध कहा है।

गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि इस ने बड़ी अच्छी तरह से कार्य किया है, बड़ी सुन्दरता से कार्य किया है, और यही कारण है कि यह लाभदायक है। निवारक निरोध अधिनियम की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधीश श्री पातंजली शास्त्री का कथन है जो उन्होंने अभी जून १९५३ में कहा था। उन्होंने गृह-कार्य मंत्री के इस निर्णय को नहीं माना है कि यह लाभदायक उपबन्ध है क्योंकि इस ने देश की जनता को काफी स्वतन्त्रता दी है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कहते हैं कि बहुत से आदेशों के होते हुए भी इस अधिनियम का प्रयोग निर्दयता के साथ हो रहा है, यह वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर आक्रमण करता है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षणों में कमी करता है। मेरा यही

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

नम्र निवेदन है कि सरकार प्रजातंत्र के लिए उचित सेवा नहीं कर रही है।

हम यह जानते हैं कि यदि प्रजातन्त्र के आधार पर कार्य हो तो आन्तरिक रूप से एक ही दल के हाथ में सत्ता नहीं रह सकती। जनता आज यह कह रही है कि सरकार एक ओर तो प्रजातन्त्र की दुहाई दे रही है किन्तु दूसरी ओर स्वतः ही उस का गला घोंट रही है। सरकार का कहना है कि साम्यवादी लोग प्रजातन्त्र को नष्ट कर रहे हैं।

अन्त में मेरा यही कहना है कि मुझे यह संशय है कि निरन्तर इस प्रकार कहने से, बराबर यह धोखा देने से कि यह घृणाजनक विधान नहीं है, आप जनता की आत्मा का हनन कर रहे हैं। मुझे डर है कि इस प्रकार देश की आत्मा, इस देश की प्रजातन्त्रीय आत्मा का हनन किया जा रहा है। मेरा विचार है कि जिस रूप से इस अधिनियम का समर्थन किया गया है उस से इस देश की आत्मा को ठेस पहुंचेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे (गना) : उपाध्यक्ष महोदय भारत के गृह मंत्री डा० काटजू ने कल जब यह प्रस्ताव रखा कि शायद प्रिवेन्टिव डेटेन्शन ऐक्ट चिरंतन काल के लिये भारत के विधान में सम्मिलित होगा तब मैं समझता हूं कि भारत के सभी बुद्धिमान लोगों को बड़ा धक्का लगा। मैं समझता हूं कि एक क्षण के लिये भी तत्वदृष्टि से प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट किसी भी सुसंस्कृत देश के लिये एक बड़ा भारी कलंक है। भारत के संविधान में बड़ी गम्भीरता से हम ने जनता को कई मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं। इस देश के नागरिकों को आप ने कौन से मौलिक अधिकार दिये हैं?

आपने हम को एक बड़ा अधिकार प्रदान किया है। बिना अभियोग के कैद में रहने का अधिकार भारत के नागरिकों को है। मैं समझता हूं कि यह अधिकार तभी प्रत्यक्ष में आता है जबकि देश का अस्तित्व खतरे में होता है। हम समझ सकते हैं कि ऐसे समय में चार महीने के लिये, छः महीने के लिये या एक साल के लिये हमारी स्वातंत्र्य की कल्पना को दबा कर आप लोगों को कैद कर सकते हैं। लेकिन अंगरेजों से सीखे हुए यह अंगरेजों के चेले उन से भी बढ़ कर बड़े हो गये। इंग्लैंड में इस प्रकार का कानून लगा था, हिन्दुस्तान में भी यह कानून चल रहा था। लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत की सरकार आने के पश्चात् सन् १९४७ और १९४८ में इस तरह की स्थिति हो गई कि इसको लगाया गया, फिर इस को दो साल के लिये और बढ़ाया गया। लेकिन १९५२ में हमारे गृह मंत्री की जुर्रत और ताकत इतनी बढ़ गई है कि प्रजातंत्र के इस सदन में आकर के वह कह सकते हैं कि चिरंतन काल के लिये हम आज किसी आदमी को उठा कर बिना अभियोग लगाये जेल में रख सकते हैं। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें यहां कही गईं कि गुंडे हैं, डाके डाल रहे हैं, ब्लैक मार्केटर हैं, बड़ा खतरा पैदा हो गया है, लेकिन यह बहाना रख कर आप हमारे सामने आये हैं। डा० काटजू ने बताया कि मोरैना और भिंड में बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कि भिंड और मोरैना में आपने कितने लोगों को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में गिरफ्तार किया है। मेरी इन्फामशन है कि आपने वहां एक को भी कैद नहीं किया। यह गुंडे कौन हैं, देश के लिये खतरा कौन बन रहे हैं? उनका नाम आपने दिया नहीं है। मैं उनका नाम पूछना चाहता हूं कि भारत की स्वतन्त्रता को खतरा किस से था? आप के इशारों पर प्रान्तों में बहुत सी बातें कही गई। पहले तो उनको धोखा था। स्वर्गवासी डा० श्यामाप्रसाद मकर्जी, भारत सर-

कार के भूतपूर्व मंत्री, दूसरे थे डा० खरे, इसी कांग्रेस के एक प्रान्त के प्रधान मंत्री बाइसराय की एग्जिक्यूटिव कौंसिल के एक मेम्बर और आज पार्लियामेंट के सदस्य, तीसरे थे श्रीयुत निर्मलचन्द्र चैटर्जी, कलकत्ता हाईकोट के भूतपूर्व न्यायाधीश इन तीनों से। इस प्रकार के लोगों को कैद करने के लिये यह कानून आपने बनाया है। पक्षशः, हर एक दल की दृष्टि से पूरी इन्फार्मेशन आप ने नहीं दी है। आई० एन० टी० यू० सी०, सी० पी० आई०, एस० वी० सी०, एस० पी० आई० और ऐसे ही कई नाम मेरे पास हैं। डिक्शनरी के जो अल्फाबेट्स हैं मैं समझता हूं कि सभी उठा कर रख दिये गये हैं। मैं तो समझा कि शायद अल्फाबेट्स की कोई कान्फरेन्स हो रही है। लेकिन पूरा विश्लेषण करने के बाद मैंने देखा है कि कैद किये हुए आदमियों में से ४९ तो हिन्दू महासभा के हैं, २० जनसंघ के हैं, ४ राम राज्य परिषद् के हैं कुल मिला कर ७३ हुए। दूसरी जगह के लिये लिख दिया है कि हिन्दू महा सभा, जनसंघ और राम राज्य परिषद् के मिला कर कुल ५५ हुए। इस तरह से कुल ९१४ में से हिन्दू महासभा और ऐलाइड आर्गेनाइजेशन के मिला कर १२८ लोग उन्होंने शान्ति के लिये कैद किये हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिये एक वर्ष में ८ आदमी कैद किये हैं। मैंने कम्यूनिस्ट क्षेत्रों से कैद किये गये लोगों का भी रहस्योद्घाटन करने का प्रयत्न किया है उसके फिगर्स यह हैं: कम्यूनिस्ट ऐंड ऐलाइड आर्गेनाइजेशन्स के १०४, सोशलिस्ट और फार्वर्ड ब्लाक मिला कर १३, मुस्लिम लीग के ४, कर्नाटक की जो परिषद् थी उसके १०, खेडूत संघ के २। ऐसे लोग जो कि राजनैतिक दल के हैं लेकिन जिन का सरकार को पता नहीं कि वह किस दल के हैं २३८, जिन लोगों का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं था उस प्रकार के ४१५। इस तरह से कुल मिला कर ९१४ लोगों को उन्होंने कैद किया है।

आगे चल कर यहां यह कहा जाता है कि यह लोग देश के शत्रु हैं। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं उनमें से कितनों को आपने कैद किया है? सौराष्ट्र और राजस्थान की बातें यहां कही गईं। लेकिन सौराष्ट्र और राजस्थान से मैं पूछता हूं कि सब मिला कर कितने ब्लैक मार्केटर्स को आपने कैद किया है? पूरे फिगर्स देखने के पश्चात् मैं देखता हूं कि २८ ज्यादा ब्लैक मार्केटस को इस सरकार ने कैद नहीं किया है। मैं जानता हूं कि देश भर में २८ से ज्यादा ब्लैक मार्केटस आप को मिल सकते थे। लेकिन यह सरकार तो चल ही रही है ब्लक मार्केटर्स के बल पर। पच्चीस पच्चीस लाख रुपये सरकार को शुगर के कारखानेदारों से चुनाव लड़ने के लिये मिलते हैं। जो लोग समाज के सच्चे शत्रु हैं उनको गिरफ्तार करने की ताकत तो उन में थी नहीं।

आगे चल कर मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का काम चलता रहा? आज इस सदन में मुझे इस बात का अभिमान प्राप्त है कि पार्लियामेन्ट के अन्दर पिछले दो वर्ष में सबसे ज्यादा प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की सजा भुगतने वाला मैं हूं। एक वर्ष के अन्दर दो बार मुझे प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट में जेल जाना पड़ा और आज मैं इस सदन में पूछना चाहता हूं कि आखिर मझे किस कारण से जेल जाना पड़ा। मैं अपनी बात बतलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोट में मेरा केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह ठीक बात नहीं है और मुझे छोड़ दिया जाना चाहिये। दूसरी दफा भी.....

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़–पूर्व व जिला बलिया–पश्चिम): उपाध्यक्ष

[श्री अलगु राय शास्त्री]

महोदय, मैं एक बात आप से जानना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र ने कहा कि शुगर मर्चेन्ट्स से २५ लाख रुपया इस पार्टी को चनाव फंड के लिये मिल जाते हैं और इस कारण उसने किसी को जेल नहीं भेजा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का कोई सबूत उनके पास है कि कांग्रेस पार्टी को रुपया मिला है।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : वह प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं समझते हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं खुद इन्कार नहीं करता प्रमाण बताने से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मुझ से एक शुगर के कारखानेदार मिले। अगर मैं उनका नाम आप को बतला दूंगा तो आप पता लगने पर उसको ही प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में पकड़ लेंगे। इस लिये मैं नाम नहीं बतलाना चाहता। लेकिन मेरे पास सैटिस्फैक्टरी प्रमाण मौजूद हैं।

श्री गाडगील : औचित्य प्रश्न के नाते पूछना चाहता हूं कि क्या संसद् सदस्य होते हुए वह नाम नहीं बता सकते ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या चन्दा देना भी कोई अपराध है ?

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं समझता हूं कि कांग्रेस को चन्दा देना क्राइम है। जो गाडगिल साहब ने कहा; क्राइम करने वालों के नाम के बारे में तो मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरी समझ में यह बात जरूर है कि कांग्रेस को चन्दा दिया गया है, लेकिन इन्डियन पेनल कोड में यह कोई गुनाह नहीं समझा गया। इसी के कारण...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विषय के गुणावगुण पर विचार करें, और किसी भी दल पर आरोप न लगायें। जब तक किसी भी आरोप का कोई पुष्ट प्रमाण न हो तब तक उसे सदन में नहीं बताया जाना चाहिये।

डा० एन० बी० खरे : मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक गुप्त बात की हवा तो उड़ सकती है पर उसका प्रमाण क्या मिल सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी हवा उड़े उसे दबाया जाना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : कांग्रेस पार्टी चूंकि सत्तारूढ़ है अतः हम घाटे में हैं। हम जो कुछ भी कहें उसे गुप्त नहीं रखा जाता और वे जो कुछ भी चाहें कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें अपनी पार्टी को मज़बूत बना कर सरकार पर सत्ता प्राप्त करनी चाहिये। मैं सदन में हर एक सदस्य को इस प्रकार से आरोप लगाने की आज्ञा नहीं दे सकता। मैं यह कतई नहीं चाहता कि इस सदन में अल्पसंख्यक दल के सदस्य औरों पर कीचड़ उछालें और इस तरह के आरोप लगायें।

श्री वी० जी० देशपांडे: उपाध्यक्ष महोदय यदि मैं इसका सबूत ले आऊं तो क्या मैं यह चार्ज लगा सकता हूं ? यदि उपाध्यक्ष महोदय आज्ञा दे दें तो मैं प्रिविलेज कमेटी के सामने इसका सबूत लाकर इस चार्ज को लाने के लिए तैयार हूं। जो आरोप मैंने किया था उसका सबूत मैं ला सकता हूं। मैं तो डाक्टर काटजू के सामने इस बात को साबित करना चाहता हूं। मेरा इरादा तो आपको यह बतलाने का था कि जिनको आपने कैद किया है वह राष्ट्र की रक्षा के लिए घातक नहीं हैं।

इस लिस्ट में २८ से ज्यादा ब्लैक मारकेटियर्स नहीं हैं। हमारे दिल में यह डर था कि जो विरोधी दल हैं उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए इस कानून का उपयोग होगा, इस हमारे भय का पूरा समाधान हो गया है। जिस प्रकार से आपने एक वर्ष में अपने अधिकारियों के द्वारा इस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट पर काम कराया है उसको देख कर मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा भय सही था।

तो मैं यह बता रहा था कि पहली दफा जब मुझे कैद किया गया तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। दूसरी बार मैं फिर छोड़ दिया गया। पर सरकार की इच्छा नहीं थी। इसलिए अभी मैं कोर्ट से चल कर अपने घर भी नहीं पहुंचा था कि मेरे दरवाजे पर एक सी० आई० डी० का आदमी मेरे से मिला और उसने मुझे बतलाया कि तुम को कैद किया जाता है क्योंकि तुम्हारे खिलाफ गवर्नमेंट का रिट है क्योंकि तुम उस प्रस्ताव का विरोध करना चाहते हो जो कि आन्दोलन को बन्द करने के लिए किया जाने वाला है। तो इस प्रकार से लोगों को कैद किया जाता है।

मैं आपको एक और बात बतलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपने लोगों को कद किया है। इसमें मुस्लिम लीग का एक आदमी है और एक जमैयत इस्लाम का आदमी है। इन दो व्यक्तियों को कैद किया गया है। मुस्लिम लीग वाले के बारे में यह कहा गया कि वह इस बात की कोशिश कर रहा था कि आसाम का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाय। मैंने इलेक्शन ट्राइबुनल का निर्णय पढ़ा है कि एक कांग्रेस के सदस्य ने यह पत्रक निकाला था कि कांग्रेस में मेरा वज़न है और अगर मैं चुनकर आता हूं तो मैं इस हिस्से को पाकिस्तान में भेज दूंगा। उसका कुछ नहीं किया गया, हम जानते हैं कि अलीगढ़ में कानफरेंस क्यों हुई। जब अमरीका और पाकिस्तान का समझौता हो रहा था ठीक उसी समय भारत के मुसलमान एक जगह एक कानफरेंस में इकट्ठे होते हैं और इसलाम खतरे में है का नारा उठाते हैं। यह किस उद्देश्य से हो रहा था। हमारे होम मिनिस्टर साहब को इसका पता होना चाहिए था। उनको पता नहीं कि देश में कौन पंचमांगी हैं पर वह श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री चटर्जी और डाक्टर खरे को कैद करते हैं जो कि हमारे देश के महान् नेता हैं और जिनका सहयोग कांग्रेस ने इस देश का शासन प्राप्त करने के लिए लिया था। हम बताना चाहते हैं कि आज देश में जो पंचमांगी हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता है। मैं तो समझता हूं कि कम्युनिस्ट जो कि हिन्दुओं के खिलाफ कोशिश करते हैं उनके लिए भी इसका उतना उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप प्रजातंत्र चाहते हैं और देश की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको इस ऐक्ट को एक बरस तो क्या एक मिनट के लिए भी नहीं रखना चाहिए। यही मेरी मान्यता है।

डा० जयसूर्य (मेदक): उपाध्यक्ष महोदय, विगत २० दिनों से मैंने अपने मित्रों को यह कह कर विस्मय में डाल दिया है कि मैं माननीय गृहमंत्री द्वारा देश के प्रति की जाने वाली सेवाओं की प्रशंसा करने लगा हूं। श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि गृह मंत्री को २१ तोपों की सलामी दी जानी चाहिये और इन सब तोपों का मुंह सीधे उन्हीं की ओर हो।

श्री एम० पी० मिश्र : (मुंगेर उत्तर-पश्चिम): उन्हें स्टालिन शान्ति पुरस्कार क्यों न दे दिया जाय ?

डा० जयसूर्य : श्रीमान्, कल मैंने वक्तृताएं सुनीं। हम किस सीमा तक महात्मा गांधी के सिद्धान्तों से दूर चले गये हैं।

[डा० जयसूर्य]

माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि वह समस्त राज्य सरकारों की सलाह प्राप्त करेंगे, उनकी रायें और दूसरे आंकड़े संग्रह करेंगे और दोनों सदनों के सदस्यों में उक्त सामग्री परिचालित करेंगे।

दूसरे राज्यों के विषय में कुछ न कह कर मैं हैदराबाद के सम्बन्ध में गृहमंत्री द्वारा दिये गये सुन्दर शैली युक्त भाषण से कतिपय निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करूंगा। वह हास्यास्पद है। प्रतिवेदन के अनुसार ३० सितम्बर १९५२ को १२६ व्यक्ति निरुद्ध थे; ११२ साम्यवादी हैं—वर्गीकरण इस प्रकार है—५३ व्यक्ति हिंसाजनक कार्यों में संलग्न, २२ हिंसा के प्रचार में युक्त, ३५ दुष्चरित्र, १४ मुल्की आन्दोलन कर्ता और २ साम्प्रदायिक झगड़े उत्पन्न करने वाले। जहां तक दुष्चरित्र व्यक्तियों का सम्बन्ध है यदि मेरे माननीय मित्र हैदराबाद चलने को तैयार हों तो मैं उन्हें ऐसे दुष्चरित्र व्यक्ति दिखाऊंगा जो सम्मानीय ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : क्योंकि वे कांग्रेस में सम्मिलित हो गये हैं।

डा० जयसूर्य : वह इतने अनजान नहीं हैं। उन्हें यथार्थ जानकारी प्राप्त है, मुझे भी वही बातें मालूम हैं, किन्तु वह उसे प्रकट नहीं कर सकते और मुझे इसे यहां उपस्थित करने का पूर्ण अधिकार है। यह निर्वचन और मूल्यांकन का प्रश्न है। क्या एक भ्रष्ट पदाधिकारी अथवा भ्रष्ट मंत्री राज्य के लिये खतरा नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं। मैं इस तरह की युक्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्रियों के आचरण के लेखे जोखे के लिये यहां अवसर नहीं है। उनके विरुद्ध वहां पर ही अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है।

डा० जयसूर्य : कल मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना था कि यह गुंडों के लिये बनाया गया है। यहां जो सूची बताई गई है उसे मैंने देखा है। ३० सितम्बर, १९५२ को हैदराबाद में मंत्रणा बोर्ड ने किसी भी निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त नहीं किया। उच्च न्यायालय ने ४ व्यक्ति रिहा कर दिये और उच्चतम न्यायालय द्वारा ३८ रिहा किये गये। एक आश्चर्यजनक बात और है। ३० सितम्बर १९५२ के बाद निवारक निरोध अधिनियम के अधीन बहुत कम व्यक्ति बंदी बनाये गये। इस विषय में श्री एच० वी० आर० आयंगार का एक गुप्त परिपत्र है जिसके २२वें परिच्छेद में कहा गया है कि जिन आरोपों के अधीन व्यक्ति निरुद्ध किया जाय उनकी रचना में सरकार को अत्यन्त सावधानी से काम लेना चाहिये। सितम्बर, १९५१ में २१ व्यक्ति बन्दी बनाये गये और उनमें एक आधार यह भी था कि अपराधी डा० जयसूर्य का मित्र था।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

श्रीमान्, मेरे पास एक पुस्तक है जो मुझे उपहारस्वरूप मिली है। उसमें लिखा है : "मेरे सम्मानीय तथा प्रिय मित्र डा० जयसूर्य को—कैलाशनाथ काटजू की ओर से।" तब डा० काटजू को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन बन्दी क्यों नहीं बना लिया जाता। सबसे अधिक वेदना मुझे इसलिये हुई कि उपयुक्तता के नाम पर कल अनेक दलीलें दी गईं। ल्योन ब्लुम का कथन है—"अस्थायी समाज और अस्थायी विश्व में कोई स्थायी सरकार नहीं टिक सकती।" आप स्थायी समाज की सृष्टि कीजिये—डंडे के बल पर

नहीं, निवारक निरोध अधिनियम के बल पर नहीं किन्तु देश के समग्र सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के आधार पर।

यदि सरकार सशक्त है, यदि जनता में आपका विश्वास है तो जनता स्वयं ही नजरबन्द बनाने योग्य व्यक्तियों को मार कर दुरस्त कर देगी।

श्री अलगूराय शास्त्री : क्या आप ऐसा करने की अनुमति देंगे ?.

डा० जयसूर्य : जब व्यक्ति कठिनाई में होंगे तो सुनेंगे। आप उन कठिनाइयों को दूर कीजिये। मैं हेराल्ड आइक्स का उद्धरण देना चाहता हूं जिन्होंने हाल ही में लिखा था : "मैं खब्तियों द्वारा की जाने वाली हुकूमत का विरोधी हूं।" अधिकांश काम सामान्य विधि द्वारा किये जा सकते हैं। यदि भारत में किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ तो हम आपका साथ देंगे।

श्री एम० पी० मिश्र : कौन देश का साथ देगा ? क्या डा० जयसूर्य साथ देंगे ?

डा० जयसूर्य : जनता। जनता इसका उत्तर देगी।

श्री गाडगील : सभापति महोदय हमें दो बातों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। प्रथम, क्या सदन द्वारा गत वर्ष इस अधिनियम को पारित करने के समय से लेकर अभी तक की अवधि में उस पर युक्ति-युक्त और सावधानीपूर्वक अमल किया गया है। दूसरे एक वर्ष की अवधि तक इसे और जारी रखने के लिये क्या सरकार के पास आधार है।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है गृह मंत्री ने सांख्यकी के आधार पर यह बताया है कि ३० सितम्बर, १९५३ को नजरबन्दियों की संख्या ११७ अर्थात् प्रति ३० लाख व्यक्तियों पर एक रह गई है।

डा० काटजू : ३१ अक्तूबर।

डा० एन० बी० खरे : होमियोपैथी की गोलियां अत्यन्त शक्तिवर्धक होती हैं।

श्री गाडगील : समय-समय पर मामलों की जांच करने और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को निर्देश करने के अधिकार से युक्त जो व्यवस्था अर्थात् मंत्रणा बोर्ड नियत किया गया है मेरी राय में उसका कार्य सन्तोषजनक है। गतवर्ष अधिनियम के उपबन्धों का दुरुपयोग करने वाले जो उदाहरण मुख्य अधिनियम की चर्चा करते समय उपस्थित किये गये थे वैसे अभी नहीं दिये गये हैं। इससे प्रकट है कि सरकार, मंत्रणा बोर्ड, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के सचेष्ट रहने पर भी १७५ व्यक्तियों के ऐसे मामले हैं जिन्हें नजरबन्द बनाने के औचित्य में लेशमात्र भी शंका की गुंजायश नहीं है।

दूसरी बात यह है कि क्या इस अधिनियम को जारी रखने के लिये सरकार ने कोई उचित तर्क प्रस्तुत किया है। सैद्धान्तिक आधार पर हम सब जानते हैं कि निवारक निरोध स्पृहरणीय नहीं है कोई इसे नहीं चाहता है। कांग्रेस जैसी महान् संस्था जिसने विगत सत्तर वर्षों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नारा बुलन्द किया है इसे कभी पसन्द नहीं करती। वस्तुतः हम इसे नहीं चाहते हैं किन्तु परिस्थितिवश आज कांग्रेस देश की बागडोर संभालने के लिये उत्तरदायी बनी है तब ऐसे समाज की सृष्टि करना उसका काम है जहां विधि और व्यवस्था बनी रहे। यदि आप एक व्यक्ति को किसी कार्य का उत्तरदायित्व सौंपते हैं तो आप उसे निस्संदेह ही उपयुक्त और प्रभावी शक्ति से सुसज्जित करेंगे। इस विशाल देश का शासन करने में जहां भिन्न-भिन्न विचारधाराओं वाली भिन्न-भिन्न पार्टियां विद्यमान हैं वहां इस तरह की

[श्री गाडगील]

प्रभावी शक्ति की अतीव आवश्यकता है। वर्तमान युग संक्रमण काल है, हम एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रहे हैं।

इस विस्तृत देश में प्रथम बार प्रजातांत्रिक संविधान अंगीकृत हुआ है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जनता में वास्तविक प्रजातांत्रिक भावनाओं का समावेश हो गया है। आज भी हम में ऐसी आदतें हैं जो प्रजातांत्रिक संस्थाओं के समुचित संचालन की दृष्टि से वांछनीय नहीं है। दस-पन्द्रह वर्ष में जाकर हम ऐसी आदतों का विकास कर सकेंगे कि किसी भी प्रश्न पर निरपेक्षता से विचार किया जाय, और केवल इसलिये अनियमितता का आश्रय न लिया जाय कि किसी के प्रति सरकार ने दुर्व्यवहार किया है। संविधान के उपबंधों अनुसार यदि आप किसी विधि विशेष में परिवर्तन अथवा संशोधन करना चाहते हैं तो जनमत के परिवर्तन द्वारा तीन-चार वर्ष की अवधि में आप ऐसा अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। एक प्रजातांत्रिक रीति है कि आप सरकारी पक्ष में हों अथवा विपक्ष में, आप यदि निर्वाचन में पराजित हो गये हैं तो सरकार के विरुद्ध प्रचार कीजिये, कानून के विरुद्ध नहीं। प्रत्येक प्रजातंत्र देश के नागरिक का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह विधि की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करे और उसे राज्य की सार्वभौम और सर्वोपरि सत्ता स्वीकार करे। राज्य के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले सिद्धान्तों का प्रचार कानूनी और वैधानिक दृष्टियों से तो दूर, नैतिक दृष्टि से भी अनुचित है।

देश की स्थिति की ओर दृष्टिपात करो। सदन के अनेक सदस्यों ने विद्यार्थियों में फैल रही अनुशासन हीनता की शिकायत की है। मैं नहीं चाहता कि उन विद्यार्थियों के विरुद्ध इस अधिनियम का प्रयोग किया जाय। किन्तु विद्यार्थियों के आन्दोलनों के पीछे कुछ गुंडे काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाये गये हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्यार्थियों को संघर्ष का केन्द्र बिन्दु बना कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

अभी हाल ही में सदन में अलीगढ़ के विषय में प्रश्न पूछे गये थे। राज्य की सुरक्षा के प्रति सजग और नियम तथा शान्ति स्थापन के उत्तरदायित्व के प्रति सचेष्ट रहने वाली कोई भी सरकार इस तरह के कृत्यों को सहन नहीं कर सकती। क्या आप वर्तमान स्थिति में इस अधिनियम को जारी रखना चाहते हैं अथवा आप यह चाहते हैं कि सरकार अपने अधिकार को परित्यक्त कर दे। प्रस्तुत अधिनियम उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी बन्दूकें और गोलियां अथवा प्रतिरक्षा के अन्य दूसरे साधन।

यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है। देश की स्थिति से आप सब परिचित हैं। आप जानते हैं कि देश में ऐसे लोग हैं जो संकटपूर्ण अवस्था का पूरा लाभ उठाने के लिये तत्पर बैठे हैं।

सदन के समक्ष मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विश्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। देश के सीमावर्ती राज्यों की दशा की ओर भी हमें देखना है। मेरा विश्वास है कि वर्तमान स्थितियों में सरकार को इस अधिनियम विशेष के प्रयोग की अनुमति न देना मूर्खता होगी।

खुले दिन में हत्या की दस घटनाएं हो चुकी हैं। सार्वजनिक स्थानों, सिनेमाओं आदि में ऐसा होता है और अपराधियों का पता नहीं लग पाता। कुछ समय पूर्व बम्बई सरकार ने विभिन्न न्यायालयों से पूछा कि उनके यहां क्रमशः कितने मकदमों का अभी निर्णय होना शेष है। इसके उत्तर में बम्बई उच्च न्यायालय

ने कहा कि यह राज्य के न्यायिक प्रशासन में बम्बई सरकार का हस्तक्षेप है। न्यायालय द्वारा इस तरह का दृष्टिकोण अपनाना वस्तुतः खेद का विषय है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: श्रीमान्, क्या यह सब प्रकरण से संगत है ?

श्री गाडगील : दूसरी ओर से एक यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि देश की साधारण विधि ही लागू होनी चाहिये। मैं केवल इस बात का उत्तर दे रहा था कि गुंडों पर नजर रखने के लिए साधारण विधि अपर्याप्त है। यदि मेरे माननीय मित्र बैरिस्टर होते हुए इतनी सी बात को नहीं समझ सके तो यह उनकी असामियों के लिये बुरा है।

श्रीमान्, बात यह है कि सरकार ने इस विशेष अधिनियम के लिए मामला तैयार किया है। किसी भी अन्य माननीय सदस्य की तरह मैं भी इच्छुक हूं कि किसी उपयुक्त कारण के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाए। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पवित्र अधिकार है परन्तु परमाधिकार नहीं हैं। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह अनुमति दे कि सरकार इस विधान को जारी रखे और इस शक्ति के दुरुपयोगों से खबरदार रहे। दुरुपयोग के मामलों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सतर्क समितियां बना सकते हैं। इसलिए विश्व में हमारे पड़ोस के देशों में और हमारे अपने देश में जो कुछ हो रहा है उसका ध्यान रखते हुए हमें इस विधान के के लिए सरकार का समर्थन करना चाहिये।

४ प० म०

डा० एन० बी० खरे : आप कल इस सभा में नमक पर चर्चा कर रहे थे और आज यह कितना उपयुक्त है कि हम निवारक निरोध पर चर्चा कर रहे हैं जो कि सरकार के लिए नमक के समान है। सरकार इसी पर पलती है। परन्तु यह निवारक निरोध (पी० डी०) भारत के सर्वप्रभुत्व सम्पन्न लोगों के मूलाधिकारों और नागरिक स्वतन्त्रताओं के लिए क्षय रोग (टी० बी०) है। यह न केवल एक बुराई है वरन् भारत की प्रभुत्व सम्पन्न जनता का निरादर है। श्री बर्क के कथनानुसार बुराई की सफलता तब होती है जब अच्छे व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मैं न्याय शास्त्र के मूल सिद्धान्तों पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि नेत्रहीन साम्यवादी सदस्य ने अपने भाषण में इस पर प्रकाश डाला है।

मैं सभी तर्कों को दोहराना नहीं चाहता। सरकार केवल इस इच्छा से इस अधिनियम को पारित कर रही है कि वह राजनैतिक विरोधियों का दमन कर सके और उन्हें दबा सके।

उन्होंने यह अधिनियम केवल इसलिए नहीं रखा कि वे इसका दुरुपयोग करें वरन् उन्होंन स्वयं इस का दुरुपयोग किया है। मैं उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का उद्धरण देता हूं जो उन्होंने २९ सितम्बर १९५३ को दिया। उन्होंने उस में कहा कि न्यायपालिका के अधिकारियों पर कीचड़ उछालना निवारक निरोध के लिए उपयुक्त आधार नहीं है। यह सर्वथा कानून का दुरुपयोग है।

कलकत्ता के उच्च न्यायालय के १ अक्तूबर १९५३ के निर्णय में भी इस दुरुपयोग का पता लगा था जब यह अधिनियम उन लोगों के विरुद्ध प्रयुक्त किया गया था जिन पर तिब्बत में चोरी से माल ले आने का सन्देह किया गया था।

राजनैतिक मामलों में इसका सदा ही दुरुपयोग होता है। एक व्यक्ति जो एक निर्वाचन में कांग्रेस द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के मकाबले में खड़ा हुआ था उसे निवारक

[डा० एन० बी० खरे]

निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया गया।

मध्य भारत में, जहां का मैं सदस्य हूं, मंदसौर के स्थान पर कांग्रेस की तीन बार हार हुई और जब हमारी मध्य भारत की संस्था के प्रधान श्री ब्रजेश्वर वहां भाषण के लिए गए तो उन्हें निरुद्ध कर लिया गया था। जब श्री चटर्जी उनकी बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तर्क करने के लिए गये तो उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में उन्हें चुपके से मुक्त कर दिया गया। इसमें उस उपयुक्त ध्यान रखने का प्रमाण कहां है जिसका वर्णन श्री गाडगिल ने किया है।

हमें कहा गया है कि राज्य सरकारें इस अधिनियम को जारी रखना चाहती हैं और यह भी कि उन्होंने इस अधिनियम के प्रयोग में नरमी से काम लिया। हां तो राज्य सरकारें भी तो एक ही गठजोड़ की हैं।

श्री गाडगील ने कहा कि राज्य सरकारें आज ही नहीं वरन् सदा के लिए विधि और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। भविष्य के लिए ऐसा अनुमान क्यों लगाया जाता है ? यदि वे देश की साधारण विधि की क्षेत्र सीमा में विधि और व्यवस्था नहीं रख सकते तो उन्हें सरकार छोड़ देनी चाहिये। वे देश का शासन चलाने के योग्य नहीं हैं।

सरकार द्वारा केवल एक उत्तर से सभी तर्कों का निराकरण किया जाता है। वे कहते हैं कि विधि और व्यवस्था को खतरा है। परन्तु दो वर्ष पूर्व ही इस देश में सामान्य निर्वाचन के समय देश में सब जगह इतने अधिक लोग एकत्र हुए और सरकार इस बात की साक्षी है कि यह सब शान्तिपूर्वक हुआ, हालांकि निर्वाचनों में प्रायः लोगों में उद्वेग फैल जाया करता है। उनके तर्क का यही पर्याप्त उत्तर है।

मेरे माननीय मित्र श्री गाडगील ने अलीगढ़ की ओर निदेश किया है। मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेसियों को भी उस ओर से संभाव्य खतरे का पता लग गया है। हम सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए प्रचार करते हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है परन्तु इन होने वाले विद्रोहियों का कुछ नहीं किया गया। इस प्रकार सरकार दलों और लोगों में विभेद के इस अधिनियम का प्रयोग करती है।

आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस के लिए अपने हार्दिक प्रेम की भावना को व्यक्त किया है परन्तु यद्यपि मैं भी कांग्रेस में उनका साथी रहा हूं मेरे हृदय में कांग्रेस के लिए कोई प्रेम नहीं है। मैं विरोधियों की अपने प्रति भावना का उन्हीं की तरह आदान प्रदान करूंगा। यदि उन के हृदय में मेरे लिए प्रेम है तो मैं भी उनसे प्रेम करता हूं।

'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मजाम्यहम्'

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें लोगों से सीधा और सरल व्यवहार करना चाहिये और उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिये। तब वे आपका अनुसरण करेंगे और आपको यह अधिनियम जारी नहीं रखना पड़ेगा।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : कल जब यह प्रस्ताव रखा गया तो मैं समझा कि माननीय मंत्री इतने गंभीर विषय पर सरल भाव से विचार कर रहे हैं। जब उन्होंने बताया कि इस अधिनियम को स्थायी तौर पर संविधि-पुस्तक में रखा जाएगा तो मुझे कुछ हलकापन दिखाई दिया। परन्तु जब मैंने श्री गाडगिल को सुना तो पता लगा कि एक कूट चक्र चल रहा है। उन्होंने छद्मवेशी तर्कों के आधार पर कहा कि निवारक निरोध अधिनियम संक्रान्तिकाल के लिए रहना

चाहिए । यह संक्रान्तिकाल का पद अस्पष्ट जिसका अभिप्राय कई वर्ष हो सकता है । यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि माननीय गृह मंत्री जैसे व्यक्ति निवारक निरोध को न्याय संगत ठहरा रहे हैं और इसे हितकारी विधान समझते हैं । आशा तो यह थी कि गृह मंत्री एक ऐसे विधान को प्रस्तुत करते हुए झिझकेंगे जिससे नागरिक की स्वतन्त्रता छीनी जा रही हो । मैं यह कहते हुए अपनी ओर के सदस्यों का बहुमत व्यक्त कर रहा हूं । जनता--जिसके समक्ष हम उत्तरदायी हैं और जिसकी सेवा का हम ने व्रत लिया है इस प्रस्ताव के पारित होने को अपना दुर्भाग्य समझेगी ।

अधिनियम के जारी रखने के लिए तीन आधार बताए गये हैं । पहला तो यह कि राज्य सरकारों ने एक मत से इसका अनुरोध किया है । दूसरे उन्होंने अपनी निजी जांच से यह निर्णय किया है और तीसरे यह कि इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में गम्भीर बाधा नहीं पड़ती क्योंकि सलाहकार बोर्ड ठीक रीति से काम कर रहे हैं । वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वे गम्भीर हैं । हमारी समझ में यह नहीं आता कि वे परिस्थितियां क्या हैं । माननीय मंत्री ने देश की परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया । उन्होंने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि यदि इस अधिनियम को जारी रखना है तो धारा ३ (१) के विरोधी अधिनियमों को घटा देना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कार्यपालिका का निजी संतोष इस बात के लिए पर्याप्त है कि सरकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण करे । हम जानते हैं कि निवारक निरोध का क्या अभिप्राय है । यह गम्भीर विषय है । निवारक निरोध के मामलों में न्यायालयों ने एकमत से यह कहा है कि वे निरोध के कारणों की पर्याप्तता पर आक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वह सर्वथा कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हैं । परन्तु उन्होंने यह कहा है कि कार्यपालिका के निजी आधारों की जांच संसद को करनी चाहिये । लोकतन्त्र में कार्यपालिका को बाध्य होना पड़ेगा कि वह संसद् को परिस्थितियों के सम्बन्ध में विश्वास दिलाए । यह कोई तर्क नहीं कि राज्य सरकारें इस अधिनियम को जारी रखना चाहती हैं । संसद् को यह जानने का अधिकार है कि वह कौनसी गम्भीर परिस्थितियां हैं । जिन के कारण अधिनियम को जारी रखना आवश्यक है । जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो वे हमारी हंसी उड़ाते हैं । परन्तु हम जनता के समक्ष उत्तरदायी हैं । हम इन प्रश्नों के सम्बन्ध में ओछापन नहीं दिखा सकते ।

उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह निर्णय दिया है और विशेषत: मुख्य न्यायाधीश ने यह बार बार कहा है कि इस अधिनियम में नागरिक के लिए वैधानिक परित्राण बहुत कम हैं और इस लिए न्यायालयों को व्यक्ति के पक्ष में ऐसे परित्राण यथासम्भव उदारता से विचार करना चाहिये । गृह मंत्री ने कहा कि जब पांच कारणों में से एक अस्पष्ट हो तो उच्चतम न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कर देता है । मुझे आश्चर्य होता है कि यदि न्यायालय कारणों की अपर्याप्तता नहीं जांच सकता तो इसकी अस्पष्टता की जांच क्यों नहीं की जाती । इसलिए जहां निरुद्ध व्यक्ति मुक्त किए गये हैं वहां यह बात तर्कसंगत है कि प्राधिकारियों ने अनियमित रूप से कार्य किया है ।

गृह मंत्री ने कहा कि बहुत से मामलों में सरकार ने व्यक्तियों को आत्म प्रेरणा से मुक्त कर दिया था । यह इस बात का प्रमाण है कि कुछ देर पश्चात् सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि उन्हें बिना कारण निरुद्ध किया गया था ।

एक निरुद्ध व्यक्ति की स्थिति क्या है । मेरे माननीय मित्र ने लच्छेदार भाषण में कहा है कि इन मामलों की जांच मंत्रणाकार

[डा० कृष्णस्वामी]

बोर्ड करता है। परन्तु निरुद्ध व्यक्ति को यह कठिनाई रहती है कि अपना मामला मंत्रणाकार बोर्ड के समक्ष रखने के लिए उसके पास वकील नहीं होता। मंत्रणाकार बोर्ड केवल उस जानकारी के आधार पर निर्णय दे देता है जो उसके समक्ष रखी जाती है। हमें इस प्रश्न को ज़रा मानवता के दृष्टिकोण से देखना चाहिये। निरुद्ध व्यक्ति की कोई बाधाएं होती हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि निरुद्ध व्यक्ति यह प्रमाण दे दे कि उसे न्यायसंगत कारणों पर निरुद्ध नहीं किया गया तो उसे तुरन्त मुक्त किया जाएगा परन्तु वह यह प्रमाण नहीं दे सकता। यद्यपि नजरबन्द को यह अधिकार है कि वह नज़रबन्दी-आदेश को दुराशय के आधार पर चुनौती दे परन्तु वास्तव में ऐसा करना उसके लिये असम्भव है। क्योंकि नज़रबन्दी के उल्लिखित कारणों को झूठा सिद्ध करने के लिए उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह सरकार को सारी प्राप्त सूचना प्रस्तुत करने को कहे, परन्तु सरकार निवारक निरोध अधिनियम की धारा २२ (६) या धारा ७ (२) के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर सकती है। अतः ऐसे अधिकार से कोई लाभ नहीं है। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब गृह कार्य मन्त्री को इस पर अधिक विश्वास रख कर यह पूछना चाहिये कि क्या यह उचित नहीं है कि बन्धनकारक अधिनियमों को कम न किया जाये। व्यक्ति यह समझता है कि राज्य की सुरक्षा क्या है परन्तु उसकी समझ में यह नहीं आता कि शान्ति को बनाये रखने के लिये किसी को बिना जांच के क्यों नज़रबन्द किया जाता है। कल मेरे माननीय मित्र गृह-कार्य मन्त्री ने कहा था कि डाकुओं तथा गुंडों पर काबू पाने के लिये उन्हें निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि ऐसा कहना बड़ी ही लापरवाही से कारण का बताना है।

डा० काटजू : क्या आप मुझे इसे कहने का कोई गम्भीर विचारयुक्त ढंग बतायेंगे ? आजकल, 'लापरवाही' आदि कहना बड़ी साधारण बात हो गई है। मुझे इन सब पर घोर आपत्ति है। इस प्रकार के विश्लेषणों के अतिरिक्त आपके पास और कोई तर्क ही नहीं है। मुझे कोई गम्भीर विचारयुक्त ढंग बताइये ताकि मैं भविष्य में उसका अनुसरण कर सकूं।

डा० कृष्णस्वामी : मुझे खेद है कि माननीय मित्र अपना सन्तुलन खो बैठे हैं।

डा० काटजू : मेरा सन्तुलन बिगड़ा नहीं है। मेरा सन्तुलन ठीक है।

डा० कृष्णस्वामी : मेरा अभिप्राय उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं तो इस सदन के सदस्यों की भावनाओं को ही व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, मैं "वर्त्तमान परिस्थितियों" को जानना चाहता था। उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। एक दिन हैदराबाद में माननीय गृह-कार्य मन्त्री ने कहा था कि अधिकतर न्यायाधीश उन्हें छोड़ देते हैं जो अपराधी होते हैं, अन्य अवसर पर कहा था कि वह दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी विधि में संशोधन करने वाले हैं, तथा तीसरे अवसर पर उन्होंने कहा था कि निवारक निरोध अधिनियम हमारी बहुत सी विधियों की एक अच्छी आदिष्टि है। व्यक्ति सोचता है कि वह भी समय आ जायेगा जब वह कहेंगे कि भारतीय दण्डिक संहिता का पूर्ण विलोप करूंगा तथा निवारक निरोध अधिनियम को परिनियत-पुस्त में रखूंगा ताकि हम सुरक्षापूर्ण रह सकें। हो सकता है है कि माननीय गृह-कार्य मन्त्री ने यह निश्चय तथ्यों के आधार पर किया हो परन्तु उन्हें

हमारा मत निश्चय ही लेना चाहिये । क्योंकि हमें यह विदित होना चाहिये कि आप क्यों इस निवारक निरोध अधिनियम को लागू रखना चाहते हैं । अतः मैं कांग्रेसी मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे पार्टी आदि का विचार छोड़ कर, इस अधिनियम के लागू रहने पर देश के हित की दृष्टि से विचार करें ।

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : सभापति महोदय, प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर हमारी वार्ता बड़ी ही रुचिकर रही है परन्तु मुझे सन्देह है कि सारी वार्ता प्रस्ताव के प्रसंग में थी ।

सभापति महोदय, आपको विदित है कि गत वर्ष के एक संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्तमान अधिनियम ३१ दिसम्बर १९५४ तक लागू रहना है । उसके पश्चात् कुछ ऐसा संदेह प्रकट किया गया कि कदाचित् कुछ परिस्थितियोंवश इस अधिनियम को लागू रखना आवश्यक न हो । इसके परिणामस्वरूप सरकार ने यह उचित समझा कि अधिनियम के एक वर्ष तक लागू रखने के पश्चात् पूर्ण स्थिति पर पुनः विचार करने के लिये सदन को एक दिन दिया जाये । अब, हम यहां अधिनियम के मूल तत्वों पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्रीमान्, आपको विदित है कि उसी संविधान में, जो हमें विभिन्न अधिकार देता है, संसद् के लिये एक उपबन्ध है कि यदि वह आवश्यक समझे तो एक निवारक निरोध अधिनियम पारित करें । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण उस समय गृह-कार्य मन्त्री, सरदार पटेल ने इस सदन में निवारक निरोध अधिनियम पारित करा लिया । इसका कारण यह नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल या भारत सरकार ने लोक हित की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अपितु कारण यह था कि स्वतन्त्रता निश्चित रूप से सुरक्षित रहे तथा इसकी समस्त समाज विरोधी व्यक्तियों से रक्षा की जाये । यदि जनतन्त्रवाद को भारत में पनपना है, यदि लोकतन्त्री संविधान को सफल होना है, तो दुर्भाग्यपूर्ण हमें कुछ सुरक्षा की आवश्यकता है । यही कारण है जिनसे सरकार को खेदपूर्ण यह निश्चय करना पड़ा है कि देश को बल के अनुचित प्रयोग से तथा जन-शान्ति आदि के बिगड़ने से सुरक्षित रखने के लिये हमें इस प्रकार के एक अधिनियम की आवश्यकता है ।

कदाचित आप मुझ से सहमत होंगे कि देश में शान्ति बनाये रखने में इस अधिनियम का बड़ा हाथ है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस अधिनियम की उचितता का आभास करने की दृष्टि से सौराष्ट्र, पैप्सू, हैदराबाद आदि स्थानों का भ्रमण करें और देखें कि वहां इस अधिनियम के उचित प्रयोग के फलस्वरूप ही शान्ति को स्थापित रखा जा सका है ।

अब, वर्तमान वार्ता के सम्बन्ध में दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं । एक यह कि क्या इस अधिनियम को और अधिक समय तक लाग रखना आवश्यक है, और द्वितीय यह कि क्या अधिनियम को उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है या नहीं । एक बात जो इस सदन के विचार करने के लिये बड़ी महत्वपूर्ण है तथा जिसकी ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है वह यह है कि अधिनियम परिनियत-पुस्त में निरन्तर प्रयोग के लिये नहीं रखा गया है । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ११ राज्यों ने इस अधिनियम को तनिक भी लागू नहीं किया है । यह वास्तव में उनके लिये सम्मानजनक है परन्तु अन्य राज्यों के साथ इन ११ राज्यों ने भी हमें सूचित किया है कि उनका यह मत है कि आवश्यकता के समय प्रयोग करने के लिये हमें यह अधिनियम परिनियत-पुस्त पर अवश्य रखना चाहिये । अतः हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि आवश्यकता के समय, अन्यथा

[श्री दातार]

नहीं, राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रयोग का अधिकार देने के लिये हमें इस अधिनियम को परिनियत-पुस्त पर रखना चाहिये या नहीं। अथवा आप इस पक्ष में हैं कि आज से इस अधिनियम को रद्द समझा जाये। यदि आप द्वितीय स्थिति को अपनाते हैं। तो यह गत तीन चार वर्षों में कठिनता से सुधारी हुई स्थिति को बिगाड़ने के लिये विधि विरोधी कार्यवाहियों को आमन्त्रित करना है। पिछली बार यह आलोचना की गई थी कि हो सकता है कि अधिनयम का उचित प्रयोग न किया जाये। मैं माननीय सदस्यों को दी गई रिपोर्ट में पृष्ठ २०—२१ पर विवरण संख्या ६ का उल्लेख करूंगा। इसमें बताया गया है कि इस वर्ष हमने कुल १११५ व्यक्तियों को छोड़ा। परामर्शदाता बोर्ड ने २२४ व्यक्तियों को छोड़ने का आदेश दिया है। प्रश्न उठाया गया था कि क्या परामर्शदाता बोर्ड होना चाहिये या नहीं। परामर्शदाता बोर्ड जान-बूझ कर स्थापित किया गया था। यह साधारण न्यायाधिकरण से भिन्न होगा और सरकार की कठिनाइयों को भली प्रकार समझ सकेगा। जहां तक विधि को लागू करने तथा इसके न्याय सम्बन्धी भाग का सम्बन्ध है, नज़रबन्द के अधिकार उसके हाथ में पूर्णतः सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, परामर्शदाता बोर्ड सरकार को कठिनाइयों को जानेगा तथा उन्हें उचित परामर्श देगा। जहां तक नज़रबन्दी के कारणों का सम्बन्ध है, बहुत थोड़े मामलों में बोर्ड ने छोड़ने का आदेश दिया है। जहां तक इस सरकार की जनतन्त्रीय आकांक्षाओं का सम्बन्ध है, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन बोर्डों का परामर्श सदैव स्वीकार करना होगा।

इन सब बातों से मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि समस्त राज्य सरकारें इस अधिनियम का प्रयोग बहुत कम करती रही हैं। माननीय मन्त्री ने जो कहा है वह उचित रूप में नहीं समझा गया है। उन्होंने कहा था कि वह इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग कितने सीमित मामलों में किया गया है अर्थात् उनका अभिप्राय यह था कि अत्यन्त बुरे कार्यों तथा बलवा आदि उत्पन्न करने वाले कार्यों के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग बहुत कम किया गया है।

श्रीमान्, ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या कभी नज़रबन्दी-काल अति अधिक था। केवल बहुत थोड़े से मामलों में काल लम्बा रहा है। अन्यथा अन्य सारे मामलों में, ज्यों ही सरकार को पता लगा कि स्थिति पूर्णतया उचित थी तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिये, काल को घटा दिया गया। इस बात पर भी विचार करना चाहिये। अतः श्रीमान्, आप इस बात से सहमत होंगे कि ये आदेश केवल आवश्यकता के समय ही दिये गये थे तथा किसी भी मामले में नज़रबन्दी का काल आवश्यकता से अधिक नहीं था।

अन्य बात यह कही गई थी कि थोड़े से चोरबाज़ार करने वालों के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग किया गया था। ये एक नवीन तथा अति बुरी उत्पत्तियां हैं। हमारे पास बहुत नियंत्रण अधिनियम हैं तथा हम उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध अपराध सिद्ध कर सकते हैं, विधि का साधारण प्रयोग करते हैं। वे न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर अभियोग चलाये जाते हैं तथा अधिकतर मामलों में उन्हें अपराधी ठहराया जाता है। परन्तु इन वास्तविक अपराधकर्त्ताओं के पीछे कुछ उत्तेजित करने वाले व्यक्ति हैं जो व्यक्तियों को या तो ऐसे अपराध करने के लिये या रक्तपात करने के लिये उत्तेजित करते हैं। श्रीमान्, इन व्यक्तियों को कभी भी

नियम के समक्ष नहीं लाया जा सकता है। केवल ऐसे उत्तेजकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये हमें निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता है।

श्रीमान्, यह कहा गया था कि बम्बई में अनेकों व्यक्तियों के विरुद्ध इस अधिनियम का प्रयोग किया जा रहा था। श्रीमान्, बम्बई सरकार ने इस अधिनियम का प्रयोग केवल गुंडों, अपराध करने वालों तथा रक्तपात या अपराध के लिये उत्तेजित करने वालों के विरुद्ध प्रयोग किया था। अत., आप देखेंगे कि बम्बई में भी संख्या इतनी अधिक नहीं है जितनी कि हम समझते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह कहा गया था कि बिक्री-कर के विरुद्ध, कृषक आन्दोलन के पक्ष में, आदि आन्दोलनकारियों के विरुद्ध इस अधिनियम का प्रयोग किया गया है। स्थिति यह नहीं है। जहां सामान्य या संविधानीय या अहिंसात्मक आन्दोलन का सम्बन्ध है, चाहे विचार कुछ भी हों तथा चाहे जो पार्टी उसके पीछे हो, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की सिवाय उन मामलों के जहां आन्दोलनकारियों ने ऐसे भाषण दिये हों या कार्य किये हों जिनसे हिंसा के लिए प्रोत्साहन मिले।

इन सब मामलों में, सत्याग्रह का नाम ले कर कार्यवाही की गई। इस का भी कुछ फ़ैशन सा हो गया है कि हर बात को सत्याग्रह का नाम दे दिया जाये। गांधी जी हमेशा यही कहते थे कि सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है और इस में असत्य अथवा शोषण की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे दुर्भाग्य से गांधी जी के चले जाने के बाद, सत्याग्रह नाम का अनुचित प्रयोग किया जाता रहा है ....(अन्तर्बाधा) और अब हर तरह के आन्दोलन को सत्याग्रह कहा जाता है।

सरकार ने उसी समय कोई कार्यवाही की है जब इन आन्दोलनों में वैधता की सीमा का उल्लंघन हुआ है, अन्यथा नहीं। जब कभी कोई वैधानिक व अहिंसात्मक आन्दोलन हुआ है तो सरकार ने कोई रुकावट पैदा नहीं की और आन्दोलन को चलने दिया। परन्तु जब यह पता चला कि कुछ लोग छिप कर ऐसी कार्यवाही करवा रहे हैं जो देश के हित में नहीं है और जो अहिंसा से कहीं दूर है तो स्वभावत: राष्ट्र के हितों को ध्यान में रख कर तथा शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने को दृष्टि में रख कर सरकार को उन के खिलाफ़ क़दम उठाना पड़ा। मुझे कुछ मामलों के बारे में पता है जिन में कुछ लोगों को गुंडेपने के लिये सज़ा दी गई थी। ये लोग एक दम देशभक्त बन गये और किसी न किसी आन्दोलन में शामिल हो कर अशान्तिपूर्ण कार्यों में भाग लेने लगे; सरकार को इन लोगों को पकड़ना पड़ा। मैं आप को बता दूं कि इन गुंडों को जो अपने को देशभक्त कहते हैं, पकड़ने का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। बम्बई में भी, सरकार को इस बात की कार्यवाही करनी पड़ी; इस प्रकार की कार्यवाही का बहुत अच्छा असर पड़ा है और इस के द्वारा अशान्तिपूर्ण तत्वों को दबाये रखना संभव हो सका है।

इसलिये, यदि आप इस अधिनियम पर उस दृष्टिकोण से विचार करें जिस से मैं ने इस पर विचार किया है, तो आप समझ सकेंगे कि सरकार यही चाहती है कि इस अधिनियम को संविधि पुस्तक में रखा जाये। माननीय गृह मंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि राज्य सरकारों को इस बात के लिये उकसाया जाये कि वे इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। सरकार का यह इरादा बिल्कुल नहीं है। हम और राज्य सरकारें भी केवल इतना चाहती हैं कि यह अधिनियम संविधि पुस्तक में रहे। इस से गड़बड़ फैलाने वाले लोग दबे रहेंगे और जब कभी कोई झगड़े या दंगे आदि होने का खतरा होगा तो इस को, अपनी इच्छा से नहीं वरन् मजबूर हो कर,

[श्री दातार]

काम में लाया जायेगा। हमें इस बात का संतोष है और शायद आप भी इस से संतुष्ट होंगे कि इस अधिनियम का कम से कम प्रयोग किया गया है; इसलिये इस क़ानून का दुरुपयोग किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम इस समय सारी स्थिति का पुनर्विलोकन कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं कह चुका हूं उसे दृष्टि में रख कर आप शान्तिपूर्ण भाव से इन सब बातों पर विचार करेंगे।

हमारे सामने अभी यह प्रश्न नहीं है कि ३१ दिसम्बर, १९५४ के बाद इस अधिनियम का भविष्य क्या होगा; और इसलिये कुछ माननीय सदस्यों ने जिन बातों की कल्पना कर के सरकार पर आक्रमण किया है, वह अनुचित एवं अनावश्यक है। इस सीमित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये जो कुछ हुआ है उसे आप कृपया देखें; आप यह भी देखें कि क्या नहीं हुआ है यानी बहुत अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। श्रीमान्, आप मुझ से सहमत होंगे कि इस अधिनियम का प्रयोग उचित रूप से और आवश्यकता होने पर ही किया गया है और भविष्य में भी इस का उचित रूप से ही प्रयोग होगा; अतः हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये कि इस अधिनियम को ३१ दिसम्बर, १९५४ तक संविधि-पुस्तक में रहने दिया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : श्रीमान्, माननीय मंत्री द्वारा जो भाषण अभी दिया गया उसे मैं ने ध्यान से सुना। उस में इस बात का दावा किया गया है कि निवारक निरोध अधिनियम का बहुत कम प्रयोग हुआ है। डा० काटजू का भी यही कहना है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत बहुत कम लोगों को पकड़ा गया है। मैं आप के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं जिन से आप को पता चलेगा कि इस अधिनियम से किस तरह लोगों को परेशान किया जाता रहा है।

डा० काटजू ने पश्चिमी बंगाल के ट्राम आन्दोलन के बारे में जिक्र किया। मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों यह आन्दोलन राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा था या इस से कांग्रेस सरकार के उखाड़ दिये जाने का डर था? सब जानते हैं कि यह आन्दोलन ब्रिटिश पूंजीवादियों की मनाफ़ाखोरी के खिलाफ़ था। कांग्रेस सरकार ने इन लोगों की मदद की और आन्दोलन को दबाना चाहा। आम हड़ताल के वक्त तक पूरी शान्ति थी परन्तु बाद में सरकार की ओर से शान्ति भंग की गई और शहर में फौज़ बुलवा कर गोली चलवाई गई। बहुत से निर्दोष लोग जान से मारे गये। मैं पूछती हूं क्या यही अहिंसा है और क्या यही इस क़ानून का उचित उपयोग है?

जैसा आचार्य कृपालानी ने कहा हम लोग यानी जनता पूर्ण शान्ति के साथ रहना चाहती है। वह व्यर्थ में अपने ऊपर गोली नहीं चलवाना चाहती। यदि सरकार हिंसात्मक तरीकों को नहीं अपनायेगी तो लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। लोगों के ऊपर हिंसा के झुठे आरोप लगा कर गिरफ्तार करने से कोई लाभ नहीं। इस से आप स्वयं अशान्ति फैला रहे हैं।

मैं आप को कई उदाहरण दे सकती हूं जिन से आप को पता लगेगा कि इस क़ानून के द्वारा किस तरह लोगों को तंग किया गया है। मैं बंगाल के एक मोहम्मद इलयास का मामला आप के सामने रखती हूं। उस पर ये आरोप लगाये गये थे कि तुम ने अमुक तारीख़ को बेगारी बाज़ार, दोमजुर में अपन एक भाषण द्वारा मुसलमानों को भड़काने का प्रयत्न किया था; कि गेस्ट कीन विलियमम्स के ३०००

मज़दूरों की हड़ताल के पीछे तुम्हारा ही हाथ था; कि तुम २१ जून १९५३ को कलकत्ता ज़िला कम्युनिस्ट पार्टी की गुप्त बैठक म मौजूद थे जिस में यह फ़सला किया गया था कि ट्राम किराया वृद्धि आन्दोलन को और अधिक जोर शोर से संगठित किया जाये; और तुम ने पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स तथा शालिमार वर्क्स लिमिटेड में भी हड़ताल करवाई थी; आदि, आदि । इनको देखने से आप को पता लगेगा कि ये सब मामले ब्रिटिश समवायों से सम्बन्धित हैं जिन्हें सरकार मदद देना चाहती है और आप यह भी देखेंगे कि ब्रिटिश पूंजीवादियों की रक्षा करने के लिये इस क़ानून को काम में लाया जा रहा है ।

इसी तरह श्री विश्वनाथ मुकर्जी का मामला देखिये । उन के ऊपर यह आरोप लगाया कि अमुक दिन तुमने कलकत्ता मैदान पश्चिमी बंगाल किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में हुई एक बैठक में इस बात की मांग की थी कि चावल के दाम कम किये जायें और राशन में इस की मात्रा बढ़ाई जाये; तुम ने लोगों को इस सम्बन्ध में आन्दोलन करने के लिये उकसाया । मैं पूछ सकती हूं कि क्या इस तरह की मांग करना जुर्म है और क्या इस कारण लोगों को जेल में ठूंस देना उचित है ? इन गिरफ्तारियों के गलत और अनुचित होने का प्रमाण यह है कि परामर्शदाता समितियों ने, जब ये मामले उन के सामने आये, इन्हें फौरन छोड़ दिया । मैं आप को इस तरह के बहुत से उदाहरण दे सकती हूं । इन में से किसी मामले में कोई हिंसापूर्ण कार्यवाही नहीं की गई थी; परन्तु फिर भी सरकार ने इन्हें पकड़ा और ज़बरदस्ती जेल में डाला । कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने भी यही फ़ैसला दिया है कि इस तरह से लोगों का पकड़ा जाना और उन्हें नज़रबन्द करना अवैध है । केवल यह आरोप कि अमुक व्यक्ति ने अमुक भाषण में लोगों से कहा था कि वे सत्याग्रह करें और आन्दोलन के लिये तैयार हो जायें, उन की गिरफ्तारी के लिय पर्याप्त कारण नहीं हैं । इन मामलों को देख कर आप समझ सकते हैं कि इस क़ानून को बनाये रखने के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य हैं ? मैं पूछती हूं कि क्या सस्ता अनाज मांगना जुर्म है, क्या ऐसे प्रदर्शनों और आन्दोलनों का आयोजन करना, जिन पर प्रतिबन्ध नहीं है, कोई अपराध है और क्या भारत स्थित अन्यायी ब्रिटिश फ़र्मों के विरुद्ध हड़ताल करवाना जुर्म है ? यदि नहीं तो फिर इस क़ानून को बनाये रखने का कोई कारण नहीं । मैं इस का पूरी तरह विरोध करती हूं ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य) : मैं माननीय गृहमंत्री के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के हित में इस अधिनियम को संविधि पुस्तक में अभी कुछ समय के लिये और रखना बहुत ज़रूरी है ।

इस प्रस्ताव पर जो भाषण हुए हैं उन्हें मैं ने सुना । साम्यवादियों ने प्रजातंत्रवाद और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में ओजस्वी भाषण दिये । कल देश के एक सम्मानित व्यक्ति ने इस विधेयक का विरोध किया । एक घंटे तक वे कांग्रेस संस्था की और सदन के कांग्रेस दल की आलोचना करते रहे । इसी तरह आचार्य कृपालानी ने कहा कि हमारे यहां न तो वास्तविक प्रजातंत्र हैं और न वास्तविक नागरिक अधिकार । उन्हों ने कांग्रेस दल को खूब गालियां दीं और जो मन में आया कहा । उन को ऐसा करने से किसी ने नहीं रोका; क्या यह इस बात का खण्डन नहीं कि हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है ? यदि ऐसा होता तो शायद वे कांग्रेस के और सरकार के विरुद्ध खुले रूप से इस तरह के विचार प्रगट नहीं कर सकते थे ।

साम्यवादी देश में जिस तरह की स्वतंत्रता होती है उसे सब जानते हैं । क्या रूस में किसी

[श्री जी० एच० देशपांडे]

का साहस था कि वह स्टालिन का विरोध या आलोचना कर सके ? स्टालिन के विरोधियों को एक क्षण भी सहन नहीं किया जाता था। प्रजातंत्रात्मक विचार रखने वाले लोग ही आलोचना सहन कर सकते हैं और साम्यवादियों के जो विचार हैं उन से सब परिचित हैं ।

मैं चाहता हूं कि इस कानून का प्रयोग ऐसे आन्दोलनों के लिये किया जाये जो प्रजातंत्रात्मक न हों और जिन में हिंसा के लिये लोगों को उकसाया जाता हो । हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हिंसात्मक कार्यवाही में विश्वास रखते हैं और ट्राम जलाने, रेलों को पटरी से उतारने, टेलीग्राफ के तार काटने आदि कामों में गर्व अनुभव करते हैं । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के आन्दोलनों को दृढ़तापूर्वक कुचल दिया जाना चाहिये ।

साम्यवादी दल के माननीय सदस्य ने कलकत्ते की घटनाओं को अहिंसात्मक बतलाया है। परन्तु हम जानते हैं कि वहां पर ट्रामकारों को जलाया गया तथा तेज़ाब के गोलों को फैंका गया । यह सब कुछ बिना किसी उत्तेजना के किया गया है। ऐसे कामों के करने वालों के व्यवहार को सहन नहीं किया जा सकता । ऐसे लोगों को केवल इस अधिनियम द्वारा ही वश में रखा जा सका है । अमेरिका, इंगलैंड आदि देशों में इस प्रकार का कोई अधिनियम नहीं है, परन्तु वहां की हालत में बहुत अंतर है। वहां पर कभी ऐसे हिंसात्मक कार्य सुनने में नहीं आए । हम चाहते हैं कि हमारे लोग कई पीढ़ियों तक स्वतन्त्रता को भोगें । यह हमारे श्रम का फल है जिसे हम न बहुत बलिदानों के बाद प्राप्त किया है। वास्तव में 'नागरिक स्वतन्त्रता' तथा 'प्रजातन्त्र' की चौबीस घंटे रट लगाने वाले लोगों के मन में इन के लिय कोई सम्मान नहीं है । वे इन्हें कुचल कर इस देश में तानाशाही की स्थापना करना चाहते हैं ।

श्रीमान्, हम इस अधिनियम को पसन्द नहीं करते, परन्तु परिस्थिति को सामने रखते हुए इस का प्रयोग आवश्यक हो जाता है । हमारे देश में विदेशों के गुप्तचर आदि मौजूद हैं जिन्हें अवांच्छनीय कार्यों से रोकने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता हो जाती है । हमें देश की ग़रीबी को दूर करने के लिए शान्ति तथा सुरक्षा चाहिये जिन के बिना हमारी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं हो सकती । हम इस देश में प्रजातन्त्रवाद की पक्की नींवों पर स्थापना करना चाहते हैं। हम प्रजातन्त्रीय शासन के शत्रुओं को सहन नहीं कर सकते । आज रेल का सफर बहुत खतरनाक हो चुका है तथा सार्वजनिक हत्याओं के षडयन्त्र रचे जाते हैं और वे भी तथाकथित क्रान्तिकारियों द्वारा । स्थिति यह नहीं कि हम जनता से सम्पर्क में नहीं । हम जानते हैं कि जनता ऐसे कार्यों के विरुद्ध है। जनता सरकार का पूर्णतः समर्थन करती है । अतएव मैं ज़ोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस अभिप्राय से इस अधिनियम को पारित किया गया था, उस के लिए इस की नितान्त आवश्यकता है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान्, अभी तक जो भाषण हुए हैं, उन में इस अधिनियम को पसन्द नहीं किया गया है । सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इसे निश्चित अवधि तक चालू रखा जाय । अतएव हमारे सामने विचारनीय बात यह रह जाती है कि इस अधिनियम को जारी रखने की जिस आवश्यकता का अनुभव संसद् ने पिछले वर्ष किया था, क्या वह अभी है तथा क्या हम ने इस का प्रयोग ईमानदारी से किया है ?

मुझे खेद है कि माननीय मंत्री के आरम्भ के शब्दों म सत्य नहीं है। उन्हों ने एक गलत

वक्तव्य दिया है। मैं ने उन से यह जानना चाहा था कि क्या नज़रबन्दी के आदेशों के देने के समय सरकार या राज्य सरकार के पास विश्वसनीय सूचना थी? उन्हों ने इस की ज़ोरदार शब्दों में पुष्टि की थी। मुझे अम्बाला जेल के अपने अनुभव से पता है कि ३६ में से ३५ नज़रबन्दों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा छोड़ दिया गया था। परन्तु एक को उच्चतम न्यायालय ने इस कारण नहीं छोड़ा था कि उस के विरुद्ध अभियोग निश्चित तथा स्पष्ट थे। परन्तु उस नज़रबन्द के विरुद्ध आरम्भ से अन्त तक लगाए गए अभियोग सर्वथा मिथ्या थे। इसी कारण मेरा कहना है कि कार्यवाही करते समय उन के पास विश्वसनीय सूचना नहीं थी। विभिन्न व्यक्तियों को जनसंघ के नज़रबन्द को मुक्त करने की अपील, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन करने, अब्दुल्ला सरकार की आलोचना करने आदि सामान्य बातों के लिए नज़रबन्द कर दिया गया है। क्या ये नज़रबन्दी के पर्याप्त कारण हैं? इस से विधि की प्रयुक्ति हास्य-जनक बन गई है। मैं आप को एक लाला लाजपतराय के मामले के बारे में बतला सकता हूं कि जब वह इन्दौर तथा बम्बई में गवाही दे रहे थे तथा मुकद्दमे की पैरवी कर रहे थे उन पर जालन्धर तथा लुधियाने में रह कर कुछ कामों के करने के अभियोग लगाए गए। इस से अधिक अविश्वासनीय सूचना आप के पास क्या हो सकती है?

मैं आप को इस से भी अधिक स्पष्ट उदाहरण बतला सकता हूं। मेरे पास रुद्र प्रसन्न सारंगी नाम के एक परीक्षणाधीन बन्दी के उस पत्र का अंग्रेज़ी में अनुवाद है जो उन्हों ने श्री निहिर कवि, सदस्य बिहार धारा सभा को लिखा है। इस में उन्हों ने बतलाया है कि किस प्रकार असिस्टैन्ट डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें सब मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन दे कर लिखित में यह कहलाने की चेष्टा की कि सिरायकोल्ला महाराजा, मिश्र कवि तथा पी० के० हान्ड ने एक पत्रिका जो उन्हों ने मुझे दिखाई थी--लिखी है जिस में पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी (जन-क्रान्तिकारी दल) ने क्रान्ति का आह्वान किया था! क्या आप निवारक निरोध को ऐसे ही प्रयोजनों में प्रयोग में लाते हैं?

आप का यह कहना भी सत्य नहीं है कि सभी राज्यों ने इस विधान को जारी रखने की वांछनीयता का मत दिया था। साथ ही आप का यह कहना है कि ११ राज्यों ने इस का प्रयोग नहीं किया है। अब बिना अनुभव के वे इस का अनुमोदन कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं अपने वक्तव्यों का खंडन करते हैं।

मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि जहां आप की रिपोर्ट में प्रत्येक पार्टी के नज़र-बन्दों की संख्या का वर्णन है, वहां कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का तनिक वर्णन नहीं है। वास्तव में इन्हीं दो पार्टियों ने जो विभाजन से पहले एक दूसरे पर साम्प्रदायिकता के लांछन लगाती थीं, देश को तबाह कर दिया है। सत्तारूढ़ हो कर आप खान अब्दुल गफ्फार खां को निवारक निरोध के अन्तर्गत कैद कर सकते हैं तथा डा० श्यामा प्रसाद को जेल में मरवा सकते हैं। ये सब बातें लज्जाजनक हैं। लोगों को उन की स्वतन्त्रता से वंचित करने की अधिक चेष्टा से पहले आप को उचित दृष्टि-कोण अपनाना चाहिये।

श्रीमान्, बहुत से समर्थकों को संविधान के भाग ३ के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। फिर भी वे दूसरों पर असंगत बातों के कहने का अभियोग लगाते हैं। भाग ३ में किसी अधिकार का नहीं, केवल अधिकारों के परित्राण का वर्णन है। आप का विचार है कि अनुच्छेद २२ में निवारक निरोध अधिनियम का अधिकार दिया गया है। स्थिति ऐसी नहीं। इस में विधि सम्बन्धी प्रक्रिया का उल्लेख है

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

जिस के पूरा किए बिना किसी व्यक्ति को कैद नहीं किया जा सकता । केवल निवारक निरोध के वर्णन से आप को यह अधिकार नहीं मिल जाता । यद्यपि आप को यह अधिकार हो तो भी आप को इसे रखने का औचित्य ऐसे सिद्ध नहीं करना चाहिये कि स्थिति के अनुसार इस की आवश्यकता है ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने अपनी हाल की मध्यभारत की यात्रा का वर्णन किया है । एक ही स्थान मोरेना में १४ व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया था क्या आप बदमाशों को पकड़ सके हैं ? नहीं । आप तो केवल ईमानदारों को ही पकड़ सकते हैं, बदमाशों और अपराधियों को नहीं । आप पुलिस से चोर बाज़ारी करने वालों, बदमाशों, चोरों और डाकुओं के पकड़ने का काम क्यों नहीं लेते ? यदि प्रजातन्त्रवाद इस देश में उन्नत होना है तो आप इस विधान को संविधि पुस्त से निकाल दीजिये । तभी आप का नाम उज्ज्वल रह सकेगा ।

श्री दातार : श्रीमान्, ग़लती के दूर करने के हेतु मैं आप का ध्यान रिपोर्ट के पृष्ठ ५ तथा ६ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के मुस्लिम लीगी नज़रबन्दों का वर्णन भी है ।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा-दक्षिण) : सभापति जी, कल शाम से मैं इस रिज़ोल्यूशन पर बहस सुन रही हूं । दुःख की बात तो यह है कि जो लोग आज सरकार के विरोध पक्ष में बैठे हैं, वे जो बोलते हैं और स्पीचज़ करते हैं उस से यही भास पड़ता है कि वे ऐसा मानते हैं कि जो आज सत्य पर हैं उन को सरकार के ख़िलाफ़ में हैं उन सब के लिये दिल में कोई प्रकार की फीलिंग नहीं है, इस तरह से सारी बहस हो रही है । आचार्य जी ने जो कल अपनी बहस की सो उन का जो अपना हमेशा का तरीक़ा है कटाक्ष में बोलने का, उस में काफ़ी सरकार के ख़िलाफ़ और कांग्रेस के ख़िलाफ़ अपना रोष व्यक्त किया । मैं अच्छी तरह से कई सालों से उन को जानती हूं और अगर वह हमारी तरफ़ होते तो इतने ही जोर से वह इस रिज़ोल्यूशन की ताईद करते । और अगर उन को होम मिनिस्टर बनने का मौक़ा मिलता तो इस से भी ज़्यादा कड़ा ऐक्ट वह लाते । परन्तु आज उन को वह मौक़ा नहीं मिला है, इसलिये यह रोष व्यक्त करते हैं ।

बहुत हड़तालें हम ने भी चलाई हैं, बहुत से जुलूस हम ने भी निकाले हैं और बम्बई जैसे बड़े शहर में बारह बारह घंटे तक जुलूस बैठा रहा है, और कई बार, एक बार नहीं, परन्तु एक कंकर तक नहीं गिरा है, न किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है । अगर आप को भी जुलूस निकालने हैं, हड़ताल करनी है, तो इतनी व्यवस्था रखनी चाहिये कि जो आदमी ऐसे हैं जिन को इस से कोई निस्बत नहीं है, वे बेचारे इन्नोसेंट आदमी उस में क्यों मारे जायं, क्यों उन को बीच में गोली खानी पड़े । हमारी बहन ने बंगाल के कलकत्ते की एक, दो, तीन मिसालें दीं । मिसाल देने से क्या फ़ायदा ? आपने इस तरह से क्यों ट्राम की हड़ताल की ? हड़ताल करना हो तो करो, लेकिन इतना इन्तज़ाम हो, इतनी पावर हो, ताक़त हो, लोगों पर आप का इतना प्रभाव हो और इस तरह पूरा इन्तज़ाम हो कि ट्राम में कोई न बैठे तो करो हड़ताल । हम ने बारदोली में जंग किया था, तब सरकार के एक भी कर्मचारी को पाव भर भी दूध चाहिये था तो हमारी इजाजत बगैर नहीं मिल सकता था, इतना इन्तज़ाम था । आप भी इतना इन्तज़ाम करो, तब हड़ताल करो, जुलूस निकालो ।

दुःख की बात तो यह है कि कई जिम्मेवार लोगों को कुछ ऐसी आदत है कि दूर से चिनगारी

लगा देना और पीछे कहना कि यह तो पुलिस ने सब किया और इस में बेचारे भले आदमी मारे जाते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि जब तक ट्राम जलाई जाय, रेल की पटरी उखाड़ी जाय, टैलीफोन के तार काटे जायं, तार आफिस जलाया जाय, सरकारी मकान जलाये जायं, या कोई रास्ते पर जाते हों तो उन पर एसिड बम फेंके जायं, या बैंक लूटी जाय, तब तक सरकार बैठी रहे और वह चीज़ हो जाने के बाद उस के सबूत को इकट्ठा कर के तभी लोगों को पकड़ा जाय ? इधर मेरे से पहले जो भाई बोले, उन्हों ने शिकायत की कि इतने आदमी मारे गये और सरकार ने क्या किया। अगर खबर सरकार को मिलती तो वह आदमी क्या छोड़े जाते, क्या वह ऐसा चाहती है कि कोई ग़रीब आदमी गुंडे से मारा जाय, कोई भी आदमी डैकाइट से मारा जाय? आपने नहीं देखा कि सौराष्ट्र में कितने दिनों तक भूपत के दोस्त को नहीं पकड़ सके। लेकिन जब पकड़ा गया तब क़ानून को कौन सी क़लम लगाई। उस के क़लम लगाने के लिये नहीं ठहरे थे, उस को पकड़ कर तुरन्त डिटैंशन में ले लिया।

इस ऐक्ट के नीचे इतने कम आदमी पकड़े गये और इसका इतना कम उपयोग किया गया कि यह वही बताता है कि जो हम चाहते हैं कि बहुत संभाल कर इस ऐक्ट का उपयोग किया जाय। बात तो यह है कि क्यों आप यह चीज़ भूल जाते हैं कि आज मध्यस्थ सरकार में या अलग अलग इस्टेटों में, राज्यों में जो आज राज्य का शासन करते हैं, जो प्रधान मंडल हैं, उन सब में अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने काफी साल का समय डिटैंशन एक्ट में बिताया है। उन लोगों ने उस समय की कठिनाइयां भोगी हैं। आज तो जेल में जो जाते हैं उन के लिये वह कठिनाइयां हैं भी नहीं। आज तो कितने ही रिफार्म जेल में हो गये हैं। परन्तु इतने पर भी जेल में आदमी को मन की जो परेशानी होती है उस का हमें पूरा ख्याल है और जो आज शासन करते हैं उन का भी पूरा ख्याल है। उस सब जेल के जीवन से वह निकले हुए हैं। ऐसा मानना कि आज वह सत्ता पर आए इसलिये उस को बिलकुल भूल गये, यह बिलकुल ग़लत है। यह दुःख की बात है कि हमें इस का उपयोग करना पड़ा पर जिम्मेवारी लेने पर करना पड़ता है। आप कोई एजीटेशन करते हैं तो उस की पहले पूरी जिम्मेवारी समझ कर करना चाहिये। काफी इन्तज़ाम कर सकते हैं तो फिर एजीटेशन करना चाहिये।

एक भाई ने सेल्स टैक्स का उदाहरण दिया। आप को मालूम है कि बम्बई में सेल्स टैक्स का ऐजीटेशन चलाया गया था। वह चलाने वाले भी बाद में पछताए कि यह क्यों चलाया, क्योंकि एजीटेशन चलने पर वह सब दूसरे लोगों के हाथ में चला गया और उन के हाथ से सब बात निकल गयी। दूसरे लोग उस का फ़ायदा उठाने लग गये जिन का उस से कोई मतलब भी नहीं था। सब जगह गड़बड़ होने लगी। तो क्या आप यह चाहते हैं कि सेल्स टैक्स के ऐजीटेशन के पीछे शहरों में कितनी भी गड़बड़ हो, कितनी भी अव्यवस्था हो, तो भी सरकार देखती रहे। ऐजीटेशन करने का भी तरीक़ा होता है। रिप्रेजैंटेशन करो, आप को मीटिंग करनी हो तो करो, जुलूस निकालना हो तो निकालो, पर इस सब की आप को जिम्मेवारी लेनी चाहिये, व्यवस्था सब बात की आप के हाथ में होनी चाहिये, इतना काबू लोगों पर आप का होना चाहिये कि कोई वाइलैंस करना भी चाहे तो भी नहीं कर सके। हम भी सब जब सरकार अपनी नहीं थी, लड़े, काफ़ी जुलूस निकाले। हम ने देखा कि सरकार उस में वाइलैंस करना चाहती थी, फिर भी हमारा इतना इन्तज़ाम हुआ करता था कि वाइलैंस नहीं हो सकतीथी। और

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

आज तो आप को समझना चाहिये कि कोई भी अधिकारी, पुलिस इस तरह से वाइलस नहीं करा सकती है। सब अधिकारी और पुलिस वाले जानते हैं कि सरकार, लोगों की सरकार है और ऐसा कुछ किया जायगा तो उस का उस से पूरा हिसाब लिया जायगा और उस को सरकार में रहने की जगह नहीं रहेगी। आप लोग जो सिविल लिबर्टीज़ की बात कहते हैं तो उस का इस तरह के ऐजीटेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर आप ग़रीब इन्नोसेंट लोगों को सताना चाहें, उन को मुश्किल में डालना चाहें और परेशान करना चाहें और आप दूर से देखना चाहें तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि चुप बैठी रहे। जो व्यवस्था करता है उस पर जवाबदारी रहती है। बात यह है कि आज जो होम मिनिस्टर हैं, उन का बोलने का एक तरीक़ा है। वह स्वभाव से ही खुश मिजाज में रहते हैं। इस तरह से आप लोग जो विरोधी पक्ष में हैं, व्यक्तिगत अटैक करते हैं, क्या यह ठीक बात है? आप क्या ऐसा चाहते हैं कि वे बड़ा लम्बा मुंह कर के रोते रोते आप के सामने ऐक्ट रक्खें? उन के दिल में भी लोगों और जनता के प्रति उतनी ही मुहब्बत और जगह है, जितने का आप दावा करते हैं और अगर आप शान्ति से क़ानून से रहें, तो चाहे इस से भी कड़ा क़ानून क्यों न हो, आप को उस से डर नहीं होना चाहिये, इस क़ानून से तो उन्हीं को डरना चाहिये जो अनलाफुल (अवैध) काम करते हैं। जो आदमी सीधे रास्ते चल कर रहना चाहता है, वफ़ादारी से रहना चाहता है, जो हिंसा नहीं करना चाहता, उस का इस क़ानून से कुछ नहीं होता है, परन्तु असल बात यह है कि आप क़ानून को इसलिए हटवाना चाहते हैं कि अगर क़ानून न रहे, तो आप पीछे रेल की पटड़ी उखाड़ सकें, ट्राम जला सकें और मनमानी शोर बखेड़ा कर सकें, आप यह सब ग़लत काम कर सकें, उन की वजह से सरकार परेशान हो और उस समय सरकार के पास आप को चेक करने के लिए उपयुक्त क़ानून न हो। हम ने जिस मेहनत से और कष्ट से इस देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की है, हम नहीं चाहते कि आप इस तरह की अव्यवस्था देश में फैला सकें जिस से हमारी आज़ादी ख़तरे में पड़ जाय, हम ने जो आज़ादी पाई है, वह इस तरह से खोने के लिए नहीं पाई है। मैं मानती हूं कि अपनी आज़ादी को ठीक प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए और उस की फाउन्डेशन को मज़बूत करने के लिए जितने भी क़ानून बनाना पड़ें, सरकार को बनाना चाहिये और आज तो जनता हमारे पीछे है, यह तो चुनावों ने साबित कर दिया है, लेकिन जैसा कि आप दावा करते हैं कि जनता हमारे साथ नहीं है, तो आप के लिए रास्ता खुला हुआ है, पांच साल के बाद फिर चुनाव होंग और आप का दावा अगर सही साबित होता है, तो आप हमारी जगह लीजिये। आज भी उपनिर्वाचन होते हैं और जहां जनता हम से रंज होती है, वहां आप लोग चुन कर आ जाते हैं और जहां हम से रंज नहीं होती, वहां हम लोग आते हैं। इसलिए मेरा आप से कहना यह है कि महज़ बोलने से या गुस्सा करने से काम नहीं होता और मेरा तो सरकार से इतना ही कहना है कि ये लोग चाहे जितना भी गुस्सा करें और कुछ भी क्यों न कहें, उस से सरकार को अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिये और शासन की अपनी ज़िम्मेदारी योग्यता से निभानी चाहिये और देश में अराजकता न फैलने देनी चाहिये।

इस बिल के विरोध में यहां एक यह भी दलील दी गयी थी कि अन्न के फूड एजिटेशन के सिलसिले में क्यों लोगों को इस के अन्दर पकड़ा जाता है? मैं आप से पूछना चाहती हूं कि क्या फूड एजिटेशन कर के आप लोगों

को अन्न देना चाहते हैं, या उस के पीछे आप की सरकारी अनाज के गोदाम लूटने की मंशा रहती है ? कलकत्ते में जब लाखों आदमी भूख से मर गये थे तब आप लोग कहां थे ? हम लोग तो उस समय जेल में थे, आप ने तब क्यों नहीं कुछ किया, तब तो आप बैठे रहे और हमें पकड़वाने में आपने सरकार की मदद की। लोगों को काफ़ी और अच्छा अन्न दिलाने के लिए अगर ज़रूरी हो तो आप ज़रूर एजिटेशन करें, लेकिन अनाज के गोदामों और दुकानों को लूटने और जलाने से तो लोगों को अन्न नहीं मिलेगा। अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि लोगों को पर्याप्त और अच्छा अन्न मिले तो आप खेत में जायं और पैदावार बढ़ाने की कोशिश करें और जहां एक मन उगता है, वहां दस मन पैदा करने का प्रयत्न करें। आप क्या यह चाहते हैं कि मिल के मैनेजर को घेरा जाय या बोआयलर में डाला जाय, सरकार को इस का पता लगे कि ऐसा उन का करने का इरादा है, उस पर भी सरकार चुपचाप देखती रहे और उन को ऐसा करने से रोके नहीं ? सरकार का धर्म होता है कि ऐसे लोगों को चेक करे और इसलिए यह क़ानून ज़रूरी हो जाता है। इस बात से यह मतलब नहीं निकालना चाहिये कि जो शासन सम्हालते हैं अथवा मिनिस्टर्स हैं, उन के हृदय नहीं है, आखिर वे भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं और जन ा ने उन्हें यहां भेजा है और हम देखते हैं कि जैसे ही स्थिति ठीक हो जाती है, पकड़े गये लोगों को छोड़ दिया जाता है, और इसलिए मैं कहती हूं कि यह जो क़ानून का हिसाब हम को दिया गया है, वह बताता है कि उस का उपयोग ठीक किया गया है और इस को स्टैचूट बुक पर क़ायम रहना चाहिये। ग्यारह स्टेटों में इस का उपयोग नहीं किया गया, यह चीज़ यह बताती है कि सरकार जहां अपने को निरुपाय पाती है, जहां और कोई इलाज नहीं है, वहीं वह इस क़ानून का इस्तेमाल करती है, और जहां इस के बिना काम चल सकता है, वहां इस को अमल में नहीं लाती।

यहां बतलाया गया है कि बम्बई में एक ही गुंडा इस क़ानून के मातहत पकड़ा गया, अगर ज्यादा गुंडे नहीं पकड़े गये, तो यह अच्छी बात है, इस में मेरी समझ में नहीं आता, क्या बुरी बात है ? गुंडे जहां जहां जब कभी कोई गड़बड़ होती है, निकल आते हैं, जब तक शान्ति होती है, तब तक वह लोग कुछ नहीं करते और गड़बड़ फैलते ही गुंडों की बन आती है और गुंडों का राज हो जाता है। गड़बड़ को रोकने के लिए यह क़ानून रखा है और इस हेतु, जो इस को जारी रखने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उस की मैं ताईद करती हूं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : हमें इस चर्चा के दौरान में केवल इस बात का निर्णय करना है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में इस अधिनियम को जारी रखना आवश्यक है। सरकार को, जो इसे जारी रखना चाहती है, सदन का समाधान करना पड़ेगा कि वास्तव में इसकी आवश्यकता है। उसके बाद यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या इस विधि से स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं और तीसरी बात जिसका निर्णय करना होगा यह है कि ये दावे कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता सत्य हैं या नहीं।

अन्तिम प्रश्न को पहले लेते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें निरोध अधिनियम का अनुभव है और हमें याद है कि पुलिस अधिकारी किस तरह हर एक के विरुद्ध झूठे कारण घड़ लिया करते थे। क्या ये लोग अब बदल गये हैं ? वास्तव में आज भी इन अधिनियमों का पहले की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है।

इस अधिनियम के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया गया है कि सब राज्यों ने इस की मांग की है। मेरे विचार में प्रत्येक राज्य

[श्री राघवाचारी]

को इसकी मांग करते समय, इस मामले को अपनी विधान-सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था और एक संकल्प पारित करना चाहिए था कि इसको जारी रखने की आवश्यकता है । क्या किसी राज्य ने ऐसा किया है ? फिर आप कहते हैं कि सब राज्यों ने इस अधिनियम का प्रयोग नहीं किया । किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि फिर ये ११ राज्य इसे जारी रखने की मांग क्यों करते हैं । कहा गया है कि स्थिति देश के सब भागों में सुधर गई है; शान्ति स्थापित हो गई है और अब कोई अधिक गड़बड़ नहीं है । क्या इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इस अधिनियम को लागू रखना आवश्यक है ?

मेरे विचार में सरकार के तर्क बिल्कुल संतोषजनक नहीं हैं और इस की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : श्री देशपांडे और श्रीमती मणिबेन पटेल दोनों ने कहा है कि जहां तक निवारक निरोध अधिनियम् का सम्बन्ध है, सारा देश सरकार का समर्थन करता है । मैं इस वक्तव्य में कुछ संशोधन करना चाहता हूं ।

सरकार को स्मरण होगा कि पिछले साधारण निर्वाचनों से एक मास पूर्व साम्यवादियों को, जो २ से ४ वर्षों तक के लिये निरुद्ध रह चुके थे, चुनाव लड़ने के लिए रिहा कर दिया गया था । उन्होंने बाहर आ कर लोगों से यह अपील की थी कि "यदि आपने हमें मत न दिये तो हमें पुन: जेल जाना पड़ेगा।" और मैं दो ऐसे मामले जानता हूं, एक कलकत्ता में और दूसरा मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जिन में निर्वाचकगण ने साम्यवादी सदस्यों का केवल इस लिए समर्थन किया था क्योंकि वे इस निरोध को पसन्द नहीं करते थे । जनसाधारण यह नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाये निरुद्ध किया जाये । आशा है कि माननीय मंत्री इस बात का उत्तर देंगे । कलकत्ता में श्री रानन सेन को पश्चिमी बंगाल विधान सभा का सदस्य चुना गया था और उड़ीसा में श्री वैष्णव पटनायक को उड़ीसा विधान सभा का ।

श्री जे० आर० मेहता (जोधपुर) : मैं स्वयं इस अधिनियम का विरोधी हूं, किन्तु इस समय हमें यह देखना है कि इसको किस तरह प्रशासित किया गया है । मेरे राय में इसे उचित रूप से प्रशासित नहीं किया गया । इस सम्बन्ध में मुझे सब से अधिक चिन्ता इस बात से होती है कि सरकार दिन प्रतिदिन अधिकाधिक अत्याचारी और हिंसात्मक होती जा रही है । सरकार द्वारा अनुचित बल प्रयोग के उदाहरण इतने बढ़ गये हैं कि यह भारत में लगभग प्रशासन का एक साधारण पहलू बन गया है । इसके उत्तर में मुझे यह कहा जायेगा कि चित्र का दूसरा रुख भी देखना चाहिए और लोगों में हिंसा और अनुशासनहीनता की भावना बहुत फैली हुई है । किन्तु क्या आप ने कभी इस के कारणों पर विचार किया है ? इसका एक कारण लोगों की निराशा है और दूसरा स्वयं सरकार की हिंसात्मक और दमनकारी नीति है । सरकार से मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह कुछ अधिक उत्तरदायी नहीं बन सकती, क्या वह हिंसा का प्रयोग कुछ कम नहीं कर सकती ? मैं उस से पूछता हूं कि क्या स्वयं अपने लोगों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करना एक ऐसी सरकार को जो कि लोकप्रिय होने का दावा करती है, शोभा देता है । आप अहिंसा से लोगों के दिलों को जीतने का प्रयत्न क्यों नहीं करते और जनता पर अत्याचार करने की बजाय अपने आपको कष्ट क्यों नहीं देते? आप में इतना साहस क्यों नहीं है कि विद्यार्थियों को उचित मार्ग पर लाने के लिए आप उन पर लाठियां और गोलियां

चलाने की बजाय उन के बीच में जाकर उपवास शुरू करें। लखनऊ में विद्यार्थियों के दंगे के समय यदि हमारे एक भी नेता ने इतना साहस किया होता, तो सारे भारत की स्थिति एक दिन में सुधर जाती और विद्यार्थी ठीक रास्ते पर आ जाते और इस के साथ सरकार की प्रतिष्ठा भी दुगनी बढ़ जाती। मैं यहां उपदेश नहीं देना चाहता और न ही मैं कटु वचन कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि महात्मा गांधी ने हमें जो सबक दिये हैं, हमें उनसे लाभ उठाना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिएं जिनसे कि सरकार और लोग दोनों के मन से हिंसा की भावना दूर हो जाये और इस मामले में पहल स्वयं सरकार को करनी होगी।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं--पूर्व): इस विषय पर जो भाषण हुए हैं मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं। किन्तु मुझे खेद से कहना पड़ता है कि उन में से अधिकांश भाषण असंगत थे। हमको केवल यह देखना है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग तो नहीं किया गया और इसे ३१ दिसम्बर १९५४ तक बढ़ाना वांछनीय है या नहीं।

माननीय गृह मंत्री ने जो रिपोर्ट सदन के सामने रखी है, उस से ज्ञात होता है कि ३१ अक्तूबर १९५३ को केवल ११७ व्यक्ति निरुद्ध थे। मेरे विचार में उस तिथि से आज तक कई और नजरबन्द रिहा कर दिये गये होंगे। इतने बड़े देश में, विभिन्न प्रकार के लोगों को, जो कि इसमें रहते हैं, ध्यान में रखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि यह संख्या बहुत अधिक है। वास्तव में निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। और हमें यह भी देखना चाहिए कि ये नज़रबन्द कौन हैं? रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि केवल बदमाशों को—डाकुओं को, साम्प्रदायिक आंदोलनकर्ताओं को और हिंसात्मक कार्य करने वालों को—नज़रबन्द किया गया था कोई भी उत्तरदायी व्यक्ति इन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाएगा। किन्तु हमें यह भी देखना है कि बदमाशों के नाम से, भले लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रत्येक माननीय सदस्य को इस बात की जांच करने का अधिकार है। रिपोर्ट में लिखा है कि २२४ व्यक्ति मंत्रणा बोर्डों ने, ७३८ स्वयं सरकार ने ६४ उच्चन्यायालयों ने और ९२ उच्चतम न्यायालयों ने रिहा किये हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि यदि इतने व्यक्ति रिहा करने थे तो इन्हें गिरफ्तार ही क्यों किया गया था। किन्तु यदि इन पर न्यायालयों में मुकद्मे भी चलाये जाते, तो सम्भव है कि दोषसिद्धि के बाद अपील न्यायालय इन्हें बरी कर देता। अतः इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है। इससे तो यह प्रकट होता है कि इन सब ने, राज्य सरकारों ने, मंत्रणा बोर्डों ने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने अपना काम बड़ी इमानदारी से किया और सरकार ने बदला लेने की भावना से काम नहीं लिया।

इस अधिनियम को १९५४ तक बढ़ाने के सम्बन्ध में, हमें यह विश्वास है कि ऐसा करना ठीक है। शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है और उनका कहना है कि वे इस का समर्थन करती हैं और इस को निश्चित तिथि तक बढ़ाना चाहती हैं। हम उनकी राय को गलत नहीं कह सकते। यदि इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया होता, तो राज्यों की विधान-सभाओं में बहुत झगड़ा हुआ होता। उन्होंने आन्दोलन किया होता और संकल्प पारित किये होते किसी भी राज्य विधान-सभा ने ऐसा नहीं किया। अतः जब तक शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है, हमें उनके हाथ मज़बूत करने हैं।

[श्री रघुबीर सहाय]

मेरी अन्तिम बात यह है कि हमें देश में होने वाली घटनाओं की ओर से भी आंखें नहीं मूंद लेनी चाहियें। मैं लखनऊ आंदोलन का उदाहरण देता हूं। यह सब मानते हैं कि समाज विरोधी लोग इन विद्यार्थियों के सहायक थे और आप जानते ही हैं कि वहां क्या हुआ। क्या आप यह कहेंगे कि इन समाज विरोधी लोगों पर हाथ नहीं डालना चाहिए? जो कुछ आज लखनऊ में हुआ है, वह कल बम्बई, कलकत्ता या बड़ोदा और अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार के पास यह अधिनियम होना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

हमें सब प्रकार की एहतियात बर्तनी है। सम्भव है साम्प्रदायिक लोग किसी न किसी बहाने से फिर सिर उठायें। अतः यह आवश्यक है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो, सरकार के पास उस का मुकाबला करने के लिए शस्त्र होना चाहिए। यदि हम सब राज्यों की राय को ध्यान में रखें, तो हम अवश्य इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस अधिनियम को बढ़ाना आवश्यक है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से हम बहस सुन रहे हैं। लेकिन दुःख इस बात का है कि जो भी दलील डिटेंशन ऐक्ट को आगे बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट ने पेश की है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। यह बेबुनियाद सिर्फ़ उन के ही ख्याल से मालूम होता है, उन्होंने जो स्टेटमेंट नम्बर ६ में बताया है कि २२४ आदमियों का छुटकारा ऐडवाइज़री बोर्ड से हुआ है। यह खुद इस बात की दलील है कि बोर्ड के सामने जो भी वजूहात उन्होंने रखे वे बेबुनियाद थे। हमारी गवर्नमेंट को यह याद रखना चाहिये कि इंसाफ एक बड़ी चीज़ होती है। इंसाफ का बुनियादी उसूल यही है कि एक हजार गुनहागार छूट जायें तो भी कोई परवाह नहीं होनी चाहिये, लेकिन एक बेगुनाह को किसी तरह से भी सज़ा नहीं होनी चाहिये। इस उसूल की बिना पर ही इंसाफ चलता है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आम उसूलों पर बात करूं। लेकिन मैं जिस कांस्टीट्यूएंसी से आता हूं या मैं अपनी जिस पार्टी के लोगों के साथ काम करता हूं, अखंड कर्नाटक निर्माण करने के बारे में वह अहिंसात्मक दृष्टि से अपने मूवमेंट (आन्दोलन) को चालू करना चाहती थी। अपने नेता, ऐक्स रेवेन्यू मिनिस्टर श्री कारंत की अध्यक्षता में वह अपना मूवमेंट चालू करना चाहती थी। मुल्क में जितने भी प्रोग्रैसिव मूवमेंट्स होते हैं, उनकी दृष्टि से मैं अब भी इस ख्याल का हूं और समझता हूं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फार्मेशन भी एक प्रोग्रैसिव मूवमेंट है।

हमारी जो ऐक्शन कमेटी फ़ार्म की गयी, उसके तक़रीबन २० लोगों को इसी डिटेंशन ऐक्ट के मातहत पकड़ा गया। बम्बई की स्टेट गवर्नमेन्ट ने मैं यहां साफ़ कहना चाहता हूं कि पार्टी के मक़सद को हासिल करने के वास्ते और कर्नाटक के पापुलर मूवमेंट को दबाने के वास्ते यह स्टेप लिया और गिरफ्तारियां अमल में लायीं। हुबली के बाई एलेक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम विरोधी पार्टियां कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि ने कर्नाटक के इश्यू (प्रश्न) पर आपस में एक एलायन्स कर लिया और तमाम पार्टीज़ ने अपना एक उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ उस बाई एलेक्शन में खड़ा किया। और दोनों तरफ़ से ख़ूब जनता में अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया जाने लगा और इस एलेक्शन में तमाम विरोधी पार्टीज़ ने मिल कर कांग्रेस के उम्मीदवार का मुक़ाबला करना शुरू किया, तब कांग्रेस के नेताओं में खलबली मची और उन के इशारे से वहां के डिस्ट्रिक्ट

मैजिस्ट्रेट ने न सिर्फ़ एक आध को बल्कि बीसों को पकड़ लिया। यहां मैं एक बात बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता हूं कि हमारा अखंड कर्नाटक स्टेट मूवमेंट थौरोली (पूर्णतया) पीसफुल है और यह बात निश्चित है कि अहिंसात्मक तरीके से अगर हमें कर्नाटक स्टेट मिलती है, तो ठीक है, लेकिन अगर वह हिंसात्मक तरीक़े से मिलती है, तो हम न कभी उसको लेने को तैयार थे और न आज तैयार हैं और मुझे यह कहते हुए अफ़सोस होता है कि इस उसूल पर चलने वाली उस हमारी ऐक्शन कमेटी के तमाम नेताओं को अपना मक़सद हासिल करने के लिए पकड़ लिया। इनका जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि बतलाया जाता है कि ३० अगस्त को चुनाव किये गये और इससे २० दिन पहले गिरफ्तारियां हुईं। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मेम्बरों को छोड़ते हुए साफ़ तौर पर यह निर्णय दिया है कि उनका दृष्टिकोण हिसात्मक नहीं था।

मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं आपको बतलाता कि आपने इस ऐक्ट को इस्तैमाल करते वक्त क्या क्या ग्राउन्ड्स डेटीनयूज़ को दी हैं। मैं सिर्फ़ एक ग्राउन्ड यहां पर देना चाहता हूं कि "आपने अखण्ड कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद् में सक्रिय भाग लिया।" यह भी क्या कोई डिटेंशन के लिए जस्ट ग्राउन्ड हो सकती है? क्या हम लोग अपनी पोलिटिकल आइडियोलजी के लिए लड़ नहीं सक़ते, क्या हम उसके लिए जनता में संगठन अथवा प्रचार नहीं कर सकते, क्या जनता को उसके लिए तैयार करना पाप है? क्या जनता की सम्मिलित शक्ति से और लोगों का खून पसीना बहा कर जो आज़ादी हासिल की है, और जिस हैदराबाद को हमने रज़ाकारों के चुंगल से छुड़ा कर आज़ाद किया है, आज हम जब आज़ाद हो गये हैं तो अपने उद्देश्य यानी अखंड कर्नाटक राज्य के लिए शान्तिमय लड़ाई नहीं कर सकते? मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप हिन्दुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़े, उसी तरह इसके लिए लड़ना और प्रचार करना हमारा बुनियादी हक़ है। क्या अखंड कर्नाटक राज्य निर्माण के लिए आन्दोलन करना कोई गुनाह है और क्या यह भी डिटेंशन के लिए कोई ग्राउन्ड हो सकता है? लिंग्विस्टिक कमीशन के बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है और बतलाया है कि वह इस प्राबलम पर सोच विचार कर रहा है और यह अंडर एग्ज़ामिनेशन है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें इस तरह के एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है और पब्लिक में उसके शीघ्र से शीघ्र बनाये जाने के लिए प्रचार करना क्या कोई गुनाह हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह इशारा किया था कि यह ऐक्ट गुंडों और कम्युनिस्टों की ग़लत कार्रवाई रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो क्या वे लोग जो इस कर्नाटक राज्य के निर्माण के लिए आन्दोलन कर रहे थे, क्या वे इसी बिना पर पकड़े गये थे? श्री महादेव मुरुगोड़, चन्नप्पावाली और शान्तिनाथ इंगले जो कम्युनिस्ट थे वे चूंकि इस आन्दोलन के समर्थक थे और चूंकि वह आपके शब्दों में ओवर नाइट पैटरीयाट्स बन गये थे, इसी लिए आपने उनको डिटेन कर लिया। क्या यह सही नहीं है कि सन् ४२ के आन्दोलन के समय यही चन्नापवाली और शांतिनाथ इंगले कर्नाटक के लीडर माने जाते थे और आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में उनको सीक्रेट सर्कुलर और इंस्ट्रक्शंस दिये जाते थे और उनमें रेलों की पटरी उखाड़ना और स्टेशनों का जलाना आदि के प्रोग्राम होते थे। वह इस आन्दोलन के सम्बन्ध में पकड़े जाते हैं और डिटेन किये जाते हैं और फिर जब पुनः महादेवप्पा मुरुगोड़ का डिटेंशन हुआ तो उस वक्त भी फ्रेश ग्राउन्डस

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

फार फ्रेश डिटेंशन बना कर दीं और वह ग्राउन्डस् भी बिल्कुल वेग (अस्पष्ट) दी गयीं और मैं कहना चाहता हूं कि बम्बई में इस तरह से सरकार द्वारा इस क़ानून को ऐब्यूज़ किया गया । अखंड कर्नाटक निर्माण के लिए हम प्रयत्नशील हैं और इस मक़सद को हासिल किये बिना हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, इस अपनी पोलिटिकल आइडियोलाजी को प्रीच करना क्या कोई गुनाह है, यह तो हमारा बुनियादी हक़ है । यहां मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा मक़सद हिन्दुस्तान की यूनिटी को क़ायम रखना है, लेकिन साथ ही अपने इस सिद्धान्त को लिये हुए कि भाषावार प्रान्तों का निर्माण हो और कांग्रेस इस सिद्धान्त को मान चुकी है, सिर्फ़ उसको अमल में लाने में देर कर रही है । हम चाहते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषावार आधार पर तुरन्त किया जाय और बाई इलेक्शन से साबित हो गया कि जनता अखंड कर्नाटक राज्य की मांग के पीछे है । गवर्नमेंट ने जो हमारे साथी ऐक्शन कमेटी के नेता थे उनको डिटेन कर लिया; जनता ने महसूस किया कि यह अन्याय हो रहा है और वहां पर तमाम विरोधी पार्टीज़ ने मिल कर जो उम्मीदवार खड़ा किया था वह कांग्रेसी उम्मीदवार के मुक़ाबले तक़रीबन तीन हज़ार से भी ज्यादा वोटों से कामयाब हो गया और आपके इन डिटेंशन आर्डर्स से एक तो पब्लिक में असंतोष फैलता है, दूसरे जो भी सज़ा भुगत कर जेल से बाहर आते हैं, वह लीडर बन जाते हैं और जनता की हमदर्दी उनके साथ हो जाती है । इसलिए आपको इस पूरे ऐक्ट पर गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा और इसको रिवाइज़ करना होगा और जैसे भी हो आपको इसे एक जुडीशल दायरे में लाना होगा, क्योंकि जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, तब तक कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी वह मज़बूत और लोकप्रिय क्यों न रही हों, ज्यादा दिन तक क़ायम नहीं रह सकती, क्योंकि पब्लिक अन्याय का साथ नहीं दे सकती । इंसान खाने के बगैर रह सकेगा, पानी के बगैर रह सकेगा, लेकिन इंसाफ रहे बगैर गवर्नमेंट ज़िन्दा नहीं रह सकती । इसलिए हम इंसाफ मांगते हैं और हम हर आइडियोलाजी के प्रीच करने की आज़ादी चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि जो अभी भी अखंड कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद् के लोग डिटेंशन में हैं, उनके केस पर आप विचार करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जैसा मैंने पहले आपको बतलाया, उनके बारे में भी उसी प्रकार से निर्णय दे दिया जायेगा । बस मुझे इतना ही कहना था, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौक़ा दिया । मैं इस ऐक्ट को आइंदा जारी रखने का विरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कासलीवाल ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मुझे इस वाद विवाद में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मेरे राज्य के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाए गए हैं और वे आरोप बिल्कुल ग़लत हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राजस्थान सरकार हिंसा का प्रयोग करती रही है । परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में डाकुओं ने आतंक फैला रखा था और राजस्थान सरकार ने प्रत्येक सम्भव ढंग से उस आतंक को दूर करने की चेष्टा की है ।

श्री साधन गुप्ता ने कहा है कि बिक्रीकर विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में सौराष्ट्र में ३१ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि ये लोग हिंसात्मक कार्यवाहियां कर रहे थे । उन्होंने यह भी नहीं बताया कि सौराष्ट्र में ६७ व्यक्ति डाकुओं को शरण देने के कारण गिरफ्तार किए गए । पैप्सू और राजस्थान में भी डाकुओं

के शरण देने वाले बहुत से लोग पकड़े गए और उन्हें नज़रबन्द रखा गया । यदि यह अधिनियम न होता तो डाकुओं के इस आतंक का मुकाबिला नहीं किया जा सकता था । मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने कहा था कि सौराष्ट्र, राजस्थान, पेप्सू और मध्य भारत में यदि डाकुओं को समाप्त करने के लिए यह अधिनियम जारी रहे तो कोई आपत्ति नहीं है । इन राज्यों में न केवल निवारक निरोध अधिनियम, बल्कि अन्य कार्यवाहियों का सहारा लेकर ही डाकुओं की समस्या हल की गई है । डाकुओं को शरण देने वाले ग्रामीणों को पकड़ा गया और नज़रबन्द किया गया । इसी के फलस्वरूप आज यह स्थिति है कि डाकू स्वयं ही आत्म समर्पण कर रहे हैं । यह तभी हो सका है जबकि इस अधिनियम का उपयोग किया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया गया है ।

आचार्य कृपलानी ने कहा था कि जोधपुर में १३ नागरिकों को म्युनिस्पल कर विरोधी आन्दोलन के कारण गिरफ्तार किया गया । परन्तु इन लोगों के अगुओं ने किया क्या ? उन्होंने जोधपुर के रोशनी के खम्बे तोड़ डाले जो बहुत ही सुन्दर थे । इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद आन्दोलन का ज़ोर धीमा पड़ गया और उसके बाद ऐसे विध्वंस की घटनाएं नहीं हुईं ।

मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता बल्कि केवल इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान के सम्बन्ध में जो आरोप लगाए गए हैं, वे झूठे हैं । जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि वहां यह अधिनियम जारी रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ।

डा० काटजू : क्या आप कल मुझे दस या बीस मिनट का समय देंगे क्योंकि इस समय तो साढ़े ६ बज चुके हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण प्रारम्भ करें और कल भी उसे जारी रखें ।

डा० काटजू : उपाध्यक्ष महोदय मैं ने विभिन्न भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है । वे बड़े अच्छे भाषण थे परन्तु उनमें से कुछ अवसर के अनुकूल नहीं थे । परन्तु मैं एक बात कहूंगा और वह यह कि मझे आशा थी कि वक्तागण किसी रचनात्मक दृष्टिकोण का परिचय देंगे, न कि ऐसी बातें कहेंगे जो कि उन्होंने कही हैं और जो मैं कई दिनों से सुन रहा हूं ।

श्री के० के० बसू (डायमंड हार्बर) : आप भी वैसी ही बातें जारी रख रहे हैं ।

डा० काटजू : और क्या किया जाय ?

श्री के० के० बसू : आप अपना रवैया बदलिए और हम भी अपना रवैया बदलने की चेष्टा करेंगे ।

डा० काटजू : मैं प्रयत्न करूंगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल अपना भाषण जारी रखें । अब सदन की बठक कल डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके बाद सदनकी बैठक बुधवार, २३ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।